LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Friday, December 05, 2025 /Agrahayana 14, 1947 (Saka)

HON’BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, December 05, 2025 / Agrahayana 14, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 81 – 84)	**1A – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 85 – 100)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 921 – 1150)	**51 – 280**

Uncorrected – Not for Publication LSS-D-II

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, December 05, 2025 / Agrahayana 14, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, December 05, 2025 / Agrahayana 14, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 90**
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	**290**
STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL	**291**
12th to 14th Reports	
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 1st to 4TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON DEFENCE – LAID	**291 - 92**
Shri Sanjay Seth	
BUSINESS OF THE HOUSE	**292**
MATTERS OF PUBLIC IMPORTANCE	**293 - 350**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**351 - 61**
Shrimati Mahima Kumari Mewar	**351**
Shri Dulu Mahato	**351**
Shri Janardan Singh Sigriwal	**352**
Shri Bhartruhari Mahtab	**352**
Shrimati Smita Uday Wagh	**353**
Shri Yogender Chandolia	**353**
Shir Rao Rajendra Singh	**354**
Shri Chintamani Maharaj	**354**

Shri Gajendra Singh Patel	355
Dr. Anand Kumar Gond	355
Dr. Shashi Tharoor	356
Dr. Bachhav Shobha Dinesh	356
Dr. Mohammad Jawed	357
Shri D. M. Kathir Anand	358
Shri Kesineni Sivanath	359
Shri Arvind Ganpat Sawant	359
Shri Joyanta Basumatary	360
Shri Hanuman Beniwal	361

HEALTH SECURITY SE NATIONAL SECURITY CESS BILL **362 - 94**

(Contd. --Concluded)

Shri Dhaval Laxmanbhai Patel	362 - 63
Shri Umeshbhai Babubhai Patel	364 - 65
Shri Hanuman Beniwal	366 - 67
Shri Kishori Lal	368
Shri Sasikanth Senthil	369 - 70
Shrimati Nirmala Sitharaman	371 - 86
Motion for Consideration – Adopted	386
Consideration of Clauses	386 - 94
Motion to Pass	394

BILLS INTRODUCED 395 – 455

Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill (Amendment of section 2, etc.) 395

Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new article 21B) 395

Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 243G, etc.) 395

Healthcare Professionals and Clinical Establishments (Prevention of Violence) Bill 396

Cow Protection Bill 396

Holy City of Deoghar (Preservation of Cultural Heritage) Bill 397

Compulsory Periodical Desiltation of Dams, Reservoirs and Rivers Bill 397

Orphan Children (Social Security and Welfare) Bill 398

Protection of Women from Domestic Violence (Amendment) Bill (Amendment of sections 5 and 9) 398

Women Workforce (Support and Welfare) Bill 399

Paternity and Paternal Benefit Bill 400

Right to Disconnect Bill 400

Code on Social Security (Amendment) Bill (Amendment of section 2, etc.) 401

Foreign Exchange Management (Amendment) Bill (Amendment of section 36, etc.) 401

Prevention of Money Laundering (Amendment) Bill (Amendment of section 49, etc.) 401

Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill (Amendment of section 2, etc.) **402**

Mental Healthcare (Amendment) Bill (Amendment of Section 2, etc.) **402**

Reptile Bite (Prevention and Treatment) and Reptile Conservation Bill **402 - 03**

All India Institutes of Medical Sciences (Amendment) Bill (Insertion of new section 3A) **403**

Minimum Support Price Realization of Agricultural Produce Bill **403 - 04**

National Commission for Detection and Reporting of Cases of Atrocities and Caste Discrimination against Scheduled Castes and Scheduled Tribes Bill **404**

Establishment of Sports Infrastructure in Virudhunagar Bill **405**

Special Economic Zones (Amendment) Bill (Amendment of Section 2, etc.) **405**

National Eligibility cum Entrance Test (NEET) Exemption for the State of Tamil Nadu Bill **406**

Constitution (Amendment) Bill (Amendment of the Eighth Schedule) **406**

Special Financial Assistance to KBK Region of State of Odisha Bill **406 - 07**

Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill (Amendment of the Schedule) **407**

Constitution (Amendment) Bill (Amendment of the Eighth Schedule)	**407**
Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Amendment Bill (Amendment of the schedule)	**408**
Constitution (Amendment) Bill (Amendment of the Tenth Schedule)	**408**
Hindu Marriage (Amendment) Bill (Amendment of section 13)	**409**
States and Union Territories Reorganization Commission Bill	**409**
Bharatiya Nyaya Sanhita (Amendment) Bill (Amendment of section 63)	**410**
Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (Amendment) Bill (Amendment of section 2, etc)	**410**
Railways (Amendment) Bill (Insertion of new Section 24A)	**411**
Railways (Amendment) Bill (Insertion of new Section 24A)	**411**
Criminal Laws (Amendment) Bill (Insertion of new Section 106A, etc.)	**411**
Maharashtra Central Sports University Bill	**412**
Coastal Tourism Development Board Bill	**412**
Special Financial Assistance for Development and Conservation of Water Bodies in the State of Maharashtra Bill	**413**

Death Penalty (Abolition) Bill	**413**
Climate Change (Mitigation and Adaptation) Bill	**413 - 14**
Salt Workers (Welfare) Bill	**414**
Breast Cancer (Awareness) Bill	**414 - 15**
Digital Personal Data Protection (Amendment) Bill (Amendment of section 2, etc.)	**415**
Domestic Workers (Regulation of Employment and Conditions at Work) Bill	**415 - 16**
Indigenous Cow and Cow Progeny Protection Board Bill	**416**
Fodder Warehouse Board Bill	**416**
Milk and Milk Products (Remunerative Support Price) Bill	**417**
Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 15 and 16)	**417**
Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 15)	**417**
National Medical Commission (Amendment) Bill (Amendment of section 14, etc.)	**418**
Central Institute for Cancer Detection and Prevention Bill	**419**
Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill (Amendment of the Schedule)	**419**
Sikh Marriage Bill	**419**
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill (Amendment of Section 1, etc.)	**419 - 20**

Special Financial Assistance for Geo-Mapping of Trees in the State of Rajasthan Bill	**420**
Hindu Religious Places of worship of (Prohibition of Marketing, Slaughtering, Trading, Cooking, Serving and Consumption of Meat and other Non-Vegetarian Food) Bill	**421**
Special Financial Assistance for Ancient Monuments and and Archaeological Sites and Remains in the State of Rajasthan Bill	**421**
Legitimate Asylum to Refugees Bill	**422**
Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill	**422**
Specially Abled Children (Welfare) Bill	**423**
Regulation of Deepfake Bill	**423**
National Board for Combating Natural Calamity and Welfare of Natural Calamity Victims Bill	**423 - 24**
Welfare and Protection of Cow Bill	**424**
Menstrual Benefits Bill	**424**
Abandoned Widows and Single Women (Protection, Rehabilitation and Welfare) Bill	**425**
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill (Amendment of section 31A)	**425**
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill (Amendment of sections 2 and 3)	**426**
Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) (Amendment) Bill (Amendment of section 3)	**426**

Aligarh Muslim University (Amendment) Bill (Amendment of Section 12)	**426 - 27**
Prevention of Torture Bill	**427**
National Green Tribunal (Amendment) Bill (Amendment of Section 15, etc)	**427**
Stray Animals Control Bill	**428**
Unemployment Allowance Bill	**428**
National Floriculture Board Bill	**428 - 29**
Dairy Farmers (Welfare) Bill	**429**
Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill (Amendment of section 2, etc.)	**429**
Rights of Tenant Farmers Bill	**430**
Vegetable Products (remunerative Support Price and Insurance) Bill	**430**
Bhagwan Birsa Munda Birthplace Ulihatu National Memorial Bill	**430 - 31**
Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Eighth Schedule)	**431**
Infrastructure Project (Monitoring and Management) Board Bill	**431 - 32**
Digital Personal Data Protection (Amendment) Bill (Amendment of Section 9, etc.)	**432**
Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Eighth Schedule)	**432**
Advocates (Amendment) Bill (Amendment of Section 2, etc.)	**433**
Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Amendment Bill (Amendment of section 5, etc.)	**433**

Journalist (Prevention of Violence and Protection) Bill	**434**
Wildlife (Protection) Amendment Bill (Amendment of section 2, etc.)	**434**
Higher Education School, Graduate School and University (Freedom of Speech) Bill	**434 - 35**
Scheduled Tribe Component (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Bill	**435**
Enrollment of the Children of Government Employees in Government Schools (Promotion) Bill	**436**
National Commission for Economically Weaker Sections of Citizens Bill	**436 - 37**
Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Preamble, etc.)	**437**
Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 51A)	**437**
Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 124)	**438**
Constitution (Amendment) Bill (Amendment of the Seventh Schedule)	**438**
Missing Individuals Bureau Bill	**438**
Cultural Mapping Bill	**439**
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill (Amendment of section 14, etc.)	**439**
Compulsory Yoga Practice in Schools Bill	**439 - 40**

Special Financial Assistance for Development and Rejuvenation of Water Bodies in the State of Maharashtra Bill	**440**
National Water University Bill	**441**
Protection and Welfare of Sanitation Workers Bill	**441**
Traditional Weavers (Protection and Welfare) Bill	**442**
All India Institutes of Medical Sciences (Amendment) Bill (Insertion of new section 3A)	**442**
Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Eighth Schedule)	**443**
Menstrual Leave and Hygiene Bill	**443**
Prevention of Cruelty to Animals (Amendment) Bill (Amendment of section 11, etc.)	**444**
National Commission for Women (Amendment) Bill (Amendment of section 10)	**444**
Reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, De-notified Tribes and Semi-nomadic Communities in Private Sector Bill	**444**
Supreme Court (Use of Hindi in Proceedings and Other Provisions) Bill	**445**
Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation in Posts and Services and Filling Up of Vacancies in a Time Bound Manner) Bill	**445**
Environment (Protection) Amendment Bill (Amendment of section 2, etc.)	**446**
Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new article 338C)	**446**

Information Technology (Amendment) Bill (Amendment of section 2, etc.)	**446**
Insurance (Amendment) Bill (Amendment of section 2, etc.)	**447**
Artificial Intelligence (Ethics and Accountability) Bill	**447**
Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill (Amendment of the Schedule)	**447 - 48**
Citizenship (Amendment) Bill (Amendment of section 2, etc.)	**448**
Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Eighth Schedule)	**448**
Consumer Protection (Amendment) Bill (Amendment of section 2)	**449**
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill (Amendment of section 2, etc.)	**449**
Electricity (Amendment) Bill (Insertion of new section 126A)	**449**
Reservation for the Other Backward Classes, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in Private Sector Services and Appointments Bill	**450**
Reservation for the Other Backward Classes, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in Admission in Private Educational Institutions (Aided and Un-Aided) Bill	**450**
Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new article 371IA)	**451**

Eco-Tourism Promotion Bill 451

Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation (Amendment) Bill (Amendment of section 2, etc.) 452

National Blood Transfusion Bill 452

Motor Vehicles (Amendment) Bill (Amendment of section 134A, etc.) 453

Promotion of Natural Agriculture Bill 453

Environment (Protection) Amendment Bill (Amendment of section 2, etc.) 453

Protection of Medical and Health Service Professionals from Assault, Criminal Force and Intimidation Bill 454

Mental Healthcare (Amendment) Bill (Insertion of new section 31A, etc.) 454

Assam Reorganisation (Karbi Dimanchal) Bill 454

Promotion of the Use of Natural Fibres Bill 455

(1100/ALK/VPN)

1100 hours

(Hon. Speaker *in the Chair*)

HON. SPEAKER: Mr. Baalu, I will allow you after the Question Hour.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This matter is *sub judice.*

Mr. Baalu and other Members, I will allow you after the Question Hour.

… (*Interruptions*)

1101 hours

(At this stage, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi, Sushri S. Jothimani, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other hon. Members came and stood near the Table)

(प्रश्न 81)

श्री भजन लाल जाटव (करौली-धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कुपोषण कम करने के लिए योजनाएं बताई गई हैं।... (व्यवधान) उनमें पिछले तीन वर्षों में करौली और धौलपुर के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई और वास्तविक खर्च कितना हुआ है? क्या सरकार का इस बजट को बढ़ाने का विचार है?... (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो जिलों के संदर्भ में करौली और धौलपुर के संबंध में... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के क्वैश्चन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें दो जिलों करौली और धौलपुर में राशि के संबंध में पूछा है।... (व्यवधान) यह जानकारी अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।... (व्यवधान) यह सारी धनराशि हमें एनएचएम के जो प्रस्ताव राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं, उसके तहत हम धनराशि स्वीकृत करते हैं।... (व्यवधान) माननीय सदस्य के स्पेशिफिक जिलों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है, उसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगी।

... (व्यवधान)

श्री भजन लाल जाटव (करौली-धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने कहा है कि यह नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आता है। पहला, आप राजस्थान का बता दीजिए कि नेशनल हेल्थ मिशन को कितनी राशि ट्रांसफर की है?

दूसरा, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो राष्ट्रीय औसत दर बताई है, इसमें करौली और धौलपुर की जो राष्ट्रीय औसत दर है, वह कई प्रतिशत ज्यादा है। बच्चों में जो एनिमिया होती है, यहां हर दूसरे बच्चे के अंदर एनिमिया होती है। यह करौली और धौलपुर में ज्यादा है। आपने उस आंकड़े को इसके अंदर छिपाया है।... (व्यवधान) आप इस पर विचार कीजिए कि जब आपने 10 योजनाएं गिना दीं और आपको बजट की जानकारी नहीं है कि आपने कितनी योजनाओं पर बजट खर्च किया है तो कैसे मूलभूत सुविधाओं में बच्चों के कुपोषण रोकने के लिए उपाय करेंगे?... (व्यवधान)

मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारा जो करौली और धौलपुर क्षेत्र है, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है, पिछड़ा और आदिवासी क्षेत्र है। यहां पर कुपोषण की दर से भी अधिक कुपोषण है।... (व्यवधान) सरकार इस क्षेत्र के लिए अलग से क्या रणनीति बनायेगी? आपने यहां पर पैरा - 10 और पैरा - 11 में आंगनबाड़ियों के बारे में बताया है। आंगनबाड़ियों की हालत बहुत जर्जर है, वहां पर नवीन आंगनबाड़ी नहीं खुली है और वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं।... (व्यवधान) आपके पीएचसी पर डॉक्टर नहीं है, आपके स्वास्थ्य केंद्रों पर कंपाउंडर, जेएनएम और एएनएम नहीं हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर्स नहीं हैं, तो जब इनकी जांच ही नहीं हो पाएगी, तो इन योजनाओं का क्या होगा, ये योजनाएं धरातल पर कैसे उतरेंगी?

(1105/CP/UB)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि कुपोषण एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फैक्टोरल इश्यू है।... (व्यवधान)

1105 बजे

(इस समय श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

सरकार के बहुत सारे विभाग और मंत्रालय मिलकर इस पर काम करते हैं।... (व्यवधान) इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ-साथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी काम करता है।... (व्यवधान) जहां तक आंगनवाडियों का प्रश्न है, आंगनवाड़ियों की स्थापना, आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि को हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखता है।...(व्यवधान)

महोदय, आप जानते हैं कि हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का पूरा नेटवर्क स्थापित किया है।...(व्यवधान) 1 लाख 78 हजार से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं।...(व्यवधान) वहां पर हम 12 सर्विसेज़ का पैकेज देश की जनता को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे मंत्रालय इनवाल्व्ड हैं।...(व्यवधान)

दूसरी बात, एनीमिया को लेकर जो हमारे प्रयास चल रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 बेनेफिशियरी कैटेगरीज़ बनाई हैं।... (व्यवधान) इसमें 6 साल से कम के बच्चे हैं, 5 से 9 साल के बच्चे हैं, 10 से 19 साल के बच्चे हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं और गर्भवती महिलाएं हैं। इनको आईएफए टैबलेट्स और बच्चों को आईएफए सिरप देकर एनीमिया को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ... (व्यवधान) ये सारे प्रयास एनएचएम के तहत संचालित किए जाते हैं। ...(व्यवधान) एनएचएम का प्रस्ताव हमें राज्य सरकारें अपनी पीआईपी के माध्यम से भेजती हैं।... (व्यवधान) इसमें किसी भी बच्चे को छोड़ा नहीं जाता है, चाहे वह आदिवासी इलाके का हो या किसी भी अन्य क्षेत्र का हो।... (व्यवधान) हमारी जो कैटेगरी है, उसमें बच्चे का एज ग्रुप है। ...(व्यवधान) हर बच्चे के अंदर एनीमिया मुक्ति के हम प्रयास कर रहे हैं। ... (व्यवधान) हमने डिजिटल इंटरवेंशन्स के माध्यम से फाइन लिस्टिंग ऑफ केसेज़ की है यानी एक-एक बच्चे की हम डिजिटल ट्रैकिंग और मॉनीटरिंग कर रहे हैं।... (व्यवधान) किस इलाके का कौन सा बच्चा, किस एज ग्रुप का है और उसके एनीमिया का स्टैटस क्या है और हम निरंतर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, आशाज़ की, फील्ड लेवल हेल्थवर्कर्स की ट्रेनिंग करते हैं। एक-एक बच्चे और माता को मॉनीटर करके उन तक हम एनीमिया की टैबलेट और दवाइयां पहुंचाते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल में संक्षिप्त में बोलें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती बाग मिताली।

... (व्यवधान)

*SHRIMATI BAG MITALI (ARAMBAG): Hon. Speaker Sir, thank you for allowing me to raise a supplementary question. The House is discussing the issues of malnutrition and stunting. I would like to ask the hon. Minister whether he is aware that, as per the current allocations, only Rs.1.09 is provided for every newborn child, and merely Rs.1.63 is allocated for every pregnant woman. With such minimal financial provision, how does the Government expect to effectively address malnutrition and improve child growth outcomes, including height?

माननीय अध्यक्ष : नड्डा जी बंगाली जानते हैं।

… (व्यवधान)

@SHRIMATI BAG MITALI (ARAMBAG): Hon. Speaker Sir, I am grateful for permitting me to raise a supplementary question. While we are discussing the grave issue of malnutrition and stunting among children, I wish to ask the hon. Minister whether he is aware that the current allocation amounts to merely one rupee and nine paise per newborn child, and only one rupee and sixty-three paise per pregnant woman. With such meagre allocations, how does the Government propose to effectively address malnutrition and ensure healthy growth outcomes, including adequate height, for our children?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री नड्डा जी बोल रहे हैं। जब आपके बड़े मंत्री बोलें तो आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्टेट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान को देने का काम प्रदेश सरकार का है और उसे पूरा करने का काम हमारा है। … (व्यवधान) जो इन्होंने मांगा है, उसको हमने दिया है।… (व्यवधान) ये जिस प्रदेश की बात कर रही हैं, वह मैं नहीं जानता हूं।… (व्यवधान) लेकिन, हमने ज्यादातर जो फंड दिया है, उसका यूटिलाइजेशन भी पूरा नहीं हुआ है।… (व्यवधान) मैं यह कहूंगा कि उसका यूटिलाइजेशन किया जाए।… (व्यवधान) मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017 में हमने यह कहा था कि 2.5 per cent of the GDP will be spent on health. … (व्यवधान) अभी हम 1.2 से 1.9 पर्सेंट पर पहुंचे हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। … (व्यवधान) Rs. 60,000 crore has been allocated for infrastructure. अभी तक 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च नहीं हो पाए हैं।… (व्यवधान) हमें यह समझना पड़ेगा कि हेल्थ के इनफ्रास्ट्रक्चर पर या हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्च होना है, वह खर्च किया जाए। … (व्यवधान)

(इति)

---

* Original in Bengali

@ Original in Bengali

(1110/SK/NKL)

(प्रश्न 82)

… (व्यवधान)

श्री बंटी विवेक साहू (छिन्दवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी का संकल्प है कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इसी संकल्प के तहत रसायन एवं उर्वरकों में जीएसटी में एकरूपता लाने का कार्य माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा कार्य किया गया है। … (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उर्वरकों एवं कच्चे माल पर एकरूप पांच प्रतिशत जीएसटी लागू किए जाने से अमोनियम, फास्फेट, एनपीके, कॉम्पलेक्स तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी की उत्पादन लागत में अनुमानित कितने प्रतिशत की कमी आई है? उक्त लागत में हुई कमी में से कितना लाभ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा एवं आदिवासी जिलों के छोटे एवं सीमांत किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा? … (व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी की दूरगामी सोच है और तभी हम जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स ला पाए हैं। जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स 22 सितंबर को लागू हुए थे। फर्टीलाइजर्स के क्षेत्र में रॉ-मैटीरियल जैसे सलफ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गई है। … (व्यवधान) एग्रीकल्चर में बायो-पेस्टिसाइड्स पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत और एग्रीकल्चर की मशीनरी जैसे ट्रैक्टर और एक्सेसरीज़ पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गई है। … (व्यवधान) इसका लाभ यह हुआ है कि रॉ-मैटीरियल पर जीएसटी के रिडक्शन से वर्किंग कैपिटल में इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक्युमुलेशन इम्प्रूव हो गया है। … (व्यवधान) डोमेस्टिक फर्टीलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में स्मूथनेस के साथ सप्लाई हो रहा है, इसका फायदा यह हुआ है। … (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जीएसटी प्रोड्यूस में, पैडी में 140 रुपये प्रति एकड़, शुगरकेन में 199 रुपये प्रति एकड़, पटेटो में 446 रुपये प्रति एकड़ और व्हीट में 146 रुपये प्रति एकड़ का फर्क पड़ा है। इसी तरह से इन्टीग्रेटेड पैस्ट मैनेजमेंट से भी बहुत लाभ पहुंचा है और हमें इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। … (व्यवधान) मशीनों में जीएसटी रिडक्शन से किसानों को सात से 13 प्रतिशत का लाभ हुआ है और 40-50 प्रतिशत तक सब्सिडी देकर अंडर मेकेनिज्म खरीद को पूरा किया गया है। यह भारत को बूस्ट करने वाला है। … (व्यवधान)

मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर 41,000 रुपये का लाभ मिल रहा है, 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पर 47,000 रुपये का लाभ मिल रहा है और 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पर 63,000 रुपये लाभ मिल रहा है। पिछले साल नौ लाख ट्रैक्टर खरीदे गए। … (व्यवधान) अगर 40,000 रुपये की एवरेज लगाएं लगभग 3700 करोड़ रुपये का लाभ किसानों को मिलने वाला है… (व्यवधान) इसी तरह से फार्म इक्विपमेंट्स की एक लाख करोड़

रुपये की मार्केट है, … (व्यवधान) उसमें 63,000 रुपये की एवरेज लगाएं तो किसानों को लगभग 7000 करोड़ रुपये का लाभ मिलने वाला है। … (व्यवधान)

(1115/SJN/VR)

श्री बंटी विवेक साहू (छिन्दवाड़ा) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अनुदानित उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध प्रचलन को रोकने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से ठोस उपाय किए गए हैं, ताकि हालिया जीएसटी सरलीकरण का पूरा लाभ किसानों तक पहुंच सके? … (व्यवधान) जीएसटी सरलीकरण, नैनो यूरिया तथा नैनो डीएपी के व्यापक प्रसार के संयुक्त प्रभाव से वर्ष 2030 तक रासायनिक उर्वरकों की खपत तथा उर्वरक आयात व्यय में अनुमानित कितनी कमी आने का प्रक्षेपण है? … (व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदय, यह विषय इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। माननीय सदस्य, मुझसे अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब दे दूंगा। … (व्यवधान)

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (SURAT): Sir, while conventional fertilizers now attract five per cent GST, nano liquid urea and most bio-fertilizers continue to enjoy zero per cent GST. … (*Interruptions*) With IFFCO having produced nine crore bottles of nano urea and nano DAP till November 2025 replacing 45 LMT conventional urea, how does the Ministry plan to leverage this favourable GST differential to achieve the national target of 50 per cent reduction in chemical fertilizer consumption by 2030, as announced by the Prime Minister, and simultaneously reduce the fertilizer subsidy burden from the current Rs.2.25 lakh crore? … (*Interruptions*)

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, this question does not pertain to the original Question. He should ask a separate question. I will answer that. … (*Interruptions*)

(ends)

(प्रश्न 83)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में कन्या भ्रूण हत्या जैसा अति महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। सरकार ने जो जवाब दिया है, सरकार ने पूरी तरह से इसको इंकार कर दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि पिछले चार-पांच सालों में लिंगानुपात घटा नहीं है। यह असत्य है। … (व्यवधान) मैं एक बात कहना चाहूंगा –

"कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों गांव का मौसम गुलाबी है,

मगर ये आंकड़े झूठे हैं और यह दावा किताबी है।"

मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपने हरियाणा सरकार के आंकड़े नहीं लिए हैं। … (व्यवधान) मंत्री जी, आपके विभाग के जो अधिकारीगण हैं, आपको उनको दंडित करने की आवश्यकता है। आप हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को देखिए। … (व्यवधान)

जहां वर्ष 2019 में प्रति हजार बेटों की तुलना में 922 बेटियों का जन्म हुआ है, मगर वर्ष 2023-24 में यह संख्या घटकर 906 हो गई है। … (व्यवधान) ये आंकड़े हरियाणा सरकार ने दिए हैं। आपके अधिकारियों ने बताया है कि आंकड़े घटे नहीं हैं। मैं हर साल 'दिशा' की मीटिंग में इसका रिव्यू करता हूं। मेरे जिले के जिलाधिकारी ने यह आंकड़ा दिया है। … (व्यवधान)

रोहतक जिले में वर्ष 2025 में यह आंकड़ा 814 था, जबकि वर्ष 2011 के मुकाबले यह आंकड़ा बहुत कम है। … (व्यवधान) हरियाणा राज्य में पिछले 10 सालों यानी वर्ष 2011 से 2019 के दौरान लिंगानुपात में काफी संतुष्टिपूर्ण सुधार हुआ था, लेकिन हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले चार-पांच सालों में इसमें दोबारा कमी आ गई है। अखबार में एक रिपोर्ट छपी है। "Haryana's Sex Ratio Hits Eight-Year Low." इन्होंने गलत आंकड़े दिए हैं। … (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मेरे पास ताजा आंकड़े हैं, जो हमने राज्य सरकार से प्राप्त किए हैं। मैं स्पष्ट रूप से यह बताना चाहती हूं कि जब हम अपने देश में जन्म के समय लिंगानुपात की बात करते हैं, तो वर्ष 2014-16 से वर्ष 2021-23 के बीच प्लस 19 प्वाइंट्स की वृद्धि हुई है। … (व्यवधान)

इसी समय के दौरान हरियाणा राज्य में प्लस 52 प्वाइंट्स की कुल वृद्धि हुई है। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। वहां की राज्य सरकार के अनुरूप ऐसे 17 जिले हैं, जहां सकारात्मक बदलाव आए हैं। … (व्यवधान) मेरे पास एक-एक जिले का बिंदुवार आंकड़ा है। मैं इसको पढ़ना भी चाहती हूं। एक जिला है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे चार जिले हैं, जहां नकारात्मक परिवर्तन हुआ है। … (व्यवधान)

(1120/DPK/PBT)

मैं यहां पर हरियाणा सरकार की सराहना करना चाहूंगी।… (व्यवधान) उन्होंने पीसीपीएनडीटी एक्ट को पूरी मजबूती के साथ लागू करने के प्रयास किए हैं और पूरी योजना बनाई है।… (व्यवधान) उन्होंने स्पेशल टाक्स फोर्स कॉन्स्टीट्यूट की है और एडिशनल चीफ सेक्रेट्री वहां

रेगुलर मीटिंग करते हैं। अवेयरनेस जेनरेशन से लेकर, न्यू बॉर्न बेबीज़ के बर्थ रजिस्ट्रेशन से लेकर और जो अन्य फैसिलिटीज़ हैं उनके रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंसिग से लेकर हर संभव प्रयास वहां की सरकार कर रही है।... (व्यवधान) Sex ratio at birth में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है और जहां भी कोई समस्या आती है, उसके लिए उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन निरंतर जारी है। ... (व्यवधान) एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रूप में हमारा सेंट्रल सुपरवाइज़री बोर्ड बना हुआ है, जो सभी राज्यों के अंदर पीसीपीएनडीटी एक्ट के इंप्लीमेंटेशन को ओवरसी करता है। इससे पूरे देश की स्थिति में सुधार हुआ है।... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : महोदय, मैं हरियाणा सरकार के ही आंकड़े बता रहा हूं। बहरहाल, माननीय मंत्री जी पहले समस्याओं को समझें कि यह पिछले चार सालों में ड्रॉप हुआ है।... (व्यवधान) पहले इसमें संतुष्टिपूर्ण सुधार था। वह ड्रॉप क्यों हुआ है, आप उसकी सुध लेकर उसका सामधान कीजिए।

इस विषय पर मैं आपकी जानकारी में तीन मामले लाना चाहूंगा।... (व्यवधान) एक यह है कि ओवर द काउंटर जो अबॉर्शन ड्रग्स अवेलेबल हैं, अबॉर्शन किट्स अवेलेबल हैं, उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। लोग उसे ले रहे हैं और इससे नुकसान हो रहा है।

दूसरा, जो आईवीएफ सेंटर्स बने हैं, उन आईवीएफ सेंटर्स के माध्यम से बहुत ज्यादा संख्या में मेल चाइल्ड का जन्म हो रहा है। आप उनको किस तरह से नियंत्रित करेंगे।... (व्यवधान)

तीसरा मामला सबसे महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।... (व्यवधान) यह राजनीतिक विषय नहीं है, ये इसे राजनीतिक विषय बना रहे हैं। पिछले महीने हरियाणा में 1,500 अबॉर्शन सेंटर्स में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद किए गए हैं।... (व्यवधान) हेल्थ ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स की मिलीभगत से यह कार्य चल रहा है। इस पर मीडिया में 'ह्यू एंड क्राई' मची है कि चार सालों में हरिणाया में सेक्स रेशियो इतना डाउन गया है अर्थात डिप हुआ है।... (व्यवधान) उस 'ह्यू एंड क्राई' के बाद 1,500 में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए। इनमें से ज्यादातर वालंटैरिली बंद हो गए हैं यानी कि पहले कितने कांड हो रहे होंगे और क्या स्कैम हो रहे होंगे?... (व्यवधान) आप उस नन्ही-सी जान की परवाह कीजिए, जिसने इस संसार में आंख भी नहीं खोली। आपके आंकड़ों में भी उसकी आंख नहीं खुल रही है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। यह प्रश्न काल है।

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : महोदय, हरियाणा सरकार यह स्वीकार कर रही है। आप भी स्वीकार... (व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष जी, मुझे दुख है कि हमारे हुड्डा साहब बड़े प्रतिभावान और तज़ुर्बेकार हैं और फिर भी ये इश्यू को इमोशनलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं।… (व्यवधान) ये बार-बार हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने मुझे एसआरएस का जो डाटा दिया है, वह वर्ष 2023 का डाटा है।… (व्यवधान) वर्ष 2023 के डाटा के अनुसार सेक्स रेशियो में 52 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है।… (व्यवधान)

दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद हुए। यह कहां का प्रमाण है? आप मुझे कागज़ पर लिखकर दे दीजिए। … (व्यवधान) You give me in writing. Do not politicize it… (*Interruptions*) You give me in writing. I will examine it. मैं यह बताना चाहता हूं कि in Haryana, premises inspected – 44,263 … (*Interruptions*), Registrations suspended and cancelled – 1,011, machines sealed and seized – 1,037. ये काम हमने प्रो-एक्टिव होकर किए है, जिसके कारण ये नतीजे आए हैं।… (व्यवधान)

तीसरी बात, सेंट्रल सुपरवाइज़री बोर्ड, स्टेट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आदि हर एक की मीटिंग्स रेगुलरली हो रही हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स से कहा गया है कि वे वीकली सभी चीजों का इंस्पेक्शन करें और इन सभी चीजों को देखें।… (व्यवधान) हां, हमारे समाज में यह ट्रेंड है, उसके लिए हम आईईसी मैटेरियल्स के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं।… (व्यवधान) हरियाणा में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है। समाज की सोच को बदलने में बहुत टाइम लगता है।… (व्यवधान) समाज और सरकार दोनों मिल कर काम कर रहे हैं। सरकार तत्पर है और सरकार प्रो-एक्टिव है। इसी कारण से 52 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है।… (व्यवधान)

(इति)

(1125/SNT/SPS)

(Q. 84)

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): My question is in the context of India's rising NCD burden where early diagnosis is very much critical. Will the Government ensure that underserved districts receive timely sanction and fully functional diagnostic facilities, especially MRI machines, under PM-ABHIM Yojana with mandatory technician support and maintenance contracts? … (*Interruptions*) Further, what steps are being taken to address the chronic issues of irregular pay, lack of social security, and disparity which are being faced by NHM contractual staff who deliver these services at the ground level? … (*Interruptions*)

Moreover, in the reply, the hon. Minister has mentioned about the expenditure and the population. I think in a country with 150 crore population, the better indicator would be the target population and the percentage being screened. … (*Interruptions*)

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, this is a very good question which I would like to answer. First of all, we have to understand that in the 2017 Health Policy, we adopted a holistic approach. Before that, we were only taking care of the curative part. … (*Interruptions*) Now, it includes preventive, promotional, curative, palliative, and rehabilitative aspects, which is together forming a comprehensive health coverage. For this, we have made 1,81,000 Ayushman Arogya Mandirs, which include sub-centres, PHCs, and to some extent CHCs as well. At the grassroots level, we have ASHA workers; at the Ayushman Arogya Mandir level, we have community health officers and we also have doctors. … (*Interruptions*) What we do is tht we ask the ASHA workers and the Panchayat *pradhans* to bring people to the Ayushman Arogya

Mandirs before they reach the age of 30 for screening for hypertension, diabetes, cancer, oral cancer, and for cervical cancer and breast cancer specifically the women. We are trying to ensure early detection. We have got 12 types of packages through which we provide dental care, mental care, and all other necessary care. … (*Interruptions*)

I would like to make the House aware that for hypertension, we have screened 39.7 crores, out of which 6.7 crores have been diagnosed and 5.3 crores are on treatment. … (*Interruptions*) For diabetes, 39.6 crores have been screened, 4.5 crores have been diagnosed, and 3.2 crores are being treated. In the same way, for oral cancer, 34 crores have been screened, 1.98 crores have been diagnosed, and 1.84 crores are being treated. … (*Interruptions*) For breast cancer, 16 crores have been screened, 47.136 lakhs have been diagnosed, and 28.877 lakhs are being treated. For cervical cancer, eight crores have been screened, 70 lakhs have been diagnosed, and 63.879 lakhs are being treated. … (*Interruptions*)

In the same way, we also have a programme at this point of time called ‘Swasth Nari, Sashakt Parivar’. Under that programme, more than 1.78 crores were screened for hypertension; 1.73 crores for diabetes; 69 lakhs for oral cancer; 37 lakhs for breast cancer; and 19 lakhs for cervical cancer. … (*Interruptions*) This is the point of first contact where we are trying to maximise screening and provide interventions at all levels. We also have telemedicine, tele-MANAS, and eSanjeevani. Through eSanjeevani, we have a direct connection where the community health officer talks to the doctor, the doctor prescribes the medicine, and it is administered by the community health officer to the patient. This is the first point of contact we have. … (*Interruptions*)

(ends)

(pp. 12-30)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह विषय न्यायालय में विचाराधीन है। जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, उसमें सरकार का कोई विषय नहीं है। यह न्यायलय के निर्णय का विषय है। This matter is *sub judice*.

(1130/RHL/RTU)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप सदन की कार्यवाही को बाधित न करें। आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह न राज्य सरकार का विषय है, न केन्द्र सरकार का विषय है। यह अदालत के आदेश का विषय है, जिसका पालन करना सबके लिए आवश्यक होता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : न्याय का सम्मान करना सबके लिए आवश्यक होता है। मैं आग्रह करता हूं कि आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1131 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/KN/AK)
1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को अनुमति नहीं दी है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1200 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, श्रीमती अनुप्रिया पटेल।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, on behalf of Shri Prataprao Ganpatrao Jadhav, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the HLL Medipark Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the HLL Medipark Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2023-2024 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned (1) above.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) under Section 53 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act,2010:-

(i) The Clinical Establishments (Central Government) Amendment Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.115(E) in Gazette of India dated 14th February, 2020.

(ii) The Clinical Establishments (Central Government) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.468(E) in Gazette of India dated 21st May, 2018.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy of the Drugs (2nd Amendment) Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.554(E) in Gazette of India dated 18th August, 2025 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

(4) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Krishak Bharati Cooperative Limited, Noida, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Krishak Bharati Cooperative Limited, Noida, for the year 2024-2025.

(6) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Mumbai, for the year 2024- 2025.

(ii) Annual Report of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Mumbai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, Jodhpur, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, Jodhpur, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi, for the year 2024- 2025.

(ii) Annual Report of the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Fertilizers Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the National Fertilizers Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Sethusamudram Corporation Limited, Chennai, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Sethusamudram Corporation Limited, Chennai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Cochin Shipyard Limited, Kochi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Cochin Shipyard Limited, Kochi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Hooghly Cochin Shipyard Limited, Howrah, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Hooghly Cochin Shipyard Limited, Howrah, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the Udipi Cochin Shipyard Limited, Kancheepuram, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Udipi Cochin Shipyard Limited, Kancheepuram, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A copy of the Notification No. S.O.4082(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 9th September, 2025, appointing the 10th day of September, 2025 as the date on which the Carriage of Goods by Sea Act, 2025, shall come into force, issued under sub-section (2) of the Section 1 of the said Act.

(3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Chennai Port Authority, Chennai, for the year 2024- 2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Chennai Port Authority, Chennai, for the year 2024-2025.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chennai Port Authority, Chennai, for the year 2024-2025.

(4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Authority, Mormugao, for the year 2024-2025.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Authority, Mormugao, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Mormugao Port Authority, Mormugao, for the year 2024-2025.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mormugao Port Authority, Mormugao, for the year 2024-2025.

(5) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2024- 2025.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Mumbai Port Authority, Mumbai,for the year 2024-2025.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2024-2025.

(6) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tariff Authority for Major Ports, Mumbai, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Tariff Authority for Major Ports, Mumbai, for the year 2024-2025.

(7) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, for the year 2024-2025.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, for the year 2024-2025.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, for the year 2024-2025.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) under article 309 of the Constitution:-

(i) The Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 2025 published in Notification No. S.R.O. 34 in weekly Gazette of India dated 27th September, 2025.

(ii) The Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Junior Translation Officer (Group ‘B’ post) Recruitment Rules, 2025 published in Notification No. S.R.O. 35 in weekly Gazette of India dated 27th September, 2025.

(iii) The Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Vehicle Operator ‘E’ Group ‘B’ Post, Recruitment Rules, 2025 published in Notification No. S.R.O. 21 in weekly Gazette of India dated 26th July, 2025.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (iii) of (1) above.

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Yantra India Limited, Nagpur, for the year 2024-2025

(ii) Annual Report of the Yantra India Limited, Nagpur, for the year 2024-2025 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the BEL Optronic Devices Limited, Pune, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the BEL Optronic Devices Limited, Pune, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Hindustan Shipyard Limited,Visakhapatnam, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Review by the Government of the working of the Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited, Kolkata, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited, Kolkata, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(f) (i) Review by the Government of the working of the Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, for the year 2024-2025

(ii) Annual Report of the Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(g) (i) Review by the Government of the working of the Gliders India Limited, Kanpur, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Gliders India Limited, Kanpur, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(h) (i) Review by the Government of the working of the Troop Comforts Limited, Kanpur, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Troop Comforts Limited, Kanpur, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(i) (i) Review by the Government of the working of the Advanced Weapons and Equipment India Limited, Kanpur, for the year 2024- 2025.

(ii) Annual Report of the Advanced Weapons and Equipment India Limited, Kanpur, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(j) (i) Review by the Government of the working of Armoured Vehicles Nigam Limited, Chennai, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Armoured Vehicles Nigam Limited, Chennai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(k) (i) Review by the Government of the working of Munitions India Limited, Pune, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Munitions India Limited, Pune, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(l) (i) Review by the Government of the working of the Goa Shipyard Limited, Goa, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Goa Shipyard Limited, Goa, for the year 2024- 2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(m) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Electronics Limited, Bengaluru, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Bharat Electronics Limited, Bengaluru, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions): -

(i) Memorandum of Understanding between Mazagon Dock Shipbuilders Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2025-2026.

(ii) Memorandum of Understanding between Mishra Dhatu Nigam Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2025-2026.

(iii) Memorandum of Understanding between Goa Shipyard Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2025-2026.

(iv) Memorandum of Understanding between Hindustan Shipyard Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2025-2026.

(v) Memorandum of Understanding between Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2025-2026.

(vi) Memorandum of Understanding between Bharat Dynamics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2025-2026.

(vii) Memorandum of Understanding between Bharat Electronics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2025-2026.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam, for the year 2024-2025.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2024-2025.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2024-2025

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Mountaineering and Adventure Sports, Dirang,for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Mountaineering and Adventure Sports, Dirang, for the year 2024-2025.

(9) A copy of the Notification No. S.R.O.20(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 14th November, 2025, notifying that the Defence Research and Development Organisation to perform Aadhaar authentication on voluntary basis, for verifying the identity of candidates at the time of registration and various stages of examination or recruitment test conducted by Defence Research and Development Organisation under Article 309 of the Constitution.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

1202 hours

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> “In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Central Excise (Amendment) Bill, 2025 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd December, 2025 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL
12TH to 14TH Reports

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel:-

(1) Twelfth Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the 04th Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2025-2026) relating to the Ministry of Coal.

(2) Thirteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 05th Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2025-2026) relating to the Ministry of Mines.

(3) Fourteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the 06th Report (Eighteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2025-2026) relating to the Ministry of Steel.

STATEMENTS RE : STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 1ST TO 4TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON DEFENCE -- LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): Sir, I rise to lay the following statements regarding:-

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Defence (2024-25) on Demands For Grants (2024-25) ‘General Defence Budget, Border Roads Organization, Indian Coast Guard, Defence Estates Organization, Defence Public Sector Undertakings, Welfare of Ex-Servicemen and Defence Pension’ (Demand Nos. 19 and 22) pertaining to the Ministry of Defence.

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Defence (2024-25)

on Demands For Grants (2024-25) ‘Army, Navy, Air Force, Joint Staff and Ex-Servicemen Contributory Health Scheme’ (Demand Nos. 20 and 21) pertaining to the Ministry of Defence.

(3) the status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Defence (2024-25) on Demands For Grants (2024-25) ‘Capital Outlay On Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning’ (Demand No. 21) pertaining to the Ministry of Defence.

(4) the status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Defence (2024-25) on Demands For Grants (2024-25) ‘Directorate of Ordnance (Coordination and Services)- New DPSUs and Defence Research and Development Organisation’ (Demand Nos. 20 and 21) pertaining to the Ministry of Defence.

BUSINESS OF THE HOUSE

1204 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, with your permission, I rise to announce that the Government Business during the week commencing Monday, the 8th of December, 2025 will consist of:-

1. Consideration of any items of the Government Business carried over from today's order paper - it contains Further consideration and passing of the Health Security Se National Security Cess Bill, 2025.

2. Discussion on the 150th Anniversary of the National Song "Vande Mataram".

3. Discussion and voting on the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2025-26.

4. Introduction, consideration and passing of the Appropriation (No.4) Bill, 2025.

5. Consideration of the Resolution on the adoption of "Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act 2024 in the State of Manipur".

(1205/SRG/RAJ)

1205 hours

*MATTERS OF PUBLIC IMPORTANCE

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Hon. Members, we will now commence the 'Zero Hour'.

Shri T.R. Baalu ji. Please be brief, so that we can give a chance to others to speak.

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, it is a matter of great concern. The Government of Tamil Nadu, along with other law abiding citizens, is very much worried about the incidents that have taken place some two days ago. The issue is who was to light the Karthigai Deepam atop the Subramaniya Swamy Temple in Thiruparankundram near Madurai. Who was to light the Deepam, whether they recognized official Hindu Religious Endowment Board's representatives or some miscreants? Just now, they wanted to create some problem. They went to the court and got a judgement from the ... (*Expunged as ordered by the Chair*) … (*Interruptions*) The Judge himself has said … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): This amounts to casting aspersion on the Judiciary. … (*Interruptions*) Hon. Member, T.R. Baalu ji is a senior Member of the House. … (*Interruptions*) He cannot cast aspersion on the Judiciary. … (*Interruptions*) And he has named an ... (*Expunged as ordered by the Chair*) … (*Interruptions*) I am sorry to hear that. … (*Interruptions*) In the history of our Parliamentary democracy, we have maintained decorum and rules. … (*Interruptions*) Prevention of usage of unparliamentary words is in record. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let him speak. Kindly be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly be seated.

… (*Interruptions*)

---

* Please see p. 350 for the List of Members who have associated.

SHRI KIREN RIJIJU: To oppose something, he can speak. … (*Interruptions*) but he cannot speak unparliamentary words. … (*Interruptions*) He has cast an aspersion on Judiciary. … (*Interruptions*) How can he cast an aspersion on a Judge? … (*Interruptions*) It is a very serious matter. … (*Interruptions*)

Baalu ji, this will lead to unnecessary trouble, not only for you, but for your Party also. … (*Interruptions*) This is absolutely wrong on the part of the hon. Member, Shri Baalu ji. … (*Interruptions*) You make a point. … (*Interruptions*) Hon**.** Chair has given you an opportunity to speak. … (*Interruptions*) How can you cast an aspersion on a Judge of a High Court? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, Shri Baalu ji, your point has been taken.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Rest of the Members, please be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: If you want a discussion, let him speak.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, I will not allow that.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, please sit down.

SHRI KIREN RIJIJU: This House runs with Rules of Procedure. … (*Interruptions*) Did you hear what he said? … (*Interruptions*) We are ready to listen. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will let you know.

… (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: We cannot not agree to the statement made by hon. Member, T.R. Baalu ji. … (*Interruptions*) We take serious objection to it and this is a wrong precedent. … (*Interruptions*) If a Member is allowed to speak anything he wishes, this House cannot run like this. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am now going to talk. I am going to speak. All of you, please be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am going to speak. All of you, please be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will decide. I will let you know.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, Baalu ji, you are a very senior Member. You know that the matter is *sub judice*.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The Chair is speaking. Please listen to me.

… (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: He made accusations. I will request hon. Member, who is also an hon. Minister, who belongs to Tamil Nadu, also be allowed to speak … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will allow.

The second thing, you have spoken against an hon. Judge and you referred to him as an *… (Not recorded)*. This remark is withdrawn. This remark is deleted and this is objectionable. This is deleted.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: We cannot label any hon. Judge of the country in any form.

… (*Interruptions*)

(1210/GM/NK)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): He is senior to you. Let him speak.

… (*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): The hon. judge has himself conceded that he belongs to a particular … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Sir. Your point is made. But you allow him to speak.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Baalu, you have another one minute. Please submit your point.

… (*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, there is a judgement regarding the Deepathoon, which is on the hill, to the extent indicated in the above-said decree that they alone shall light the deepam in Thirupparankundram hill and we alone shall light the deepam primarily in the traditional place of *mandapam* at Subramania Swamy temple near Uchipillaiyar. There is a judgement made by Justice Kanagaraj in 1996. There is one more judgement of 2017. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: What is your demand?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are informing the House.

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I informed the House. The House has to take cognizance of the matter which has been in public for so many days. Actually, people who belong to a particular party … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your point is heard.

… (*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, Dr. L. Murugan.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I gave you time.

SHRI KIREN RIJIJU : Sir, he has made his point. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am giving you another one minute because of your seniority.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please raise your demand.

… (*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, they are creating a communal clash. Communal clash is being ignited by a particular party which is ruling this Government of Indians.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your point is heard. Hon. Minister, Dr. L. Murugan.

… (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, my simple submission is that the hon. Chair has allowed hon. Member Shri T.R. Baalu to make his point.

Normally, in Zero Hour, you do not argue; you make your point. That is fine. My only request is that since you made certain remarks about a judge, I would like to request the hon. Chair to delete that portion because that is an unpalatable remark and it is not the tradition of this House. … (*Interruptions*) Secondly, since the hon. Member has raised an issue here and the matter is going on, I would request the Minister of State for Parliamentary Affairs to make a clarificatory remark on his demand. … (*Interruptions*)

*THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): The DMK Government of Tamil Nadu has stopped and blocked the people who went to worship at

---

* Original in Tamil

Tirupparankunram temple of Madurai in Tamil Nadu. As against the orders of Madurai Bench of Hon. High Court of Madras, the Government of Tamil Nadu and the State Police have stopped the worshippers. The right of worship of these devotees is denied. As per the orders of the Madurai Bench of Hon. High Court of Madras, it was advised to go with 50 CISF personnel and to light the lamp at the top of this hill temple. But the State Government along with their Police Force denied entry to all those who went to the temple for lighting the lamp. Whoever went there were arrested by using force. This is atrocity on the side of the State Government.

Every devotee is going there to worship in this temple with the sloganeering of 'Vetrivel' and 'Veeravel'. This worship right has been with the people for time immemorial. In order to appease a particular religious community and for vote bank politics, this DMK Government of Tamil Nadu is blocking entry of the Hindus and snatching away their worshipping rights. There is complete failure of law and order situation in this area. The State Police Department has taken charge of law and order of this area. Instead of maintaining law and order in this area, the Police Force of Tamil Nadu has staged a big attack on the people who went to worship at this temple.

The State BJP Head who went to that place was arrested yesterday. Shri Kadeswara Subramaniam, the State President of Hindu Munnani and others were also arrested. Whoever went there was arrested. This is an attack on democracy and democratic ideals. This is an attack on worshipping right of the people. In the name of politics, the DMK government of Tamil Nadu is doing all this.

I urge that everything should be as per the orders of the Hon. High Court Bench in Madurai. They should be ready to implement the orders of High Court. Don't you have belief in Judiciary? As per law, the orders were issued by two Judges of the Madurai Bench of Hon. High Court of Madras. Even then, the people were not allowed to worship at this temple.

1414 hours

(At this stage, Shri D.M. Kathir Anand, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other hon. Members came and stood near the Table)

This is highly condemnable. Police Department is in total control of the DMK Government which is in power in the State of Tamil Nadu. Article 25 of

the Indian Constitution provides for the right of worship for every citizen of this country and it is a Fundamental Right as well. Every citizen can worship with freedom. But the DMK Government is blocking the citizens from exercising the right of worship which is a Fundamental Right. This should be discussed in the State of Tamil Nadu. Instead of doing that, they have come here to disrupt the proceedings of this House. I state that as per law, the State Government of Tamil Nadu should uphold and implement the orders of the High Court of Madras. Thank you.

(1215/GTJ/IND)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much hon. Chairperson, Sir. … (*Interruptions*)

I wish to draw the attention of the hon. Minister for Road, Transport and Highways to the persistent delays and alarming safety lapses in the National Highway 66 construction work across Kerala, particularly, the Aroor–Thuravoor Elevated corridor which has led to multiple accidents, environmental degradation and tragic loss of life. At least, 40 such accidents have been reported from 80 tonne concrete girders collapsing on vehicles in Arumaloor. Beam collapses on the Aroor–Thuravoor service road to a section of the entire NH 66 collapsing in particular the 12.75 kilometre long Aroor–Thuravoor 6-lane Elevated Highway, which is one of the longest flyover in India, is, plagued by poor planning, inadequate lighting and unsafe diversions. These repeated delays and failures suggest that there is something fundamentally wrong with the way the project implementation units in Kerala function and how they are supervised. The PIOs, under the purview of the National Highways Authority of India, must be held accountable for structural failure and negligence. Moreover, a revised completion timeline should be publicly announced along with updates and quartely progress.

Sir, I urge the hon. Minister to intervene and order a safety audit of all the ongoing NH construction zones in Kerala and to suspend high risk construction, until safety clearances are obtained, and to expedite the process of compensation disbursal for the many victims of these 80 accidents. There is also a need for a systemic review at the Ministry-level, of all actions of these projects implementation units, including increased accountability of the parties responsible for all these accidents in Kerala, to alleviate the public distress,

which is widespread, and ensure the safe and timely completion of these highway projects. Thank you.

(1220/KDS/HDK)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : धन्यवाद सभापति जी। एक सपना था कि हर घर में जल पहुंचना चाहिए, लेकिन वर्तमान असम में जल जीवन जो स्कीम है, इतनी विफल हो चुकी है कि हर घर जल पहुंचने के स्थान पर आज घर उजड़ रहे हैं। उन कॉन्ट्रैक्टर्स, जल कर्मियों, उन लगभग एक लाख फील्ड वर्कर्स के घर उजड़ रहे हैं, जिनको समय से पेमेंट नहीं मिल रही है। जुलाई, 2024 तक उनको पेमेंट मिला रहा था, लेकिन वर्ष 2024 के बाद अब ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आज सड़क पर आ गए हैं, जल मित्र सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि उनके पेंडिंग बिल्स क्लीयर नहीं हो रहे हैं। दुख की बात यह है कि बहुत कम लोगों के बिल्स ही क्लीयर हो रहे हैं, जिनके संपर्क वहां की वर्तमान सरकार के साथ है।

लगभग 8 हजार कॉन्ट्रैक्टर्स, 30 हजार इंजीनियर्स की स्थिति आज बहुत खराब है। लगभग 3 हजार 500 करोड़ रुपये का बिल अभी तक पेंडिंग है। इसका नुकसान उन नौजवानों को हो रहा है, जो कर्ज लेकर जल जीवन मिशन में सरकार की मदद के लिए आए। उन्होंने अपना घर गिरवी रखा, अपने पैसे लगाए, लेकिन आज इतनी खराब स्थिति है। दुख की बात है कि पूरे भारत में यदि कोई ऐसा राज्य है, जहां यह स्कीम विफल हो गई है, वह असम है। हमें दुख है कि असम के बारे में इस प्रकार की खबरें आज आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर काम करें। डबल इंजन होने का वे प्रमाण दें और जल जीवन के जो पेंडिंग बिल्स हैं, उन्हें जल्द से जल्द क्लीयर करें। धन्यवाद।

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : धन्यवाद सभापति जी। एक सेंसिटिव इश्यू आ गया, इसलिए बालू साहब को आपने मौका दे दिया। बाद में शशि थरूर जी और गौरव गोगोई जी को भी मौका दिया। आज की पब्लिश्ड लिस्ट में मेरा नाम एक नंबर पर है। मैं तैयार बैठा था। यह ठीक है कि अपोजीशन हंगामा करता है। यह सब हम कर चुके हैं। मैं वर्ष 2004 में राज्य सभा का मेंबर था। हंगामा दो बार किया, तीन बार सरकार बनी। तीन बार फेल होकर भी ये हंगामा करते हैं, ये कितनी बार फेल होंगे?

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : आप कृपया अपनी बात रखें।

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : सर, संयोग की बात करें। मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में एक दिन राज्य सभा में डिस्कशन हो रहा था। मैंने उसी दिन तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड के लिए मुद्दा उठाया था। तलचर, ओडिशा में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नामक खाद का एक यूनिट था। 70 के दशक में इंदिरा जी के टाइम में यह शुरू हुआ था। गलत परिचालन के कारण एफसीआई बंद हो गया। मैंने बार-बार इस मुद्दे को उठाया, जब मैं अपोजीशन में था। मोदी सरकार आने के बाद वर्ष 2014 को ज्वाइंट वेंचर का चिन्तन किया गया। तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड नाम से खाद का कारखाना निर्माणाधीन है। उस काम के पूर्ण होने में विलंब हो रहा है, जो मेरा मुद्दा है। 22 सितम्बर, 2018 को माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी वहां गए थे। तब अनंत कुमार

खाद मंत्री थे। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के गांव के पास वह यूनिट है। वर्ष 2021-22 तक काम पूरा होने के लिए कहा गया था। भिन्न-भिन्न कारणों से काम में देरी हो रहा है। इस बार लोक सभा आने के बाद मैंने दो-तीन बार इस मुद्दे को उठाया है। श्री जेपी नड्डा जी ने भी इसे संज्ञान में लिया है। मेरा निवेदन है कि साल भर के भीतर तलचर फर्टिलाइजर यूनिट को तेजी से पूरा किया जाए।

दूसरा, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के समय जितने भी कर्मचारी थे, उनके परिवारजन को यदि नौकरी में थोड़ा अग्राधिकार दिया जाए और ग्रामीण व स्थानीय लोग, जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं, उनको वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ा अग्राधिकार दिया जाए। इसके लिए संवेदनशील मोदी सरकार विचार करेगी, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।

(1225/CS/PS)

श्री बंटी विवेक साहू (छिन्दवाड़ा) : महोदय, मैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं आज दुखी मन से मेरे संसदीय क्षेत्र छिन्दवाड़ा के परासिया में पिछले दिनों अमानक कफ सिरप से जान गंवाने वाले बच्चों तथा उनके परिवारों के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करते हुए व्यवस्था बनाने का अनुरोध करना चाहता हूँ। यह घटना मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। इस घटना ने हम सभी को स्तब्ध किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दवाइयों के निर्माण की प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भोपाल राज्य फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी द्वारा किए गए परीक्षण के अनुसार जानलेवा कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डायथीलीन ग्लाइकोल निर्धारित मात्रा से 400 प्रतिशत अधिक मात्रा में पाया गया और यह कैमिकल बच्चों के लिए घातक साबित हुआ और इसके सेवन से कई बच्चों की मौत हुई।

महोदय, इस मामले में तमिलनाडु की दवाई बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी दोषी है, जिसने इस कफ सीरप को बनाया। प्रयोगशाला विश्लेषण में पता चला कि कफ सिरप के बैच में डायथीलीन ग्लाइकोल था, जो अनुमत सीमा से लगभग कई गुना अधिक था। इससे स्पष्ट होता है कि परीक्षण, विक्रय प्रक्रियाओं में और अधिक समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है।

इस दवाई का बिना जांच बाजार में आना और एक ही चिकित्सक द्वारा लिखना, एक ही विक्रेता एवं एक ही वितरक द्वारा बेचना संदेहास्पद है। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि इतनी खतरनाक और निम्न गुणवत्ता वाली दवाई का निर्माण, पैकेजिंग और वितरण बिना किसी पहचान के हो सका।

यह तमिलनाडु के राज्य स्तर की दवा नियंत्रण प्रणालियों में गंभीर विफलताओं, अपर्याप्त परीक्षण और निरीक्षण तथा फार्मास्यूटिकल विनियामन में राज्यों के बीच समन्वय की कमी की ओर इशारा करता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी दवा नियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने की अत्यंत आवश्यकता है। दवा के प्रत्येक बैच को बाजार में जारी करने से पहले अनिवार्य गुणवत्ता परीक्षण से गुजरना चाहिए और परीक्षण परिणामों और सामग्री की जानकारी में वास्तविक समय की पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जवाबदेह ठहराने के लिए कड़े कानूनों और सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता है। मिलावटी या विषैली दवाएं बनाने में दोषी पाए जाने वाले निर्माता को सख्त दंड और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में स्थायी प्रतिबंध की आवश्यकता है। राज्य स्तर की दवा नियामक प्राधिकरणों को एक एकीकृत राष्ट्रीय निगरानी तंत्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिए ताकि पूरे देश में प्रवर्तन में निरंतरता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

महोदय, निर्दोष बच्चों की मृत्यु केवल एक दुखद घटना नहीं है, यह पूरी नियामक प्रणाली के लिए एक चेतावनी है। यह लापरवाही, लाभार्जन और प्रणालीगत उदासीनता से सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करती है।

इसलिए मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि दवा निर्माण और परीक्षण के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु तत्काल और निर्णायक कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।

श्री तनुज पुनिया (बाराबंकी) : महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आज आपके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे उत्तर प्रदेश में आपने दिया है, इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बांदा-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा हूँ। इसमें बांदा से लालगंज एवं बाराबंकी से बहराइच तक का प्रस्तावित है। इसमें आपका प्रस्ताव सम्मिलित हो चुका है और इसकी डीपीआर भी बनवायी जा रही है। इसमें लालगंज और बाराबंकी के बीच का 110 किलोमीटर का जो खण्ड है, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उसका कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं दिया गया है। इस खण्ड पर बहुत ट्रैफिक भी रहता है, औद्योगिक और कृषि ट्रैफिक भी इस खण्ड पर बहुत देखा गया है, इस पर काफी भीड़ रहती है और इसी को सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारे बाराबंकी विशेषकर हैदरगढ़ क्षेत्र का जो ट्रैफिक है, वह बहुत प्रभावित हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लालगंज से बाराबंकी का जो 110 किलोमीटर का खण्ड है, इसको भी प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : महोदय, धन्यवाद।

महोदय, चंडीगढ़ शहर पूरे विश्व में अपनी सुन्दरता के लिए जाना जाता है। It is called 'The City Beautiful'. पिछले कुछ वर्षों में चंडीगढ़ की सुन्दरता धूमिल होती जा रही है। चंडीगढ़ में तीन छोटी-छोटी नदियां बहती हैं। उसके पूर्व में सुखना नदी है, जिसे पंजाबी में हम चोई कहते हैं। शहर के बीच में से एक उत्तरी चोई नदी बहती है और शहर के पश्चिमी तट के ऊपर पटियाला की राव नदी है।

(1230/MNS/SNL)

ये तीनों चोई इतने ज्यादा प्रदूषित हो गए हैं कि वहां पर श्वास लेना भी मुश्किल हो गया है। मैंने एक तारे वाला प्रश्न भी लगाया था, जिसे अंग्रेजी में स्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं, लेकिन सरकार

की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया कि वे इस प्रदूषण का किस तरह से समाधान करेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ के डड्डू माजरा में एक बहुत बड़ा गार्बेज डंप है। वहां पर कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। सरकार ने पहले एनजीटी को कहा, हाईकोर्ट को कहा, पार्लियामेंट्री कमेटी को कहा कि हम नवम्बर, 2024 तक उसे पूरी तरह से साफ कर देंगे। फिर उसकी अवधि बढ़ाकर मार्च 2025 हो गई। फिर उसकी अवधि बढ़ाकर जुलाई 2025 हो गई। उसके बाद अब उसकी अवधि बढ़ाकर 30 नवम्बर, 2025 कर दी, लेकिन कोई सफाई नहीं हुई।

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि चंडीगढ़ पहला ऐसा शहर है, जो भारत की स्वाधीनता के बाद एक नया शहर बसाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस शहर को बसाया था। उस शहर को अगर आप केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर रखना चाहते हैं, तो उसकी देखरेख करना भी आपकी जिम्मेदारी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जो एनवायरनमेंट मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इस बात को उनके संज्ञान में लेकर आएं, ताकि जो चंडीगढ़ की यह विश्व प्रसिद्ध सुन्दरता है, खूबसूरती है, वह बनी रह सके।

SHRI SRIBHARAT MATHUKUMILLI (VISAKHAPATNAM): Thank you, Chairman Sir. I have been meaning to bring this issue to the attention of the House for some time now. This is regarding the silent and growing health crisis of Type 1 diabetes, which is particularly affecting lakhs of children in India.

Type 1 diabetes is an autoimmune condition that often begins in early childhood and is not related to lifestyle. These children cannot survive without daily insulin and continuous glucose monitoring every day for the rest of their lives.

Unfortunately, India has the highest number of children with Type 1 diabetes in the world, with over 23 lakh children under the age of 19 living with this condition. Almost 16,000–20,000 new cases are reported every year. In my own parliamentary constituency of Visakhapatnam, we have thousands of affected children and the annual cost of managing Type 1 diabetes is significant - about Rs. 50,000 a year, which seriously impacts many middle-class families. The Government is providing insulin in hospitals, but the challenge is that supplies are irregular, there is insufficient trained staff, and there is very little outpatient care for this condition.

Currently, the Ayushman Bharat–Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) covers only inpatient care for Type 1 diabetes, but does not cover the daily outpatient care that is essential for managing this condition. Across many cities in my constituency, there are voluntary organisations - in

my case, the Diabetic Child Society, through which around 200 children receive dietary support and other assistance.

However, civil society alone cannot manage this; the Government has to be an active partner. We need to train and educate parents and children on how to manage this disease very carefully. This is important because people with this condition can lead a very normal and healthy life if it is managed well. Since it is not being managed properly, we are seeing many children suffer from entirely preventable complications such as kidney damage, vision loss, disability, and in extreme cases, even death.

The State of Rajasthan has taken the lead by allocating funds to establish Type 1 diabetes clinics. In fact, our hon. Speaker himself inaugurated such a clinic in his constituency.

Therefore, I urge the Government to include outpatient Type 1 diabetes care under AB-PMJAY, especially for children, and to ensure uninterrupted insulin and glucose supplies across all Jan Aushadhi Kendras and Public Health Centres.

The Government may also consider launching a national programme for Type 1 diabetes care or incentivising States to establish dedicated clinics to manage this condition. A vial of insulin is often the difference between life and death. I do not want any child to be denied a healthy life because of its scarcity.

Thank you for giving me this opportunity to speak on this important topic.
(1235/MY/SMN)

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश की सबसे पुरानी सड़क, देश की दोनों राजधानियों को जोड़ने वाली सड़क, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क, देश का सबसे पुराना राजमार्ग जो अब एनएच-30 के नाम से जाना जाता है, मैं उस सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, यह सड़क ऐतिहासिक जिलों से होकर गुजरता है, चाहे बरेली हो, रामपुर हो, शाहजहांपुर हो, सीतापुर हो, लखीमपुर हो या लखनऊ हो। काफी मांग के बाद इस सड़क को फोर लेन करने का काम शुरू हुआ, लेकिन बीच में ही ठेकेदारों की उदासीनता के कारण यह सड़क ऐसी ही पड़ी रही। विगत 10-15 सालों में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें कई लाख परिवार उजड़ गए।

सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने प्राथमिकता पर लेकर इस सड़क को फोर लेन करने का काम किया। आज उस सड़क पर ट्रैफिक काफी बढ़ा है और उससे अब कहीं न कहीं फोन लेन से भी काम नहीं चल रहा है।

सभापति जी, यह सबसे कम दूरी की सड़क है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ने का काम करेगी। इस हेतु हमारी आपसे मांग है। इसमें हमारा जो क्षेत्र पड़ता है, उसमें उचौलिया, जेबीगंज, मैगलगंज, महोली, उरदौली, कार्टरगंज है। यहां लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसलिए, हमारी आपके माध्यम से मांग है, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे बना कर बहुत शानदार एक्सप्रेस-वे बनाया था। हम चाहते हैं कि उसी तर्ज पर इस सड़क को सिक्स लेन बनाने का काम भारत सरकार करे।

सभापति महोदय, आपने मुझे अपना विषय रखने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, आज मैं इस देश के सामने बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं।

सर, यह संविधान है। जो विपक्ष है, वह लगातार संविधान बचाने की बात कर रहा है। संविधान के आर्टिकल 14,15 और 16 कहता है कि धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा।

सभापति महोदय, जब कंस्टीटूएन्ट असेम्बली बन रहा था, तब तज़ीमुल हसन साहब मुस्लिम लीग के एक एमपी थे। वह एक संशोधन लेकर आए कि मुसलमानों के लिए अलग लोक सभा और विधान सभा होनी चाहिए तथा उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्टिकल 6 के माध्यम से उसको गिराया और कहा कि पूरे भारत के जो नागरिक हैं, वे एक हैं। संविधान में जो आर्टिकल 14, 15 और 16 है, उसमें धर्म के आधार पर किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद कांग्रेस का हाथ, मुसलमानों के साथ और मुसलमान की राजनीति के साथ हुआ। … (व्यवधान) आर्टिकल 370 के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। जब तक हमने आर्टिकल 370 खत्म नहीं किया, तक तक जम्मू-कश्मीर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला।

सर, आज जो स्थिति है, वर्ष 2004 में एक अलग स्थिति पैदा की गई। आंध्र प्रदेश में पहली बार मुसलमान के नाम पर कांग्रेस ने चार प्रतिशत आरक्षण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एबॉलिश किया। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना में, उसी को बढ़ाते हुए कर्नाटक में मुसलमान को अलग से रिजर्वेशन देने की बात हो रही है।

सर, वर्ष 2011 में यूपीए की सरकार ने, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यूनिवर्सिटी चलाती हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चाहे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के रिजर्वेशन को नौकरी और एडमिशन में पूरा का

पूरा खत्म कर दिया। वर्ष 2012 में जब यूपी में चुनाव हो रहा था तो एक नोटिफिकेशन जारी करके तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 4.5 परसेंट ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। यह वही कांग्रेस है, जिसने मंडल कमीशन का विरोध किया। यह वही कांग्रेस है, जिसने वर्ष 2018 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का विरोध किया।

(1240/MLC/RP)

आज शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी को अलग से जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, जिसे काटकर मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं, ओबीसी को देने की बात कर रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : आपकी डिमांड क्या है?

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय**,** आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जिन राज्य सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति**,** जिन केन्द्र सरकार के लोगों ने वोट बैंक की राजनीति में इस संविधान की … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) की है। … (व्यवधान) राहुल गांधी जी की पार्टी ने ऑर्टिकल-14, 15 और 16 की … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) की है। … (व्यवधान) इन सभी को जेल भेजना चाहिए।… (व्यवधान) एक कमेटी बनानी चाहिए और इनके रिजर्वेशन को बचाना चाहिए। जय हिंद**,** जय भारत। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. ईशा खान चौधरी।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I will check the records. Whatever will be the fact, only that fact will go in record, not other things.

… (*Interruptions*)

SHRI ISHA KHAN CHOUDHURY (MALDAHA DAKSHIN): Sir, I would like to bring your kind notice a matter of great concern of lack of availability of arsenic-free drinking water in my Maldaha Dakshin Lok Sabha Constituency of West Bengal.

This crisis has developed in my Lok Sabha Constituency during the last 15 years due to the fact that new drinking water connections have been allowed to all village homes, and also because the population has increased since the original mega water supply plants were built many decades ago. In many villages across several blocks, many PHE pipelines are fully dry or supply an insufficient amount of water. The lack of availability of arsenic-free drinking water has caused great hardship to lakhs of people in my constituency who are forced to suffer either with negative health side effects of drinking arsenic water or are forced to buy water from private owners.

A new Public Health Engineering Arsenic-Free Drinking Water plant in Maldaha Dakshin was originally planned in 2017, and finally received administrative approval in 2023 for an amount of Rs. 804 crore to be jointly borne by the Central and State Governments on a 50-50 cost-sharing basis under JJM. This project is designed to provide arsenic-free drinking water to an additional 2,77,000 households in Kaliachak-I, Kaliachak-II, Kaliachak-III, English Bazaar, and Manikchak Blocks. The construction of the water supply plant was started in 2023 at Manikchak Block. However, the project is stalled due to lack of funding from the Central Government.

Since August 2024, only 60 per cent of this arsenic-free water supply plant has been constructed. The project completion date, which was earlier announced as December 2025, has no completion date now. The payments of the contractor in this project are pending. The public of Maldaha Dakshin have been suffering, and demanding a solution for the past many decades.

So, I believe it is the moral responsibility of the Central Government to take immediate action. Therefore, I request the Jal Shakti Minister to immediately intervene in order to expedite the release of Central funds under JJM for the arsenic-free drinking water plant project in Maldaha.

Thank you, Sir.

माननीय सभापति : माननीय श्री अभय कुमार सिन्हा जी।

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हर घर नल जल योजना के क्रियान्वयन में हो रही गड़बड़ियों और भारी कमियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सरकार ने हर घर नल जल योजना को एक महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक पहल बताया है, लेकिन जमीन पर इसकी हकीकत कुछ और ही है। मैं औरंगाबाद लोक सभा क्षेत्र और गया जिले की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक दिन लगभग दो, चार-पांच शिकायतें आती रहती हैं। यह शिकायतें आती रहती हैं कि महीनों से कहीं पर मोटर जली हुई है, जिसके कारण नल-जल योजना बंद है। कहीं पर कई महीनों से स्टार्टर जला हुआ है, जिसके कारण नल-जल योजना बंद है। कहीं पाइप लाइन फट गई है, तो कहीं पानी की टंकी गिर कर फूट चुकी है, जिस कारण नल-जल योजना बंद है।

(1245/GG/VPN)

महोदय, योजना में खराब गुणवत्ता की सामग्री लगाई गई है, जिससे कुछ ही महीनों में लीकेज या टूट-फूट हो रही है और हरेक वार्डों में यह समस्या है। हम आग्रह करना चाहेंगे कि कई गांवों में महीनों से एक बूंद भी पानी उस वार्ड में नहीं पहुंच रहा है, फिर भी सरकार रिकार्ड में

दिखाती है कि हर घर जल पहुंच चुका है। जिन घरों को हर घर नल से जल दिखाया गया है, वहां वास्तव में जल सप्लाई हफ्ते में एक-दो बार ही हो पाती है।

महोदय, यह योजना माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा घोषित एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिसका उद्देश्य था कि हर घर तक स्वच्छ पेय जल पहुंचे। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सहित देश भर में इस योजना का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। जिन क्षेत्रों में कार्य अधूरा या खराब तरीके से हुआ है, वहां पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर घर को नियमित रूप से पर्याप्त पीने का पानी कम से कम सरकार उपब्ध कराए।

धन्यवाद।

*SHRI BALWANT BASWANT WANKHEDE (AMRAVATI): Honorable speaker, the issue of the railway flyover in my city of Amravati has become a matter of great concern and is being discussed widely among the public.

This bridge was a British-era bridge and over the time it got deteriorated. Instructions were given to demolish it, but instead of demolishing the bridge, some people are trying to shift the railway station itself. This is being done through the land mafia or other people who have their own interests. In this regard, I informed Hon'ble Shri. Gadkari ji and Hon'ble Shri. Vaishnav ji, and accordingly, they ordered the state government to complete the work.

I request the Union Government through you that the bridge be constructed as soon as possible and the railway station be kept there without changing the location.

Thank you.

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली की महत्वपूर्ण समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली का मौजूदा मास्टर प्लान यह कहता है कि दिल्ली में जिन सड़कों पर 70 पर्सेंट से ज्यादा दुकानें चल रही हैं, उनको कमर्शियल रोड डिक्लेयर किया जाए और जिन सड़कों पर 50 पर्सेंट या उससे ज्यादा दुकानें चल रही हैं, उनको मिक्स लैंड यूज़ की सड़क घोषित किया जाए।

(1250/YSH/UB)

दिल्ली नगर निगम ने 351 सड़कों को कमर्शियल रोड और मिक्स लैंड यूज की रोड घोषित करने के लिए सरकार को सिफारिश की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम की सिफारिश को स्वीकार किया जाए, जिससे दिल्ली के व्यापारियों को राहत मिल सके और दिल्ली के व्यापारी सम्मान के साथ अपना कारोबार कर सकें। इससे दिल्ली सरकार को सैकड़ों-करोड़ों रुपये का कन्वर्जन चार्ज के रूप में रेवेन्यू मिलेगा। इसके साथ-साथ जिन दुकानों का सर्वे

* Original in Marathi

होना बाकी है और जिन सड़कों पर 70 परसेंट से ज्यादा दुकानें चल रही हैं, उनका भी सर्वे करवाकर, उनको कमर्शियल रोड डिक्लेयर किया जाए।

दिल्ली में लगभग 13 हजार दुकानें सील पड़ी हैं। इन दुकानों में डिफेंस कॉलोनी की मार्केट भी है तो ऐसे दुकानदारों से कन्वर्जन चार्जेस लेकर, उनको भी डिसील किया जाना चाहिए, जिससे दिल्ली के व्यापारियों को सरकार की ओर से राहत मिल सके। दिल्ली के व्यापारी लगातार यह मांग सरकार से करते रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि दिल्ली के व्यापारियों के हित में सरकार को तुरंत यह कदम उठाना चाहिए और दिल्ली की जिन सड़कों पर 70 परसेंट से ज्यादा दुकानें हैं, 50 परसेंट से ज्यादा दुकानें हैं, उन रोड्स को कमर्शियल रोड डिक्लेयर किया जाए या मिक्स लैंड यूज की रोड डिक्लेयर किया जाए।

श्री राहुल सिंह लोधी (दमोह) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री, नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लोकसभा क्षेत्र में दो राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हैं। एक ओरछा-गुलगंज-बक्सवाहा होते हुए दमोह और दूसरा दमोह से अभाना और जबेरा होते हुए जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। साथ ही साथ हमारा जो दमोह जिला है, तकरीबन पांच जिलों से जुड़ा हुआ है। एक जबलपुर से दमोह, दूसरा सागर से दमोह, तीसरा छतरपुर से दमोह, चौथा पन्ना से दमोह और पांचवां कटनी से दमोह जुड़ा हुआ है। वर्तमान में दमोह शहर में इमलाई बायपास से लेकर, अभाना बायपास से लेकर समन्ना और हटा नाका तक एक रिंग रोड का तकरीबन 20 किलोमीटर का पूरा रोड बनकर तैयार है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि यदि समन्ना बायपास से लेकर हटा नाका तक यदि चार किलोमीटर का यह रोड बन जाता है तो यह पूरा रिंग रोड बनकर तैयार हो जाएगा और जब वह रिंग रोड बनकर तैयार होगा तो इन पांचों जिलों से जो भारी वाहन आ रहे हैं, जिनको दमोह से जबलपुर जाना है या जिसको जबलपुर से कटनी जाना है, उनको बीच शहर में नहीं जाना पड़ेगा। वे रिंग रोड के माध्यम से बाहर के बाहर चले जाएंगे। जब यह व्यवस्था लागू हो जाएगी, तो हमें पूरा विश्वास है कि दमोह शहर के भीतर अभी जो जाम लगता है, उससे हमें निजात मिलेगी। इसलिए मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि समन्ना बायपास से लेकर हटा नाका तक चार किलोमीटर का एनएच रिंग रोड को जोड़ता है तो यह दमोह की कनेक्टिविटी के लिए और दमोह के लिए एक बेहतर काम होगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्रीमती संध्या राय (भिण्ड) : सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यह बहुत गंभीर विषय है। मेरा लोक सभा क्षेत्र भिण्ड, मैं समझती हूँ कि यह बहुत पिछड़ा क्षेत्र हैं। वर्तमान में भिण्ड न तो देश की राजधानी से जुड़ा हुआ है और न भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे भिण्ड क्षेत्र में लाखों किसान हैं, व्यापारी हैं, मातृ शक्ति हैं, युवा हैं और कई श्रमिक भाई हैं, जो अन्य जगहों पर काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से इटावा होते हुए चलाई जाए, जिससे इटावा क्षेत्र भी जुड़े और वह भिण्ड तक आए तथा भिण्ड से ग्वालियर, गुना और शिवपुरी होते हुए भोपाल जाए। इससे मेरा क्षेत्र दोनों

राजधानियों से कनेक्ट हो जाएगा। जब भी मुझे दिल्ली आना होता है या भोपाल जाना होता है तो मुझे भी ग्वालियर आकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। इससे मेरे दो से ढाई घंटे खराब होते हैं और आम जनता भी परेशान रहती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि दोनों राजधानियों को जोड़ने का जो विषय है, उनको चाहे तो वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाए, चाहे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से जोड़ा जाए या फिर कोई स्पेशल ट्रेन चलाकर इटावा, भिण्ड और भोपाल तक उन्हें जोड़ा जाए।

*SHRIMATI SATABDI ROY BANERJEE (BIRBHUM): Hon. Chairperson Sir, I wish to draw the attention of the House to a deeply concerning matter. This year, 444 Bengali-speaking migrant workers have been illegally detained in Odisha on the allegation of being Bangladeshis. A majority of them are residents of Murshidabad, Malda, South 24 Parganas, and some are even from my own district of Birbhum. Disturbingly, a pregnant woman has also been deported to Bangladesh. What is even more alarming is that several individuals possessing valid Aadhaar cards and voter identity cards have been subjected to the same treatment. Similarly. In Maharashtra, a Bengali migrant worker has been detained from a tea stall. Labourers and masons working there are being detained as Bangladeshis for speaking Bengali. The Hon'ble Supreme Court has categorically held that no person can be identified, detained, or deported on the basis of language alone.

(1255/STS/NKL)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री जुगल किशोर जी।

… (व्यवधान)

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। … (व्यवधान) आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र की बात रखने का मौका दिया। … (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू संभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। … (व्यवधान) मैं जम्मू संभाग में टूरिज्म को बढ़ावा देने का आग्रह करता हूं। … (व्यवधान)

टूरिज्म के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा मिले, इसके लिए मैं अपनी बात यहां पर रखना चाहता हूं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Madam Satabdi Roy, please go back to your seat. That is not your seat.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seat.

---

* Original in Bengali

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Madam Satabdi Roy, that is not your seat. Please go back to your seat.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seat.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Madam Satabdi Roy, I am taking your name. Please go back to your seat.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seat. You cannot go to his seat.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seat.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : जुगल किशोर जी आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : मैं आपके माध्यम से जम्मू संभाग में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और टूरिज्म के माध्यम से रोजगार को बढ़ाने की बात कर रहा हूं। … (व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र जम्मू में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अति आवश्यक है कि सांबा जिले में पवित्र तीर्थ-स्थल - पुरमण्डल और उत्तरवाहनी है, जो कि छोटी काशी के नाम से भी जानी जाती है। इसके विकास के लिए प्रसाद योजना के माध्यम से यूटी और जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा एक डीपीआर केन्द्र को भेजी गयी है।… (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से अपने पर्यटन विभाग से यह प्रार्थना करता हूं कि इसे स्वीकृत करें और फंड रिलीज करें, ताकि पुरमण्डल और उत्तरवाहिनी का विकास हो सके। इसके साथ ही रियासी जिले में शिव खोडी व अन्य पर्यटन स्थल, चाहे वह संरूईसर हो, मानसर हो, बाबा गोरन हो या बाबा चामलियाल हो, या जितने भी पर्यटन स्थल हैं, इनके विकास कार्यों के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से फंड रिलीज किया जाए, ताकि वहां का टूरिज्म बढ़े, टूरिस्ट बढ़ें, लोगों को रोजगार मिले और उन्हें शांति मिल सके।… (व्यवधान) मेरी आपसे प्रार्थना है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को एक निर्देश दें कि जम्मू-कश्मीर और विशेषकर जम्मू संभाग में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ध्यान दें और फंड रिलीज करें। धन्यवाद। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं इससे पहले जितेन्द्र कुमार दोहरे जी को बुलाऊं, उससे पहले मैं शताब्दी राय जी को अपनी बात रखने के लिए एक मिनट का समय देता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखें।

… (व्यवधान)

(1300/MM/VR)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : जितेन्द्र कुमार दोहरे जी को बुलाने से पहले...

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप लोग मेरी बात सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : जितेन्द्र कुमार दोहरे जी को अपनी बात कहने के लिए बुलाने से पहले मैं शताब्दी राय जी को एक मिनट का समय अपनी बात रखने के लिए देता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी डिमांड रखिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Madam, please place your demand.

… (*Interruptions*)

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी (बीरभूम) : सर, मुझे यही बोलना है कि आप किसी को बांग्ला लैंग्वेज बोलने की वजह से बांग्लादेश नहीं भेज सकते हैं। … (व्यवधान) अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। … (व्यवधान) अगर इस लॉजिक पर, बांग्ला बोलने पर … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: What is your demand? Please place your demand.

… (व्यवधान)

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी (बीरभूम) : सर, मेरी डिमांड है कि अगर बांग्ला बोलने पर किसी को बांग्लादेशी प्रूव करके बांग्लादेश भेजना चाहते हैं तो … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have placed your demand. Thank you.

Shri Jitendra Kumar.

श्री जितेंद्र कुमार दोहरे (इटावा) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आपने प्राइमरी स्कूल्स को बंद कराने की कोशिश की। आपने शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी। अब शिक्षकों की नौकरी लेने के लिए टीईटी के द्वारा शुरूआत कर दी।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस समय बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक दिनांक- 01.09.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी के संबंध में दिये गये निर्णय के कारण अत्यन्त ही विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में ये उल्लिखित किया गया है कि टीईटी उनके लिए भी अनिवार्य है जो टीईटी लागू होने (केन्द्र में 23.08.2010 और उत्तर प्रदेश में 29.07.2011) के पूर्व से कार्यरत हैं और यदि दो वर्ष में टीईटी उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जायेगी। सम्भवतः आप संज्ञानित भी हों, आज से 25-30 वर्ष पूर्व हुई भर्तियों में योग्यता के जो भी मापदंड निर्धारित किए गए थे, उस समय उन मापदंडों को पूर्ण करते हुए शिक्षक भर्ती हुए थे। जिन शिक्षकों ने अपनी निष्ठा अपने कुशल शिक्षण कौशलों और अनुभव के दम पर तमाम योग्य एवं सुसभ्य, संस्कारित नागरिकों के निर्माण में

अहम योगदान दिया, उन शिक्षकों को आज एक लम्बे अरसे के बाद नव निर्धारित पात्रता परीक्षा (शिक्षक पात्रता परीक्षा - TET) को पास करने के लिए अनावश्यक रूप से बाध्य किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षक किसी गरीब घर से नहीं आते हैं, ये शिक्षक गरीब भी होते हैं, ये किसान के बच्चे भी होते हैं। ये भाजपा या कांग्रेस के बच्चे नहीं होते हैं, ये सर्वसमाज के लोगों को पढ़ाते हैं। इनकी नौकरियों पर खतरा पैदा न किया जाए। यह डबल इंजन की सरकार रोजगार छीनना चाहती है। नौकरी छीनना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग नौकरी छीनने की कोशिश न करें।

*SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH *ALIAS* PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon. speaker, Sir, I would like to draw the attention of the Minister of Rural Development through you. The farmers whose land falls in the two areas of the municipality and the nagar panchayat cannot take the benefit of the Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme, whether it is digging a well, planting an orchard or building farm roads. Many farmers in my Dharashiv Lok Sabha constituency whose land falls within the limits of the municipality and the nagar panchayat cannot take the benefit of the MNREGA scheme. I request the Ministry of Rural Development through you to amend the rule of the MNREGA scheme and provide the benefit of the farm land falling within the limits of the nagar panchayat and the municipality to the farmers.

Thank you.

(1305/MK/PBT)

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी (नन्दुरबार) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के क्रियान्वयन तथा मेरे नन्दुरबार लोकसभा क्षेत्र, जो अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी बहुल, भौगोलिक रूप से दुर्गम, आर्थिक रूप से पिछड़ा और अत्यंत कमजोर संपर्क वाला जिला है। मैं ग्रामीण सड़कों की स्थिति से संबंधित विषय पर बात करना चाहता हूं।

अत: मैं आपके माध्यम माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहता हूँ:-

क्या सरकार नन्दुरबार लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशेष पीएमजीएसवाई ग्रिड पैकेज को तात्कालिक रूप से स्वीकृत करेगी, ताकि सभी पाड़ों को अनुसूचित क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र ग्रिड-आधारित सड़क नेटवर्क से जोडा जा सकें? I am including for new roads and bridges as well as special repair programmes in PMGSY.

---

* Original in Marathi

क्या सरकार अनुसूचित क्षेत्र के लिए पीएमजीएसवाई के जनसंख्या मानदंड को 250 से घटाकर 100 करने पर विचार करेगी?

क्या सरकार पीएमजीएसवाई की सामग्री मानकों को उन्नत करेगी? विशेषकर, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में तथा SS1, RS1 इमल्शन के स्थान पर B2N, VG-30, VG-40 अथवा PMB का उपयोग अनिवार्य करेगी?

क्या मंत्रालय बिटुमिनस परतों के लिए हॉट मिक्स तकनीक को अनिवार्य करेगी, ताकि ग्रामीण सड़कों की समयपूर्व खराबी रोकी जा सके? विशेषकर, उन इलाकों में जहाँ ग्रामीण सड़कें भारी यातायात वहन करती हैं?

क्या सरकार मैकेनिक एम्पिरिकल डिजाइन, अनिवार्य सीबीआर परीक्षण, सॉयल स्टैबलाइजेशन, बेहतर ड्रेनेज और प्रदर्शन-आधारित रख-रखाव अनुबंधी को लागू करेगी?

क्या सरकार उन घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे नन्दुरबार में डिजिटल प्रणालियों के साथ अनिवार्य भौतिक निरीक्षण को लागू करेगी? There are forest clearances in my Shirpur *tehsil*, that is Batwapada area, pending for a very long time. I think that needs to be cleared.

सभापति महोदय, मेरा लास्ट पॉइंट यह है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़कें विकास की रीढ़ होती हैं, लेकिन नन्दुरबार जैसे आदिवासी, पहाड़ी और बिखरे हुए जिले में सड़कें जीवन और मृत्यु, अवसर और उपेक्षा, पहुँच और वंचना के बीच का अंतर निर्धारित करती हैं। बिना सड़कों के कोई भी सरकारी योजना, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न रोजगार, न डिजिटल कनेक्टिविटी जनता तक नहीं पहुँच सकती।

सभापति महोदय, अभी महाराष्ट्र में पीएमजीएसवाई फेज-4 चल रहा है और मध्य प्रदेश में पीएमजीएसवाई फेज-8 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में भी पीएमजीएसवाई के फेज को बढ़ा दिया जाए। यह मैं विनती करता हूं। धन्यवाद।

SHRIMATI RACHNA BANERJEE (HOOGHLY): Good afternoon, Sir. Thank you for the opportunity. On behalf of the people of my constituency, Hooghly, I want to draw the attention of the Government towards the stoppage at Bandel Junction for the Sealdah - Ajmer Express (12987/12988). This is a matter that I have raised multiple times before. However, it is extremely saddening that over one year has passed, neither have I received any response from the Government nor the demand for a simple stoppage at Bandel Junction has been met.

The Bandel Junction is a key transit point for nearby localities such as Bansberia, Pandua, Champadani, Rishra, Shrirampur, and Chuchura. There is a growing need for improved connectivity to major religious destinations like Parasnath, Prayagraj, and Ajmer, as well as tourist centres such as Agra,

Bharatpur, and Jaipur. A large number of people along with their families and many devotees from the region regularly travel to Ajmer to visit the sacred Dargah of Khwaja Garib Nawaz (Ajmer Sharif) and other Hindu holy cities on the route as I mentioned before.

The Sealdah-Ajmer Express passes through these religious towns and tourist destinations. A little route diversion of this train with a stoppage at Bandel Junction would make it much easier for the devotees to travel to Ajmer and other holy cities. This change would have saved valuable time and effort for commuters, who otherwise need to travel for more than one-and-a-half hours to reach Bardhaman or Sealdah to board the train.

I, therefore, urge upon the hon. Minister of Railways to consider this long pending demand. This step would greatly help the people by saving their valuable time and significantly improving the convenience and connectivity to the region. Thank you, Sir.

(1310/ALK/SNT)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA): Sir, I would like to bring to the notice of this House a very serious issue of a viral audio of a police officer of Patiala, Punjab where he is instructing all his DSPs, all his SSPs, and all his SHOs about the elections of the Zila Parishad which are taking place. जो धक्का-मुक्की होनी है, वह तो होती ही है और अगर किसी के कागज फाड़ने हैं, रद्द करना है, रोकना है, तो उनको उनके घर पर, सड़क पर या उनके गांव में रोको, यह इलेक्शन के परिसर में न किया जाए, जैसा लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में हुआ था। This is an elected officer in uniform जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो लोग संविधान के बारे में बात करते हैं, उनकी ही अलाय और इंडिया एलायंस की आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी धज्जियां उड़ा रही है। A man is using the Government and the police, who are supposed to ensure free and fair elections. बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने सभी को एक राइट दिया है कि सभी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, प्रत्येक वोटर वोट कर सकता है, लेकिन जब सरकारी प्रशासन लोगों को वोट देने से और कागज जमा करने से रोक रहा है, तो इनके पूर्व मंत्री … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) पंजाब में जाकर कहते हैं कि शाम, दाम, दण्ड, भेद, झूठ, सच। This is what the police is doing under them. This conspiracy by the Aam Aadmi Government to derail the constitutional rights of a free and fair election at the highest level should be investigated. मैं होम मिनिस्ट्री से मांग करती हूं कि वह जितने एसएसपी, डीसी, एसएचओ जिन्होंने कहा कि हम अपने एमएलए से पूछकर, जैसा वे कह रहे हैं हम वैसा ही कर रहे हैं। They are very satisfied with us. The

SSP is telling them: “Take whatever action. I will cover up for you all and give you a clean chit. Make sure you are not in uniform. Otherwise, I cannot help you”.

सर, आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में किया है, मैं उसके लिए मांग करती हूं कि उस ऑडियो क्लिप को, जिसको वे क्लीन चिट दे रहे हैं, उसकी केंद्र सरकार की जो एफएसएल एजेंसी है, उससे उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए। The Home Ministry must take strict against these people and I demand a CBI inquiry on what this Government is doing. The Election Commission must delist such parties. आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने से डी-लिस्ट किया जाए, जो अपने राज्य में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को वायलेट कर रहे हैं, ऐसी पार्टीज़ को डी-लिस्ट करना चाहिए। जो सरकारें अपनी सरकार का इस्तेमाल लोगों के हक मारने के लिए और कुचलने के लिए करती हैं, उनको डी-लिस्ट किया जाए। अभी तरनतारन के उपचुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वहां के एसएसपी का ट्रांसफर नहीं किया, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि यह पुलिस स्टेट बनाकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। I demand through this House that an inquiry be done on that audio clip and action be taken by Home Ministry on all those officers who are toeing the line of this Aam Aadmi Government. इन्होंने शाम, दाम, दण्ड, भेद, झूठ, सच के जरिये पंजाब का बेड़ागर्क कर दिया है। They have sold our State. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Madam, you have placed your point.

… (*Interruptions*)

कुमारी सैलजा (सिरसा) : सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान घग्गर नदी के बढ़ते प्रदूषण और इससे प्रभावित हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला जिलों के लाखों लोगों के सामने खड़ी गम्भीर स्वास्थ्य आपदा की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। घग्गर नदी में जल प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और सीपीसीबी के मापदंड के मुताबिक भी यह कई गुना ज्यादा हो चुका है। इन प्रभावित जिलों के गांवों में कैंसर और हेपेटाइटिस – सी का तेजी से बढ़ना गम्भीर चिंता का विषय है। घग्गर नदी के किनारे बसे कई गांवों में कैंसर, हेपेटाइटिस – सी, त्वचा रोग, किडनी रोग और पाचन संबंधी गम्भीर बीमारियों में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की जा रही है। मैं हर महीने 20 से अधिक पत्र माननीय प्रधान मंत्री जी को रिलीफ फंड से सहायता के लिए लिखती हूं।

(1315/CP/RTU)

सिरसा जिले में घग्गर नदी 169 किलोमीटर बहती है। इन गांवों में कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। ओटू, रोड़ी कुत्ताबढ़ और ऐलनाबाद क्षेत्र के कई गांव इसमें शामिल हैं। प्रदूषित घग्गर का पानी न तो पीने योग्य है और न ही इसे सिंचाई योग्य माना जाता है, क्योंकि भाखड़ा नहर का पेयजल आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। ग्रामीणों को भूजल या नदी के आसपास के प्रदूषित जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। भूजल में भारी धातुएं और रसायन

पाए जाने के कारण कैंसर व लीवर रोगों में लगातार वृद्धि हो रही है। घग्गर नदी में प्रदूषण नियंत्रण करने वाली सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित अधिकांश एसटीपी या तो बंद पड़े हैं या क्षमता अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। नदी संरक्षण योजना का अधिकतर कार्य सिर्फ फाइलों में है।

मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह तुरन्त हस्तक्षेप करे और घग्गर नदी में प्रदूषण रोकने के लिए आपातकालीन कार्यवाही शुरू करे। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला जिलों के प्रभावित गांवों में व्यापक जल गुणवत्ता सर्वे कराया जाए। पंजाब और हरियाणा के सभी एसटीपी की केंद्रीय एजेंसी द्वारा सीधे मॉनीटरिंग कराई जाए। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत विशेष वित्तीय व तकनीकी पैकेज जारी किया जाए। सिरसा जिले के घग्गर किनारे के गांवों को तुरन्त भाखड़ा नहर का पेयजल उपलब्ध कराया जाए, ताकि कैंसर और गम्भीर बीमारियों को रोका जा सके।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर मुझे दिया है। मैं देव भूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हम पहाड़ के लोगों ने अपनी जवानी, कुर्बानी और पानी देश के लिए देने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। इस बात को 50 साल से ज्यादा हो गए। पोंग डैम को बनाने के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा था। उस समय 339 गांवों से 20,772 परिवारों को खाली करा दिया गया। उनको राजस्थान में जमीन देने का वायदा किया गया। उनको वहां से विस्थापित किया गया और राजस्थान में स्थापित करने की बात कही गई। उनकी जमीन पानी में डूब गई। वे घर से बेघर हो गए। बाकी राज्यों में बिजली पहुंच गई, लेकिन उनके घरों में अंधेरा छाया रहा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के लोगों का क्या कसूर था? वे अपने घर-परिवार से बिछड़ गए और उनकी जमीनें चली गईं। राजस्थान में उनको जमीन देने का वायदा किया गया था, वह जमीन उन्हें नहीं मिल पाई, न उनके घर बस पाए, न उनको पैसा मिल पाया। आज भी 6,700 से ज्यादा परिवार जमीन मिलने का, स्थापित होने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी दो पीढ़ियां चली गईं, लेकिन वे स्थापित नहीं हो पाए। क्या देश में यह सही हो रहा है? कितनी सरकारें आकर चली गईं, मैं भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे उस समय कांग्रेस का निर्णय रहा होगा, लेकिन राजस्थान में एक के बाद दूसरी सरकारें आकर चली गईं। राजस्थान जाकर अपनी जमीन को ढूंढने के लिए लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। ये लोग अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, वे उनको अगली डेट डाल देते हैं। कितनी पीढ़ियों को और इंतजार करना पड़ेगा, कितने वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा?

मेरे साथ कांगड़ा के सांसद राजीव भारद्वाज जी भी यहां पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंटरवेंशन कर दी। वर्ष 1996 की जजमेंट जो प्रदेश पोंग वाद विस्थापित समिति का था, उसमें भी रीहैबिलिटेशन इनकंप्लीट रही। आज तक 6,700 लोगों को अपनी जमीनें नहीं मिल पाई हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां पर नहीं मिला। इसमें ब्यूरोक्रैटिक आब्सटेकल्स हैं। हिमाचल प्रदेश आफिसर्स ने एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिसम्बर, 2024 में दी। इसमें उन्होंने इसको जल्द से इंप्लीमेंटेशन करने

की बात कही। पेंडिंग एलॉटमेंट की जाए, इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया जाए। जल शक्ति मंत्रालय और गृह मंत्रालय इसमें इंटर मिनिस्टीरियल रिव्यू करे, सेंट्रल हाई पॉवर कमेटी स्थापित की जाए, जॉइंट टास्क फोर्स राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार की बनाई जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के विस्थापित परिवारों को जमीन मिल सके। उनको उनका हक मिले। अगर सदन को लगता है कि विस्थापितों को उनका हक मिलना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ संबद्ध होकर कहें, क्योंकि कांगड़ा के सांसद माननीय राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। हम आपके माध्यम से इस मांग को रखते हैं।

(1320/AK/SK)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी): माननीय सदस्यगण, अब मैं केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने का मौका दे रहा हूं, जिन्हें इस सप्ताह अभी तक मौका नहीं मिला है।

कृपया केवल एक ही मिनट में अपनी बात रखें ताकि सबको बोलने का अवसर मिल सके।

*DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM (INNER MANIPUR): (Thank you Chairperson Sir, from May 3, 2023 the crisis started and people who had fled their homes, they were in thousands. Now, they want to go back to their respective homes. Instead of allowing them to go back to their respective habitation, the Government is firing tear-gas upon them and they are also being beaten up. This is the prevailing situation in Manipur. This is rather in support of the misguided people particularly some Kuki groups who want these people not to go back to their original homes. What we should not forget is that, it is now more than 2 years these unfortunate people who had fled from their homes are still suffering. This situation happened because of the failure of the Government to perform its duty. In addition, instead of rehabilitating them to their original places, they are being disallowed to return to their homes. This is very unfortunate.).

So, I would like to draw the attention of this House to the fact that there are more than thousands and thousands of people who are still languishing in relief camps. I appeal to the Government of India that they should draw up a concrete, honest and transparent plan to ensure that these people go back to their homes before we mark the third anniversary of the crisis that began on 3rd May, 2023. Thank you, Chairperson.

HON. CHAIRPERSON: Thank you for restricting to the time limit.

---

* ( ) Original in Manipuri

डॉ. आनन्द कुमार गोंड (बहराइच) : माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम, मैं आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बहराइच की अनूठी गेहूं के डंठल की हस्तकला को 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) योजना के तहत चयनित कर उसे नई पहचान और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्रदान करने का कार्य किया गया है। ओडीओपी के माध्यम से बहराइच की यह विशिष्ट कला न केवल राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्जीवित हुई है बल्कि इस निर्णय से स्थानीय कारीगरों का मनोबल बढ़ा है। विशेष रूप से महिला कारीगरों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए सम्मानजनक आजीविका के नए अवसर भी खुले हैं।

महोदय, अब आवश्यकता है कि इस परंपरागत कला को वैश्विक स्तर पर भी स्थापित किया जाए। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि बहराइच के गेहूं डंठल हस्तशिल्प को शीघ्रातिशीघ्र जीआई टैग प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए ताकि इसे वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान मिल सके। इसके साथ ही उक्त उत्पाद के लिए विशेष निर्यात प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की ठोस पहल की जाए ताकि यह लोककला 'लोकल से ग्लोबल' की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना का सशक्त उदाहरण बन सके और बहराइच को एक विशिष्ट पहचान मिल सके। इससे इस हस्तकला से जुड़े कारीगरों की आमदनी तथा सम्मान दोनों में स्थायी वृद्धि होगी।

SHRI NILESH DNYANDEV LANKE (AHMEDNAGAR): Hon. Speaker, I would like to draw your attention to a very important issue. The god of a united India and the king who led all the people, our idol king Shri. Chhatrapati Shivaji Maharaj, who is known for his commendable work all over the world.

He had built many forts, in Maharashtra but today they are in a very bad condition. I request the Union Government to provide funds for the conservation and restoration of these forts.

Thank you.

(1325/SJN/SRG)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : श्री अनिल फिरोजिया – उपस्थित नहीं।

श्री दिलीप शइकीया जी।

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : सभापति महोदय, जैसा कि इस सदन को मालूम है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और विकास कार्यों को गति देने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में वहां अभी तक 12 शांति समझौते और संधियां हुई हैं। वहां के 11,000 युवा मेनस्ट्रीम में आए हैं। ऐसे 12 शांति समझौते और संधियां हुई हैं तथा वहां जो भी अन्य विषय हैं, उनको वहां शत-प्रतिशत लागू किया जाए। मैं ऐसी मांग करता हूं।

दूसरा, मेरे संसदीय क्षेत्र के तहत रंगिया जंक्शन है। रंगिया में मेरा डिविजन ऑफिस भी है। उस जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। उस जंक्शन पर हर राजधानी

एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव कराया जाए। कोविड महामारी के समय जिन रेलवे स्टेशनों में विभिन्न ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था, उसको फिर से शुरू किया जाए।

श्री किशोरी लाल (अमेठी) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी और रायबरेली की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बनारस-प्रतापगढ़ पैंसेजर ट्रेन (ट्रेन संख्या 55141) है, जो कि बनारस रेलवे स्टेशन से सुबह छः बजे चलती है और वह नौ बजकर पन्द्रह मिनट पर प्रतापगढ़ पहुंचकर टर्मिनेट हो जाती है। यह ट्रेन वहां पर आठ घंटों तक खड़ी रहती है।

महोदय, मेरी इस सदन के माध्यम से यह मांग है कि इस ट्रेन को रायबरेली जंक्शन तक चलाया जाए। कोरोना काल में बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन्स बंद कर दी गई थीं। अगर इस ट्रेन का ठहराव वहां तक बढ़ा दिया जाएगा, तो इन जंक्शनों के बीच जो छोटे-छोटे अन्य रेलवे स्टेशन्स हैं, वहां के यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, on behalf of my Party, All India Trinamool Congress and on behalf of my living God, the people of my constituency, I wish to raise an urgent issue of the Central Government & apos;s reduction and delayed release of funds under the Jal Jeevan Mission to West Bengal.

The State has consistently met utilization norms and fulfilled required reforms, yet allocations for the current year have been sharply curtailed, disrupting ongoing drinking water projects. This sudden cut has stalled pipeline work, delayed new connections, and affected payments to implementing agencies. Districts facing water scarcity, including Sundarbans, and arsenic contamination are particularly impacted, putting lakhs of rural households at risk and threatening progress made under the Mission.

महोदय, जल का एक और नाम जीवन है। यह सरकार उस जीवन को छीनने का प्रयास कर रही है। वर्ष 2026 में इसकी हालत और भी बुरी हो जाएगी।

HON. CHAIRPERSON: Please place your demand.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I urge upon the Central Government to restore full funding and ensure timely disbursal, so that Jal Jeevan Mission objectives are achieved and rural communities do not suffer due to financial constraints.

श्री आशीष दुबे (जबलपुर) : सभापति महोदय, आपने प्रजातंत्र के इस मंदिर में मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र जबलपुर है,

जिसका अपना गौरवशाली, वैभवशाली और समृद्धशाली इतिहास है। वह कृषि, रक्षा, शिक्षा और इसके साथ ही साथ पर्यटन जगत में अपना एक विशेष महत्व रखता है।

1329 बजे (श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

महोदय, मैं आज आपके माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में अपनी एक मांग रखना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से जबलपुर में एक डिफेंस क्लस्टर बनाए जाने की मांग करता हूं।

(1330/DPK/GM)

इसके पीछे का कारण यह है कि जबलपुर में हमारे तीन रक्षा संस्थान हैं। वहां पर हमारी व्हीकल फैक्ट्री है, गन कैरिज फैक्ट्री है और हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। इस वजह से मुझे लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र में एक ठोस कदम उठाने के लिए हमारे जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर की अनुकूलता है, जिसकी मांग मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ मैं इसके पीछे का एक और कारण आपको बताना चाहता हूं।

जबलपुर में पांच-पांच विश्वविद्यालय हैं। वहां के युवाओं में प्रतिभा है, वहां हर विधा का युवा है। इससे उन युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे और हमें हर विधा में पारंगत युवा मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं पुन: अपने जबलपुर संसदीय क्षेत्र के लिए वहां पर डिफेंस क्लस्टर की जो अनुकूलता है, उसकी मांग आपके सम्मुख रखता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*SHRI MURASOLI S. (THANJAVUR): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. In Tamil Nadu particularly in the delta districts, there has been record production of paddy during this Kuruvai season. Procurement of paddy stood at 4.81 lakh metric tonnes during the year 2024-25 and this has increased to a record level of 16.11 lakh metric tonnes this year. This is record level of paddy procurement in Tamil Nadu during this Kuruvai season. There is a demand from the farmers of Cauvery delta region of Tamil Nadu. Their important demand is to increase the permissible level of moisture content from 17 percent to 22 per cent while procuring paddy. This year also, the same demand has been put forth by the State government of Tamil Nadu. After receiving such a demand, the Union government had sent a team of Officials to the State of Tamil Nadu. But even after the visit of central team to our State, our demand was not acceded to. I urge that the State government of Tamil Nadu should be allowed to increase the permissible level of moisture content of paddy at the time of procurement, as per the requirement. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu has also requested to increase the permissible level of moisture content of paddy meant for procurement and I urge that this demand should be fulfilled.

---

* Original in Tamil

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Sir, coconut is the backbone of Andhra Pradesh horticulture economy with my State having the highest coconut productivity in India and contributing over 10 per cent of our country's gross value output. At the centre of this stands my Dr. B. R. Ambedkar Konaseema District which alone produces 50 per cent of Andhra Pradesh coconut. In Dr. B. R. Ambedkar Konaseema District, coconut is a cultural and economic lifeline sustaining families, cottage industries, and traditional livelihood. However, this vital coconut belt is now under severe distress. Dr. B. R. Ambedkar Konaseema District's deltaic, geographic, high-salinity and shifting groundwater tables have cost widespread osmotic stress, resulting in premature fall and weakened trees. During the dry months, salt water enters the coconut groves due to the inadequate drainage. Since 2019, the groves have remained under sustained saline stress.

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Please raise your demand.

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): I am coming to that, Sir. Recently, the NDA State Government has sanctioned the balance revetment works worth Rs.22 crore but the delay has caused significant soil degradation. The land will take another two to three years to recover fertility after which replanting must begin, resulting in substantial losses to farmers.

Sir, I request that these can be really avoided if there is a local Coconut Development Board office in Dr. B. R. Ambedkar Konaseema District. This kind of an office will help us to resolve these issues in scenarios mentioned earlier. Therefore, I request the hon. Agriculture Minister to establish a dedicated Coconut Development Board regional office or a State centre in Dr. B. R. Ambedkar Konaseema District to enable faster response to the coconut farmers.

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल (वलसाड) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे शून्य काल में प्रश्न पूछने का मौका दिया है।

मैं वलसाड लोकसभा क्षेत्र, गुजरात से आता हूं। वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन साथ ही वलसाड जिले के अंदर वलसाड से लेकर उमरगाम तक का लगभग पूरा क्षेत्र इंडस्ट्रियल पार्क है। खासकर, गुंडलाव, पारडी, वापी, सरीगाम और उमरगाम ऐसी प्रमुख जीआईडीसीज़ हैं, जो हमारे विस्तार के लिए, गुजरात और भारत के विकास में अहम योगदान दे रही हैं।

(1335/SPS/GTJ)

इसमें हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के वर्कर्स हैं, महाराष्ट्र के वर्कर्स हैं और पूरे भारत से आए वर्कर्स काम कर रहे हैं। इस विस्तार के अंदर वापी में सिर्फ एक ही ईएसआईसी का हॉस्पिटल है, बाकी डिस्पेंसरीज हैं। वहां पर जो फैसिलिटीज हैं, वे कम पड़ रही हैं। मैं आपके माध्यम से डॉ. मनसुख मंडाविया जी से मांग करता हूं कि वापी में 500 बेड का एडवांस स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाया जाए। मैं इसके साथ ही यह मांग करता हूं कि सरीगाम और उमरगाम में भी ध्यान देकर वहां भी ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स बनाए जाएं।

*__सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे (शोलापुर) :__ I wanted to talk about flood like situation due to heavy rains in the month of September in my state Maharashtra. It harmed both farmers as well as citizens. The farms, houses, crops, everything got washed away due to the flood. The relief declared by Government of Maharashtra is very less. We haven't received relief from centre because Government of Maharashtra still not able to send the proposal to centre. Yesterday, Home Affairs ministry confirmed that there is no praposal received from NDRF, Maharashtra. This is injustice to farmers of my constituency, Solapur & Usmanabad districts in Maharashtra. We have demanded there should be an announcement of wet drought, and loan waiver to farmers as well as students must be declared. Central and state governments are busy in the election campaigns only and not concerned about the pitiable conditions of farmers in Maharashtra.

वहां पर साल में चार बार केवाईसी की जाती है। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। वह क्राइटेरिया रद्द कर केन्द्र सरकार से हमारे किसानों को तुरंत मदद मिलनी चाहिए।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। गण्डक नदी चम्पारण और बिहार की लाइफ लाइन है, लेकिन जब बाढ़ का समय आता है, तो चम्पारण कटिबंध पर हर बार हम लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। 60 सालों में चम्पारण कटिबंध का मजबूतीकरण नहीं हुआ है। हम लोगों को 5-6 रातें जागकर बितानी पड़ती हैं कि कहीं वह चम्पारण तटबंध टूट न जाए। इसके टूटने से न केवल वाल्मिकी नगर टाइगर रिज़र्व को नुकसान होगा, बल्कि लाखों की आबादी भी उसमें बर्बाद हो जाएगी।

मेरा आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी से अनुरोध होगा कि बॉर्डर एरिया रिवर मैनेजमेंट के तहत चम्पारण तटबंध का न केवल मजबूतीकरण किया जाए, बल्कि इस पर डबल लेन सड़क बनाई जाए। इसके अलावा गण्डक नदी से सिल्ट निकलवाने का काम किया जाए, जिससे उसकी जो गहराई समाप्त हो गई है, वह ठीक हो जाए। चम्पारण तटबंध

---

* Original in Marathi

के रहने से वाल्मिकी नगर टाइगर रिज़र्व सहित चम्पारण और गोपालगंज के सभी लोगों की रक्षा हो सकेगी।

*__श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे (नासिक) :__ There is a discussion as well as debate going on of cutting down 1800 tress at Tapovan to construct Sadhugram for upcoming Kumbhamela at Nashik. This area is important for Nashikkars and an important centre for biodiversity, birds and animals. The citizens, environmentalists started protesting against this decision. Tapovan is chosen for Sadhugram when there are much better locations available in the city. It seems like the decision made by local authorities is not transparent and taken without prior consultations with experts and environmentalist. Trees are necessary for future. The decision needs to be revoked on immediate basis. I urge upon central government to intervene in this matter.

Thank you.

(1340/RHL/HDK)

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र राजस्थान के सिरोही जिले में मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का निवेदन है। आबू रोड सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहां उत्पादित माल का विदेशों में निर्यात होता है। आबू रोड के निकट, राजस्थान का मुख्य पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू, गुजरात का प्रसिद्ध अंबाजीधाम, सबसे बड़ा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय व जैन धर्म का विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा का प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण पूरे साल बड़ी संख्या में देश-विदेश के पर्यटक एवं तीर्थ यात्री बस या ट्रेन के रास्ते आबू रोड आते हैं, जिसमें उनका कीमती समय व्यर्थ जाता है। यह हवाई पट्टी उड़ान योजना में भी शामिल है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आबूरोड स्थित मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट का आकार देने के लिए करीब 100 करोड़ रूपए का प्रस्ताव भेजा हुआ है। मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में बदलने की आवश्यकता है, जहां पर जमीन भी उपलब्ध है। यही नहीं ब्रह्मकुमारी संस्थान, उद्योगपतियों व माउंट आबू पर्यटन स्थल के व्यावसायियों एवं तीर्थयात्रियों की काफी लम्बे समय से मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में बदलने एवं यहां से देश के विभिन्न भागों के लिए हवाई यात्रा उपलब्ध कराने की मांग लम्बे समय से लम्बित है।

सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि आबू रोड स्थित मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें। धन्यवाद।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सभापति जी, भारत सरकार के राजपत्र संख्या 39, दिनाँक 27 अगस्त, 2009 के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

---

* Original in Marathi

प्रभावी किया गया था। इस अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि एवं उसके पश्चात नियुक्त शिक्षक भर्ती नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ताएं निर्धारित की गयी थीं। जिसके द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अध्यापक की नियुक्ति हेतु टेट की अनिवार्यता की गयी थी, परन्तु इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व नियुक्त कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अध्यापकों को टेट से मुक्त की अभिधारणा थी।

भारत के राजपत्र संख्या 34, दिनांक, 10 अगस्त, 2017 के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-23 की उप-धारा (2) के परंतुक में संशोधन किया गया कि जो अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए था, परंतु NCTE के माननीय उच्चतम न्यायालय में दिये गये भ्रामक शपथ पत्र दिये जाने के कारण न्यायालय द्वारा भ्रमित आदेश पारित हो गया। NCTE द्वारा प्रेषित शपथ-पत्र को निरस्त कर संशोधन करने का कानून पारित किया जाये।

परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 1 सितंबर, 2025 को दिये गये एक निर्णय के आलोक में समाचार पत्रों एव सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित, प्रचारित समाचार से … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया): आप अपनी मांग बोलिए।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सर, मैं मांग ही कर रहा हूं। देश के शिक्षको में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः भारत सरकार के अधीन 25 अगस्त, 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन 29 जुलाई, 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने एवं पदोन्नति हेतु टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। अतः उक्त अध्यापकों को टेट मुक्त किया जाये। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में दो लाख और देशभर में 25 लाख से ज्यादा … (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है। माननीय सदस्य, श्री जयन्त बसुमतारी जी।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सभापति जी, मांग नहीं आई है।

माननीय सभापति : आपने मांग तो कर दी है।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सभापति जी, मांग नहीं आई है। मांग यह है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। वे देश का भविष्य बनाते हैं। वे सुरक्षित रहेंगे, तभी देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, श्री जयन्त बसुमतारी जी।

*__श्री जयन्त बसुमतारी (कोकराझार) : (__Thank you, Honourable Chairperson. Sir, I would like to speak in Bodo language.)

@ Honourable Chairperson Sir, Recently in Assam, the proposal to grant Scheduled Tribe (ST) status to six communities, that are already relatively developed and demographically large, has sparked widespread protests

* original in Assamese

@ Original in Bodo

across the state. Organisations representing these six communities are demonstrating in support of the proposal, while various other groups, including student bodies, college and university students, and organisations of the existing ST communities, along with the general public, are protesting against it.

On 29 November 2025, the group of ministers appointed by the Government of Assam presented a recommendation in the State Legislative Assembly to include these six new communities under the ST category. This move has created an atmosphere of apprehension and uncertainty among the existing ST communities. It has, in fact, added fuel to an already escalating situation. In response to this, the current ST communities have delivered a strong and unequivocal message to both the State and Central governments that they will not accept any decision that undermines the rights and protections they are constitutionally entitled to as Scheduled Tribes.

It is undeniable that the six communities also have the constitutional right to advocate for their development and long-standing demands. However, in the process of addressing their concerns, if the rights and privileges of the existing ST communities are compromised, the situation could deteriorate further and potentially spiral out of control.

As a member of an existing ST community myself, I earnestly appeal to the Government of Assam, the Ministry of Tribal Affairs, the ST/SC Commission, and the Registrar General of India to resolve this issue amicably.

Thank you.

(1345/PS/KN)

श्री गजेन्द्र सिंह पटेल (खरगौन) : माननीय सभापति जी, मैं मध्य प्रदेश के खरगौन-बड़वानी लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में रेल लाइन बिल्कुल नहीं है। मैं आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी से पूर्व में मिला था। उन्होंने नए सर्वे के लिए स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

मैं रेल मंत्री जी का ध्यान अलीराजपुर खरगौन-खंडवा नई ब्रॉड गेज रेल लाइन के विषय पर आकर्षित करता हूँ। 6.25 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किए गए इस रेल मार्ग का अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) वर्तमान में जारी है। इसमें फुट-टू-फुट सर्वे तथा ड्रोन मैपिंग शामिल है। यह परियोजना पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ के 5 जिलों खंडवा,खरगौन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर को जोड़कर विकास की दिशा में मार्ग देगी। चूंकि सर्वे में पहाड़ी क्षेत्र, नदी, नाले, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं और कृषि भूमि भी शामिल है।

मेरा रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए नदी-पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन को जल्द अंतिम रूप दे। परियोजना की मंजूरी से पहले ही भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक धारा 20ए और अन्य अधिसूचनाएँ जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दे, ताकि बाद में परियोजना में विलंब न हो। सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को मिशन मोड में पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे।

मैं पुन: इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद (संत कबीर नगर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश और देश भर में तमाम निगम के कर्मचारियों को जो पेंशन दी जाती है, वह 2 हजार, 3 हजार रुपये प्रति महीना दी जाती है। उत्तर प्रदेश में वे भूखमरी के कगार पर हैं। परिवहन निगम की जो रोडवेज की बसें चलती हैं, उन कर्मचारियों को आज तक पेंशन नहीं दी गई है। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र की सरकार से इस बाबत निवेदन करना चाहता हूं। लोगों ने जंतर-मंतर पर भी कई बार धरना-प्रदर्शन किया है। निगम के जो कर्मचारी हैं, उनको पेंशन सभी विभागों की तरह से दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। गुजरात में शराब और ड्रग्स होम डिलिवरी से मिल रहा है, लेकिन किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। यह गुजरात मॉडल है।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा तथा गुजरात के कई जिलों में जारी यूरिया की गंभीर कमी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। रबी सीजन होने की वजह से किसानों को यूरिया के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता है। कई दिनों से किसान डिमांड कर रहे हैं, लेकिन गुजरात सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो यूरिया मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। मैं केन्द्र सरकार से गुजारिश करती हूं कि जो लोग मार्केट में ब्लैक में बेचते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों को अच्छी तरह से यूरिया, खाद मिलनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अनिल बलूनी (गढ़वाल) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार और मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे वन मंत्री आदरणीय भूपेन्द्र यादव जी यहां बैठे हुए हैं। मेरा उनसे भी आग्रह है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर जो गढ़वाल लोक सभा क्षेत्र है, उसमें पिछले कई दिनों से मैन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अपने चरम पर है। माननीय सभापति जी, पिछले तीन हफ्ते के अंदर तेंदुए के हमले से चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले कुछ दिनों से इसमें अचानक वृद्धि आई है। पिछले तीन हफ्ते में 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भालू के हमले अचानक बढ़े हैं। इस मौसम में आम तौर पर भालू के हमले नहीं होते थे, लेकिन वे हमले भी तेजी के साथ हो रहे हैं।

(1350/RAJ/SNL)

मान्वयर, लोग पहाड़ी इलाकों में बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत तेजी से हमले हो रहे हैं। वहां अंधेरा होते ही कर्फ्यू जैसी हालत हो रही है। वहां बहुत ज्यादा मेन-एनिमल्स कनफ्लिक्ट्स बढ़े हैं। भूपेन्द्र यादव जी यहां बैठे हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि इसमें राज्य की मदद करनी चाहिए। वहां बहुत बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है। हम लोगों को आधुनिक पिंजरों, ट्रैंक्विलाइजिंग इक्विप्मेंट्स, फौक्स गन्स जैसी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। मेरा माननीय भूपेन्द्र यादव जी से आग्रह है कि डबल्यूआईआई की एक टीम तुरंत उत्तराखंड भेजी जाए। आखिर, वहां हमलों में इतनी तेजी क्यों आई है? ये सब जांच की जानी चाहिए। राज्य प्रशासन को बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है, उसमें उसे मदद की जानी चाहिए।

मान्यवर, जो लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, उनकी भारत सरकार या वन विभाग के द्वारा और क्या-क्या मदद हो सकती है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सागर ईश्वर खंड्रे(बीदर) : सभापति महोदय, इस साल हमारे क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण खेती और फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में केन्द्र सरकार के नियम के द्वारा जो नुकसान की भरपाई की जा रही है, वह बहुत कम है।

*As per the guidelines of the existing rules of the Central Government, a compensation of Rs. 7,500 per acre for irrigated land, and Rs. 3,500 per acre for dry land will be given to the farmers, who suffered losses of the standing crops due to devastating floods caused by heavy rains.

However , the compensation amount which is being provided to the farmers is very meagre and is inadequate to meet even the basic expenditure of the farmers.

Hence, my humble submission before the Central Government is to kindly reconsider the rules pertaining to compensation and enhance the amount of compensation given to the affected farmers in the wake of heavy rains and floods.

In addition to this, I would also like to state that the State Government has already provided a special package to such farmers. I also request the Central Government to enhance the relief package for natural calamities.

Our farmers are paying a premium for their crops under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) every year.

---

* Original in Kannada

However, they are not getting the insurance amount in return. So, I urge upon the central government to conduct a survey to verify the facts and ensure the timely payment of insurance amount is deposited in the bank account of the farmers without any delay.

Thank you.

श्री इटेला राजेंदर (मल्काजगिरि) : सभापति महोदय, मैं मल्काजगिरि संसदीय क्षेत्र से चुन कर यहां आया हूं, which is not Hyderabad.वहां की जनसंख्या 70 लाख है। वहां पर 40 साल पहले एक डम्पिंग यार्ड शुरू किया गया था। वहां पर एक-दो गाड़ियां आती थीं, लेकिन आज वहां 10 हजार टन वेस्ट इकट्ठा हो रहा है। इससे वहां तीस किलोमीटर की रेडियस में गंदी हवा फैलती है। वहां के कीड़े से लोगों के हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वर्ष 2017 में मद्रास ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया था कि इसको शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। हैदराबाद की जनसंख्या 1.5 करोड़ है। ऐसा डम्प यार्ड एक ही जगह पर नहीं रखना चाहिए। इसके लिए चारो तरफ अरैंजमेंट करना चाहिए, ऐसा जजमेंट दिया गया था। आज तक वह इम्प्लिमेंट नहीं हुआ है।

हमारे पर्यावरण मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि जजमेंट पर अमल किया जाए ताकि हमारे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मंत्री जी इसका ध्यान रखें।

SHRI SALENG A. SANGMA (TURA): Chairman Sir, as you know, life is very precious, but it becomes a burden to society and even to the family when it is not taken care of.

More than three lakh youths between the age of 15 and 29 years are drug addicts, and thousands and thousands of youths are already infected with HIV. The fact is that in the State there is not even a single de-addiction centre or rehabilitation centre. Even in the hospitals, doctors treat our youths who are infected with HIV in the same room. There is no systematic procedure to ensure proper care for the patients.

Therefore, I would like to request you, Chairman Sir, that in every district there should be at least two to three rehabilitation centres provided by the Government.

Now, when we are talking about drug addicts, in the last few months itself drugs from the Golden Triangle have entered through the border areas. That is why, apart from drugs, cattle smuggling is also taking place.

Therefore, we need a proper security system in the border areas. Thank you.

(1355/NK-SMN)

डॉ. हेमांग जोशी (वडोदरा) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और उनके विभाग के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा। बडोदरा हाईवे पर चार नैरो ब्रिज है, जिसकी वजह से कई बार ट्रैफिक जाम होता है। इस समस्या का हल हो रहा है

लेकिन अभी वह निर्माणाधीन है। परंतु उसके साथ-साथ एक और बात है, दिशा कमेटी की बैठक और जिला संकलन समिति की बैठक में सभी विधायक और लोगों की बातें बाहर आयी हैं। बारिश के दिनों में हाईवे पर कहीं मरम्मत की जरूरत होती है लेकिन वहां पर चार-पांच घंटे तक ट्रैफिक जाम हो जाता है जिसकी वजह से रैपिड एक्शन लेने के लिए नेशनल हाईवे की टीम वहां नहीं पहुंच सकती। जब इसकी तह में गए तब पता चला कि हमारे सेंट्रल रीजन नेशनल हाईवे का ऑफिस राजपिपला में स्थित है। वह बहुत ही अनवाइबल और अन स्ट्रेटिजिक डिसीजन है। इसकी लोकेशन राजपिपला में है, इसकी वजह से वडोदरा में तुरंत नहीं पहुंच सकते हैं, बड़ोदरा का स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग और म्युनिसिपल कॉरपोर्रेशन साथ मिल कर पूरा काम करते हैं। इससे 2500 से ज्यादा इंडस्ट्री भी अफेक्ट होती है।

मेरी माननीय नितिन गडकरी जी से मांग है कि नेशनल हाईवे का सेंट्रल गुजरात का रीजनल ऑफिस राजपिपला में न होकर बड़ोदरा के अंदर होगा तो इसका सोल्यूशन हो पाएगा और नेशनल हाईवे की सुविधा में सुधार होगा।

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी (श्रीनगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले जम्मू के कुलदीप शर्मा जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनके मुस्लिम हमसाया अरफाज अहमद का घर गिराया गया, नाजायज तरीके से गिराया गया। कुलदीप शर्मा जी ने नुकसान को कम्पनसेट करने के लिए अपनी मिल्कियत में से जमीन डोनेट की, मैं उनका तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने दिखाया कि कितना भी यहां जहर घोला जाए, हम अभी भी एक है और हमेशा एक रहेंगे।

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : किसका घर गिराया है?

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी (श्रीनगर) : सभापति महोदय, अरफाज अहमद नाम के जनर्लिस्ट का घर बिना प्रोसिजर, बिना नोटिस और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के गिराया गया। एक मुसलमान हमसाया का घर गिराया गया, एक जनर्लिस्ट का घर गिराया गया। मैं यही सवाल करना चाहता हूं कि किस कानून और प्रोसिजर से घर गिराया गया? ... (*Expunged as ordered by the Chair*)

माननीय सभापति: आप सीएम और गवर्नर का नाम नहीं ले सकते हैं।

SHRIMATI BIJULI KALITA MEDHI (GUWAHATI): Thank you Chairman Sir for giving me an opportuntity to draw the attention of the Government to the recurring problem of artificial flood and severe water logging in Guwahati city. Every year, even within few hours of rainfall, major roads, residential areas, hospitals, schools and market places get submerged. This is not a natural flood. It is a result of inadequate drainage, heavy siltation, blockage of natural water channels and unplanned urban growth.

Water coming from nearby State Meghalaya also creates a great problem. Natural water bodies like Bharalu, Mora Bharalu and Bahini channels are congested and closed. Our State Government under the leadership of Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma has done several interventions to solve this problem and my special thanks to the Central Government for sanctioning Rs. 200 hundred crore to develop the drainage system for the people of Guwahati so that they will get relief from the flood.

I urge the Central Government for special assistance for comprehensive, scientific and long term flood and drainage management plan for Guwahati city.

Thank you, Sir.

माननीय सभापति: आप पन्द्रह सेंकड में अपनी बात कम्प्लीट कीजिए।

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी (श्रीनगर) : सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि मुल्क कानून से चलेगा या... (*Expunged as ordered by the Chair*)

माननीय सभापति: यह गलत है, It should be expunged from the proceedings.

(1400/RP/IND)

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Shri Aga Syed Ruhullah, please complete your rest of the speech within 15 seconds.

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी (श्रीनगर) : महोदय, मैं केवल इतना पूछना चाहता था कि क्या यह मुल्क कानून से चलेगा या … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय सभापति: नहीं, यह गलत है। This should be expunged from the proceedings.

… (Interruptions) … (Not recorded)

DR. MALLU RAVI (NAGARKURNOOL): Thank you very much, Chairman, Sir. I rise to draw the attention of the Government of India through this august House towards the urgent need to strengthen and expedite the implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

I urge the Government to take immediate steps, including filling up the vacant statutory positions under the RPWD Act. I also request the Government to ensure time-bound implementation of accessibility provisions under the Accessible India Campaign. Thirdly, I request the Government for enforcing compliance with the mandated four per cent reservation in employment, five per cent reservation in welfare scheme for PWD, and strengthening national rehabilitation and skill development institutions to enhance economic and social inclusion of PWD. The Government is also requested to introduce additional welfare measures, including increasing the disability pension and improving support system for their independent living.

These issues will fall under the jurisdiction of the Ministry of Social Justice and Empowerment, and require urgent action in the interest of millions of PWDS.

Thank you, Sir.

माननीय सभापति: अब मैं केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को मौका दे रहा हूं, जिन्हें इस सप्ताह अभी तक मौका नहीं मिला है। Please raise your demand within one minute.

Captain Brijesh Chowta ji.

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): Thank you, Sir. I rise to raise a very important issue concerning coastal Karnataka especially.

There is a banned organization called the Popular Front of India. There is a serious concern that the former members are regrouping under the banner

of SDPI, which is its political front. Recently, the Enforcement Directorate in its press release dated 8th November 2025 stated that the SDPI functioned as a political front of PFI. They are involved in controlling, funding and supervising its activities. This is a credible and significant development which is endorsing our claims. Given that the PFI is a banned organization, its backdoor involvement undermines national security and integrity. Our region has had to pay a huge price for the presence of PFI and its organizational nexus. The most recent being Suhas Shetty murder case, which was handed over to NIA by the timely intervention of our hon. Home Minister.

So, I raise the urgent attention, especially since the local elections are around the corner in Karnataka. In recent years, the SDPI has got an alliance with the ruling party in Karnataka, especially in the recent president election of the Bantwal town panchayat.

Hence, I demand the hon. Home Minister, through this august House, to consider the recent ED findings and take necessary steps to stop banned groups from reappearing under new identities or using political parties as fronts to contest elections and harm our democracy, especially considering the ruling party having a tacit understanding with the SDPI.

Thank you, Sir.

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): Sir, every day, around 25,000 to 30,000 people are travelling daily from KGF, Bangarpet and Malur taluks of my constituency, Kolar, to Bangalore for work and to colleges. The trains which are serving these people are running with 12 bogies, which are very crowded and passengers cannot travel comfortably even in standing position. This problem has been raised to the concerned officials at Bangalore, but no action has been taken.

I request the Minister to increase the number of bogies to 18 to make the journey of the commuters hassle-free.

There is one more issue. Kolar, being the district headquarters of my constituency, is not connected to Bangalore by a direct rail line. People have to travel to Bangarpet and catch a connecting train to Bangalore, which is time-consuming and hectic.

(1405/KDS/VPN)

1405 hours

(Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

In this regard a project was sanctioned and a survey was done in 2012 for laying a new railway line from Kolar to Whitefield Junction *via* Narsapur and Hoskote, which is a stretch of 52.9 kilometres. I urge the Ministry to expedite the implementation of the approved project, which is pending for the past 13 years.

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान जलगांव लोकसभा क्षेत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लंबे समय से लंबित विकासात्मक आवश्यकता की और आकृष्ट करना चाहती हूँ। मेरे जलगांव लोकसभा क्षेत्र में जनगणना 2011 के अनुसार कुल 34 ऐसे ग्राम हैं, जहाँ अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से भी अधिक है। अमलनेर, भडगांव, चालीसगांव, धरणगांव, एरंडोल, पारोला, जलगांव एवं पाचोरा-इन सभी तहसीलों में जनजातीय बहुल आबादी रहने के बावजूद इन्हें अभी तक केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान" में शामिल नहीं किया गया है।

महोदय, यह अभियान हमारे आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पेयजल, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे मूलभूत अधिकारों से संपन्न करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। यदि इन 34 ग्रामों को इससे वंचित रखा गया, तो विकास की एक गंभीर असमानता उत्पन्न होगी, जो इन क्षेत्रों की प्रगति को बाधित करेगी।

अत: में केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह करती हूँ कि जलगांव लोकसभा क्षेत्र के सभी 34 जनजातीय बहुल ग्रामों को तत्काल "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान" में सम्मिलित किया जाए) तथा इनके लिए विशेष विकास पैकेज, आधारभूत सुविधाएँ और प्रगति की निगरानी हेतु एक सशक्त तंत्र स्थापित किया जाए। यह कदम हमारे आदिवासी भाइयों-बहनों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में अत्यंत निर्णायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सासाराम) : सभापति जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बिहार में एक अति महत्वपूर्ण विषय हेतु आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि बिहार में बिना किसी पूर्व सूचना के लाखों लोगों का घर अतिक्रमण के नाम पर ढहा दिया गया। उनमें सबसे अधिक संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व कुछ सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं। बिना सूचना के उनके घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। लोग रोते रहे कि उन्हें कम से कम 10 दिनों का समय दे दें ताकि वे अपना टूटा-फूटा बिस्तर, सामान घर से बाहर निकाल लें, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और घर पर बुलडोजर चलाकर लाखों गरीबों का घर ढहा दिया गया।

महोदय, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर हैं, वे बड़ी संख्या में बिहार में रहते हैं। आपको पता ही है कि 3 से 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ चुके हैं, लेकिन बिहार में जो रह रहे हैं, उनमें से भी लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया है। सरकार की तरफ से यह प्रावधान है कि जिनका घर ढहाया गया है, उनको जमीन व घर मुहैया कराया जाए। पहले से ही मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम में रोहतास, नौहट्टा, तिलौथू के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अधौरा, कैमूर पहाड़ी पर हजारों लोग अभी भी नदी का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे गरीब लोग, जो स्वास्थ्य, शिक्षा से वंचित हैं, उनका घर ढहाकर एक और मुसीबत देना ठीक नहीं है। वे आसमान के नीचे रहे हैं। उन पर तरस खाया जाए। धन्यवाद।

श्री देवेश शाक्य (एटा) : धन्यवाद सभापति जी। मेरे लोक सभा क्षेत्र एटा के कासगंज में डॉक्टर्स की कमी के कारण मरीजों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ही जिलों में जनरल सर्जन, ईएनटी, कार्डियो, गाइनी, एमडी, न्यूरो, कैंसर, ऑर्थो का कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि यहां डॉक्टर्स की कमी की भरपाई की जाए। इसके साथ ही जनपद-एटा में एक और ट्रॉमा सेंटर बनवाने की मांग इस आशय करता हूं कि हाथरस, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और कासगंज में दुर्घटनाओं के कारण तमाम मरीजों को जहां दिल्ली व लखनऊ जाना पड़ता है, क्योंकि उनको वहां उचित व्यवस्था नहीं मिल पाती है। अंत: एटा में ट्रॉमा सेंटर की मांग के साथ-साथ कासगंज जनपद का मेडिकल कॉलेज, जो पीपीपी मोड पर बनाया जाना सुनिश्चित हुआ है, जिसे जमीन अधिग्रहण किए 8 महीने हो गए हैं। इसका काम राजर्षि मेडिकल कॉलेज, बरेली को मिला है। कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा बनाने के लिए इन तीनों कामों को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए। धन्यवाद।

(1410/CS/UB)

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पासी समाज के राजा-महाराजाओं का इतिहास अत्यंत समृद्ध, प्रभावशाली और जनकल्याणकारी रहा है। महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी और कई अन्य शासकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में शासन व्यवस्था, सामाजिक संगठन और जनहित के कार्यों की सुदृढ़ परम्परा स्थापित की है। महाराजा समसा पासी के दो पुत्र सलीहा पासी और मलीहा पासी ने क्रमश: सलीहा पासी ने संडीला बसाया तथा मलीहा पासी ने मलिहाबाद बसाया।

इन शासकों के योगदान और उनकी गौरवशाली विरासत को आज भी इतिहास के पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि पासी समाज के राजा-महाराजाओं के इतिहास को विद्यालयों के इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु आवश्यक निर्णय लिया जाए ताकि उनकी ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखते हुए उसे युवा पीढ़ी तक सही रूप से पहुँचाया जा सके। धन्यवाद।

SHRI KALIPADA SAREN KHERWAL (JHARGRAM): Sir, according to the last Census, over 70 lakh people in India speak Santhali, making the Santhal community the third-largest tribal group in the country. The community is predominantly concentrated across seven States, including West Bengal.

To protect the rich linguistic and cultural heritage of the community and to expand access to higher education, it is essential to establish a Central University with Santhali as a primary medium of learning and research. Such an initiative would uphold Constitutional principles of equality, cultural preservation, and the safeguarding of minority languages. Establishing a Central University in West Bengal would significantly benefit the Santhali-speaking population, given the community's dense concentration in the State. It would promote and develop Santhali language and literature, create opportunities for higher studies for youth in their own language, encourage research on Santhali culture and history, and support the socio-economic upliftment of the community. This step would not only honour the legacy of the Santhal community but also reinforce India's commitment to celebrating its linguistic and cultural diversity.

Therefore, I respectfully urge the Union Government to establish a Central University with Santhali as the medium of instruction in the Jangalmahal region of West Bengal.

श्री संतोष पांडेय (राजनंदगाँव) : महोदय, आपने मुझे एक अति लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, आदि शंकराचार्य जी से उनके शिष्यों ने पूछा था कि वास्तव में असली बहरा और असली गूँगा कौन होता है, तो उन्होंने संस्कृत में एक शब्द में उसका उत्तर दिया कि 'मूकोष्टिकोवा बधिरश्चकोवा'। उत्तर है: वक्रतुण्ड युक्तम् समये समर्था:, जो समय पर न सुने और समय पर सही बातों को न बोले, वही असली गूँगा और बहरा है।

महोदय, मैं छत्तीसगढ़ की ओर से सरगुजा से लेकर पूरे बस्तर, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ की ओर से मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि भारत के इतिहास में आन्तरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जब लिखा जायेगा, जब उसे ऊपर शोध किया जायेगा तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। उन्होंने टाइमलाइन, समयबद्ध मोटिव के तहत लक्ष्य निर्धारित करके माओवाद, लाल आतंक के समापन की उन्होंने शुरूआत की है।

महोदय, वे पंक्तियां याद आती हैं कि 'निसिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह' यह वही दण्ड का रण है, जिसमें फिर से माननीय अमित शाह जी ने और वह समापन की ओर है। नक्सलवाद, अर्बन नक्सवाद, पत्थरबाज, आतंकवाद आदि दृढ़ संकल्प से समाप्त होता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सबकी नजर जब बॉर्डर पर थी, तब पूरी तन्मयता के साथ हमारी फोर्सेज, माननीय अमित जी छत्तीसगढ़ के जंगल में एक पहाड़ी को तीन दिन से घेरकर आपरेशन को अंजाम दे रहे थे।… (व्यवधान)

(1415/MNS/NKL)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी**) :** माननीय श्री रबीन्द्र नारायण बेहरा।

… (व्यवधान)

DR. RABINDRA NARAYAN BEHERA (JAJPUR): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me an opportunity to put forth my views in the 'Zero Hour'. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आपने अपनी बात रख दी है, अब आप बैठिए। रबीन्द्र नारायण बेहरा जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

DR. RABINDRA NARAYAN BEHERA (JAJPUR): Sir, in 1963, the Parliament of India, through an amendment to the All-India Services Act 1951, *inter-alia* established the Indian Service of Engineers (Irrigation, Power, Buildings and Roads) and the Indian Medical and Health Service as the All-India Services (AIS) to be effective upon notification by the Central Government. This notification has been pending for last 60 years. In this regard, will the hon. Minister for Personnel, Public Grievances and Pensions be pleased to state the details regarding efforts made by the Central Government to notify the above services as All India Services? Also, please provide details regarding the issues faced in doing the same. When is the Central Government planning to notify the Indian Service Engineers and the Indian Health and Medical Services as the AIS? Thank you.

SHRI SURESH KUMAR SHETKAR (ZAHIRABAD): Hon. Chairperson Sir, I rise to draw the urgent attention of this august House and the Union Government to the pressing need for comprehensive national policies on cancer screening in India.

Prostate cancer stands as the second most common cancer in men globally, and its incidence is regrettably rising in Indian cities. Similarly, breast and colorectal cancers are significant public health burdens, while cervical

cancer remains a major concern that is largely preventable through screening.

Currently, due to the absence of Government-mandated population-based screening programmes, many individuals remain undiagnosed until the diseases have reached advanced stages, severely impacting survival rates. Evidence robustly demonstrates that early detection through simple screening methods can significantly reduce mortality for these cancers.

I request the Union Government to mandate and regulate affordable screening for prostate cancer (PSA testing), colorectal cancer, breast cancer, and cervical cancer across all the public and private laboratories, with a special focus on individuals aged 40 and above.

Furthermore, the Ministry of Health must launch widespread, targeted awareness campaigns utilizing rural primary healthcare networks to educate the public extensively about the risks, symptoms, and benefits of early screening for all these types of cancers.

Thank you.

डॉ. संबित पात्रा (पुरी) : महोदय, आज ओडिशा के सारे सांसद यहां बैठे हुए हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी एक माननीय सांसद बहन जो टीएमसी से है, उन्होंने आज शून्य काल में ओडिशा सरकार के ऊपर जो प्रश्न उठाया कि ओडिशा की सरकार ओडिशा से बांग्ला बोलने वाले श्रमिकों को बांग्लादेशी कहकर ओडिशा से बाहर खदेड़ रही है। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह झूठ है, यह मिथ्या है।

*(This is absolutely untrue. My state Odisha is the land of Lord Jagannatha. Anga ,Banga, kalinga has a common past. We never disrespect any other state or language.)

ओडिशा अनादिकाल से सभी राज्यों को साथ में लेकर चलता है। बांग्ला बोलने वाले हमारे बंधु हैं और जो बंगाली बोलते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके भी इष्ट देव हैं। हम उनको बहुत मानते हैं। मगर एक बात मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जहां सभी भाषा-भाषी लोगों के लिए ओडिशा और ओडिशा अस्मिता के हृदय में स्थान है, वहीं ओडिशा की सरकार में और ओडिशा के किसी भी विधायक और सांसद के हृदय में घुसपेठियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए और रोहिंग्याओं को ओडिशा में स्थान मिले, इसके लिए कोई स्थान नहीं है।

---

* () Original in Odia

(1420/MY/VR)

महोदय, मैं टीएमसी की सांसद महोदया से कहना चाहूंगा कि यहां देश का संविधान सबसे ऊंचा है। आज उन्होंने कहा कि जो … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) … (व्यवधान)

महोदय, आज ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री यहां नहीं है, क्योंकि वह इस सदन के सदस्य नहीं है। उनके लिए जिस प्रकार की भाषा का यहां प्रयोग किया गया, उसके लिए मैं आपके संरक्षण की डिमांड करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास में विश्वास करते हैं। हाँ, बंगाली हमारे भाई हैं, ओडिशा अस्मिता हमारी पहचान है, मगर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का ओडिशा में कोई स्थान नहीं है।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : आपने जिस बात का जिक्र किया**,** उसका हम रेकॉर्ड चेक करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे।

श्री आदित्य यादव (बदायूं) : सभापति महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र बदायूं के एक गंभीर विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बदायूं और दातागंज मार्ग के रेलवे फाटक पर एक ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां किसानों का एक बड़ा समूह गन्ने की खेती से सीधे जुड़ा हुआ है। मंडियों तक जाने के लिए एकमात्र रास्ता किसानों के पास सिर्फ दातागंज से बदायूं आने का होता है। वहीं पर एक फाटक पड़ता है। इस समय वहां पर भारत सरकार द्वारा एक अण्डरपास स्वीकृत किया गया है। उस क्षेत्र में गन्ना फसल के साथ ही दूसरी फसलें भी होती हैं। उस अण्डरपास से जाने में किसानों को खासा दिक्कत होती है।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध होगा कि अभी जो अण्डरपास स्वीकृत किया गया है, लेकिन उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है। रेलवे मंत्रालय इसके लिए तत्काल संज्ञान ले। अगर उस अण्डरपास को परिवर्तित करके एक ओवरब्रिज बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि इससे किसानों को ज्यादा सहूलियत होगी।

महोदय, इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा, क्योंकि कई जगहों पर जहां अण्डरपास बने हैं, वहां पानी भराव की भी समस्या होती है और इससे लोगों की आवाजाही में दिक्कत होती है। इसका एकमात्र सॉल्यूशन ओवरब्रिज का निर्माण होगा। इस विषय की तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

DR. RICKY A. J. SYNGKON, (SHILLONG): Thank you, Mr. Chairperson, for allowing me to raise a very important issue concerning the road construction that is currently taking place from Shillong to Dawki and the western bypass under the NHIDCL.

Mr. Chairperson, through you, I would like to request the concerned Minister to consider paying compensation to the farmers, homestay operators, and tour operators whose livelihood has been greatly affected due to the unmindful dumping of debris along the streams. It has affected the paddy fields. It has affected the water and other natural resources, on which many people depend.

Therefore, I would request the concerned Minister to consider some kind of compensation to these people and, at the same time, take stern action against contractors and others involved in such unmindful and selfish acts in the name of development. Thank you, Mr. Chairperson.

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : सभापति महोदय, मैं चर्चगेट-विरार-दहानू खंड पर 15 कोच लोकल सेवा की शीघ्रतम प्रारंभ करने की मांग करता हूं। विरार-दहानू खंड पर बढ़ती भीड़ की वजह से यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। पालघर लोक सभा क्षेत्र से करीब ढाई लाख यात्री इसकी सेवा लेते हैं।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि दहानू रोड से 15 कोच लोकल सेवा की यथाशीघ्र अनुमति दी जाए। अभी पहली बार 15 कोच हाई कैपेसिटी लोकल ट्रेनों को शुरू करने की योजना तैयार की गई है। मैं समझता हूं कि उसका संचालन तुरंत प्रारंभ किया जाए। इसके साथ ही दहानू रोड से सुबह चर्चगेट की तरफ चार बजे नई लोकल सेवा शुरू की जाए। ऐसी लोकल सेवा जो चर्चगेट से विरार तक सीमित है, उसे दहानू तक चलाई जाए। पीक ऑवर्स यानी छह से सात बजे के बीच दो एक्स्ट्रा लोकल सेवा दहानू-विरार और विरार-दहानू तक शुरू की जाए। ऐसी मैं मांग करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1425/MLC/PBT)

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे (लातूर) : थैंक्यू सभापति जी, मैं महाराष्ट्र सरकार की गंभीर लापरवाही को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

महोदय,महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन पशु चिकित्सा और दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों में लगभग 65 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। प्रोफेसर के पद उससे ज्यादा खाली हैं। यह किसी एक विभाग का नहीं, बल्कि पूरे पशुपालन विभाग की तबाही का संकेत है। वर्ष 2018 के बाद कोई भर्तियां नहीं हुई हैं, लगातार सेवानिवृत्तियां हो रही हैं और आज हाल यह है कि सिर्फ 40 प्रतिशत स्टाफ पूरे राज्य के पशु चिकित्सा शिक्षा को संभाल रहा है।

महोदय, यह शैक्षणिक ढांचे का पतन है। इसका परिणाम मेरे चुनाव क्षेत्र के उदगीर कॉलेज पर भी पड़ा है। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय पशुपालन एवं डेयरी केन्द्रीय मंत्री से यह मांग करता हूँ कि महाराष्ट्र में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की 100 प्रतिशत फैकल्टी की भर्ती तुरंत शुरू की जाए। बीसीआई और आईसीएआर के सभी मानकों का तत्काल अनुपालन किया जाए।

महोदय, यह मुद्दा सिर्फ शिक्षण संस्थानों का नहीं,बल्कि पशुधन, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करता है। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद हनीफ़ा (लद्दाख) : शुक्रिया ऑनरेबल सर, पिछले कई सालों से लद्दाख की अवाम यूटी सेट अप से नाखुश होकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए जम्हूरी सेट-अप और कांस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स की मांग पुरअमन तरीके से की जा रही है। सर, 26 अक्टूबर को जो वाकया वहाँ पर हुआ, वह इसी बेचैनी का नतीजा है। लद्दाख की तारीख में पहली बार ऐसा वाकया हुआ है। बदकिस्मती से लद्दाख की अवाम को इस वाकये को बेरूनी अनासिर जोड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि लद्दाख के लोग हमेशा से अमन पसंद और पुरखुलूस समझे जाते हैं। लद्दाख के लोग बिलखुसूस, हुब्बुलवतनी और देशभक्त हैं और उन्होंने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। पिछले कई सालों से लद्दाख के जो नौजवान तबके हैं, खुसूसन तालीमयाफ्ता नौजवान जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में लगा दी है। हालिया सालों में पिछली बेरोजगारी और बेकारी से बहुत मायूस थे। आज लद्दाख में ग्रेजुएट बेरोजगार पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा हैं।

सर, 26 अक्टूबर को लद्दाख में जो वाकया हुआ,वह हमारे लिए भी एक अल्मनाक सानिहा था। वह बस नौजवानों की जो झुंझलाहट थी,उनकी परेशानी थी, इसके पीछे किसी किस्म का गलत इरादा नहीं था, बल्कि बहुत से नौजवान, बहुत से लोग जो अनजाने में या जज़्बात में आकर इस हुजूम का हिस्सा बन गए। इन पर मुखतलिफ सैक्शंस में मुकदमें दर्ज किए गए हैं। बहुत से लोग आज भी जेलों में बंद हैं, कुछ जमानत पर बाहर हैं, लेकिन थानों के चक्कर काट रहे हैं। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ कि जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जो लोग जेल में हैं और जमानत पर बाहर हैं, इन्हें भी एक हीलिंग टच की तरह, जैसे कि दूसरी कई रियासतों में इससे भी संगीन हालात में रियायत दी गई हैं, इस तरह इन मुकदमात को भी एक बार के खुसूसी इकदाम के तहत खत्म किया जाए। सोनम वांगचुक एक अमन पसंद और....... …(व्यवधान)

جناب محمد حنیفہ) لدّاخ:(،شکریہ آنریبل سر ،پچھلے کئی سالوں سے لداخ کی عوام یو۔ٹی۔ سیٹ اپ سے ناخوش ہو کر اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لئے جمہوری سیٹ سیٹ اپ اور کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈس کی مانگ پر امن طریقے سے کی جا رہی ہے۔ سر ،26 اوہ رپ ںاہو ہعقاو وج وک ربوتکا، یک خادل ۔ ےہ ہجیتن اک ینیچ ےب س ا ہو ا رابہ یلہپ ںیم خیراتیسا واقعہ ہوا ہے۔ بد قسمتی سے لداخ کی عوام کو اس واقعہ کو بیرونی عناصر سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ لداخ کے لوگ ہمیشہ سے امن پسند اور پر خلوص سمجھے جاتے ہیں۔ لداخ کےلوگ بالخصوص حب الوطن اور دیش بھکت ہوتے ہیں انہوں نے ملک کے لئے بے شمار قربانیاں دیں ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے لداخ کے جو نوجوان طبقے ہیں خصوصاً تعلیم یافتہ نوجوان جنہوں نے اپنی اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں لگا دی ہے۔ حالیہ سالوں میں پھیلی بی روزگاری اور بے کاری سے بہت مایوس تھے۔ آج لداخ میں گریجیوٹ بے روزگار پورے ملک میں سب سے زیادہ ہیں۔

جناب، 26اکتوبر کو لداخ میں جو واقعہ ہوا وہ ہمارے لئے بھی ایک المناک سانحہ تھا۔ وہ بس نوجوانوں کی جھنجھلاہٹ تھی ،ان کی پریشانی تھی ،اس کے پیچھے کسی قسم کا غلط ارادہ نہیں تھا ،بلکہ بہت سے نوجوان بہت سے لوگ جو انجانے میں یا جذبات میں آ کر اس ہجوم کا حصہ بن گئے۔ ان پر بہت سے سیکشن میں مقدمات درج کیے گئے ہیں ،بہت سے لوگ آج بھی جیلوں میں بند ہیں ،کچھ لوگ ضمانت پر باہر ہیں ، لیکن تھانوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ میں آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ جن لوگوں پر مقدمات درج کئے گئے ہیں ،جو لوگ جیل میں ہیں اور ضمانت پر باہر ہیں ،انہیں بھی Healing Touch جیسے کی دوسری کئی ریاستوں اس سے بھی سنگین حالات میں رعایت دی گئی ہیں ،اس طرح ان مقدمات کو بھی ایک بار کے خصوصی اقدام کے تحت ختم کیا جائے سونم وانگ چُک ایک امن پسند اور)مداخلت(...

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : चेयरमैन सर, मैं आपका धन्यवाद करता चाहता हूँ कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। मैं शहीदों की नगरी जनपद शाहजहाँपुर से आता हूँ और हमारा क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य है। ... (व्यवधान) मैं सबसे पहले हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी दूरदर्शी सोच से वंदे भारत ट्रेन देश की रफ्तार बढ़ा रही हैं। ये ट्रेनें न केवल यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर दे रही हैं,बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं। इसी तरह हमारे संबंधित रेल मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में रेलवे विभाग निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर है। उनकी मेहनत से लाखों यात्रियों का जीवन आसान हो रहा है।

मैं अपने लोक सभा क्षेत्र जनपद शाहजहाँपुर के निवासियों की ओर से एक छोटी सी मांग सदन में उठाना चाहता हूँ कि लखनऊ से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शाहजहाँपुर से होते हुए शुरू हो और इस ट्रेन का ठहराव जनपद शाहजहाँपुर स्टेशन पर सुनिश्चित किया जाए। मैंने एक जुलाई 2025 को रेल मंत्री जी को एक पत्र लिखा था, जिस पर उन्होंने 22 जुलाई को जांच के निर्देश दिए। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई की जाए। मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप मेरी बात सुनिए, मैं हनीफा जी को फिर मौका दे रहा हूँ।

(1430/SNT/GG)

श्री मोहम्मद हनीफ़ा (लद्दाख) : सर, मेरी मांग है यह है कि एक तो जो नौजवान तबके हैं, जिनको जेलों में बंद किया गया है, उनको रिहा किया गया है, उनके मकदमों को खत्म किया जाए। सर, 24 तारीख की उस घटना में चार नौजवानों की जानें चली गई हैं। वे बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं। उनके घर आज बिल्कुल सदमें में हैं। उनके घरों को कंपनसेट किया जाए। … (व्यवधान)

جناب محمد حنیفہ(لدّاخ) : جناب میری مانگ یہ ہے کہ ایک تو جو نوجوان طبقے ہیں، جنکو جیلوں میں بند کیا گیا ہے، ان کو رہا کیا جائے ان کو مقدمے کو ختم کیا جائے۔ سر، 24 تاریخ کی اس گھٹنا میں 4 نوجوانوں کی جانیں چلی گئیں ہیں۔ وہ بہت ہی غریب طبقے کے لوگ ہیں۔ ان کے گھر آج بالکل صدمے میں ہیں۔ ان کے گھروں کو کمپنسیٹ کیا جائے۔

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : धन्यवाद, अब आपने अपनी बात रख ली है।

श्री संजय देशमुख जी।

श्री संजय उत्तमराव देशमुख (यवतमाल-वाशिम) : माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस सदन में देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य, उनके परिवारों की सुरक्षा और करोड़ों विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े अत्यंत गंभीर विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हुआ हूँ।

महोदय, हमारे देश में बड़ी संख्या में शिक्षक सरकार द्वारा नियुक्ति के समय लागू नियमों, पात्रताओं और प्रशिक्षण के आधार पर पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया से चयनित हुए थे। उनकी नियुक्ति में कोई त्रुटि नहीं थी, कोई अनियमितता नहीं थी। वे वर्षों से ईमानदारी और निष्ठा से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी नौकरियाँ केवल एक कारण से खतरे में हैं, वह टीईटी परीक्षा को अचानक और पूर्वलक्षी प्रभाव से अनिवार्य कर देने के कारण से है।

महोदय, जब ये शिक्षक नियुक्त हुए थे, तब टीईटी जैसी कोई शर्त मौजूद ही नहीं थी। अब इतने वर्षों बाद यह कहना कि नौकरी बनाए रखनी है तो टीईटी पास करो, यह सरासर अन्याय है। यह प्रशासनिक गलती का भार शिक्षकों पर थोपना है और उनके साथ गंभीर अन्याय है।

महोदय, देश के ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज़ क्षेत्रों में शिक्षा पूरी तरह इन्हीं शिक्षकों के भरोसे चलती है। यदि टीईटी की अनिवार्यता के कारण लाखों शिक्षक असुरक्षित हो गए या नौकरी से बाहर हुए, तो उन स्कूलों का क्या होगा? उन बच्चों का क्या होगा? शिक्षा व्यवस्था पर भारी संकट खड़ा हो जाएगा। आरटीई – शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना है, शिक्षकों को हटाना नहीं।

महोदय, शिक्षक की योग्यता केवल एक लिखित परीक्षा से नहीं आँकी जा सकती। उसका असली मूल्य उसके अनुभव, उसकी समझ और विद्यार्थियों पर पड़े सकारात्मक प्रभाव से तय होता है। कई वर्षों तक सेवा देने वाले शिक्षकों को अचानक एक परीक्षा के आधार पर अयोग्य ठहराना उनके सम्मान को ठेस पहुँचाने जैसा है। सेवा के वर्षों बाद नियम बदलकर उन्हें पीछे से लागू करना किसी भी लोकतंत्र में न्यायसंगत नहीं हो सकता। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि टीईटी की अनिवार्यता तुरंत समाप्त की जाए। … (व्यवधान)

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): Thank you, Chairperson Sir, for giving me this opportunity. I would like to make a very important demand for my constituency. It is a very simple demand but it is a very long-pending demand.

Tiruvallur is a very important place near Chennai. It is just 42 kilometres from Chennai. Most of the workforce comes from Tiruvallur to Chennai. They travel through a particular train. Now, the problem is that the population has increased so much that there is a constant demand for additional express and super-fast trains to stop at Tiruvallur. I have made this demand consistently with the Railway Minister to consider this fact because Tiruvallur is now the hub of work. Sriperumbudur is also nearby. I urge the Railway Minister to consider this stoppage for all the additional express and super-fast trains at Tiruvallur.

श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) : सर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान अपनी पश्चिमी दिल्ली लोक सभा के द्वारका की एक समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूँ। द्वारका आज, इस समय आदरणीय प्रधान मंत्री जी के विज़न को स्थापित करने वाली नगरी है, जहां यशोभूमि, एयरपोर्ट से जुड़ने वाली रोड, द्वारका एक्सप्रेस-वे, यूईआर जैसे रोड्स हैं। लेकिन यहां पर लगने वाला भीषण जाम आज पूरे द्वारका की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। लाखों लोग इस रोड से गुज़रते हैं, लेकिन यहां पर लगने वाले जाम से बहुत लोगों की फ्लाइटें छूट रही हैं। यशोभूमि और पालम एयरपोर्ट नज़दीक होने से हमारे वीआईपी रूट्स बहुत से लगते हैं तो ये भीषण जाम आज हम सबकी बहुत बड़ी दिक्कत बन गया है।

मैं आपके माध्यम से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और शहरी कार्य मंत्रालय से निवेदन करती हूँ कि वे दिल्ली सरकार के साथ एक जॉइंट कमिटी बना कर द्वारका की इस समस्या का टैक्नीकल असेसमेंट कर के ऑल्टरनेट रूट्स, एक्सटेंशन ऑफ रोड्स, फ्लाइओवर्स और अण्डरब्रिज बनाने पर जल्दी से विचार करें। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1435/YSH/RTU)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : श्री उत्कर्ष वर्मा जी।

अभी हमें बिल पर भी चर्चा करनी है। इसलिए मेरी सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी-अपनी बात कम समय में रखें।

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। खीरी जनपद में मैलानी से भीरा, पलिया, तिकुनिया होते हुए नानपारा तक छोटी रेल लाइन जाती है। वहां पर लोगों में असमंजस की स्थिति है कि यह रेल लाइन बंद कर दी जाएगी।

सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग है कि यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए इस रेल लाइन को बंद न किया जाए तथा इसका आमान परिवर्तन कर इसे बड़ी रेल लाइन कर दी जाए तथा इस लाइन के द्वारा दिल्ली तथा अन्य राज्यों के प्रमुख शहरों तक एक एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाए। इसके अलावा लखीमपुर-गोला होते हुए दिल्ली तक ट्रेन चलाई जाए।

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): Thank you, Speaker Sir. Through you, Sir, I would like to draw the attention of the hon. External Affairs Minister towards a sensitive issue. In my Constituency, that is, Jagatsinghpur of Odisha, one person namely Adarsha Behera had gone to Sudan in December, 2022. He was working as a labourer in Sukarati Plastic Factory. Due to class war in Sudan, he had been stopped there. There is no chance of him coming to India. In this regard, I had informed the Embassy of Sudan but till today, he has not been rescued as he has been stuck in Sudan. So, I would like to request the hon. Foreign Minister to intervene in this matter and to bring him back to India with the help of the Government of India. Thank You, Sir.

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : सभापति महोदय, हमारे भोजपुर जिले में सोन नदी के किनारे, हालांकि सिर्फ हमारे जिले में ही नहीं, बल्कि मध्य बिहार के पांच-छह जिलों में दोनों तरफ का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अवैध खनन से नदी का मूल स्वरूप बिगड़ गया है और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो गया है। नदी के किनारे के गांवों के लिए पीने का पानी खत्म हो गया है। हमारे मजदूर भाई वहां पर काम करते थे, उन्होंने अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए वहां पर आंदोलन भी किया था कि उनकी प्रति ट्रक मजदूरी 500 रुपये की जाए।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी मांग मानने की बजाय उन पर केस कर दिया गया इसलिए मेरी मांग है कि 22 लोगों पर जो केस हुआ है, वह वापस लिया जाए और उनकी मजदूरी प्रति ट्रक 500 रुपये की जाए। इसके साथ ही अवैध बालू खनन पर रोक लगे।

सभापति महोदय, इसके अलावा मेरी एक और मांग है कि बालू खनन के राजस्व से डीएम फंड में जो पैसा जमा होता है, उस पैसे को स्थानीय लोगों के विकास में खर्च किया जाए।

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि वे बिहार में 'अमृत भारत योजना' के तहत 98 विश्व स्तरीय स्टेशन्स का निर्माण कर रहे हैं और 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन्स चल रही हैं। आगे पूरे देश में 200 नई वंदे भारत और 100 नई अमृत भारत ट्रेन्स चलेंगी। मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर है और मैंने बार-बार एक ही मांग की है। इसलिए मैं अपनी उसी मांग को पुरजोर तरीके से वापस दोहराती हूँ कि इसी वित्तीय वर्ष में वहां पर रेल परिचालन शुरू हो, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का काम बहुत धीरे चल रहा है।

सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के रीगा, मोहिनी मंडल, बैरगनिया, कुंडवा चैनपुर, घोड़ासहन, इन सभी स्टेशन्स को अमृत भारत

परियोजना में शामिल किया जाए और उनका सौन्दर्यीकरण किया जाए। उनका आधुनिकीकरण करते हुए वहां पर आरक्षण काउंटर, शुलभ शौचालय और एसी विश्रामालय की भी सुविधा प्रदान की जाए।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : सभापति महोदय, वक्फ प्रॉपर्टीज, जो 9 से 10 लाख के करीब हैं, उनको उम्मीद पोर्टल पर डालने का आज आखिरी दिन है। इसके लिए सिर्फ छह महीने ही दिए गए थे। हमने जेपीसी कमेटी में भी बार-बार कहा था कि यह पॉसिबल नहीं है।

सभापति महोदय, मुझे आपको बताते हुए अफसोस हो रहा है कि अभी तक 30 परसेंट प्रॉपर्टीज भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई हैं। पश्चिम बंगाल में 12 परसेंट, यूपी में 30 परसेंट, कर्नाटक और तमिलनाडु, जो कम्प्यूटरसेवी है, वहां पर 10 परसेंट भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई हैं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी डिमांड रखिए।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : सर, मेरी डिमांड यह है कि इस अवधि को कम से कम छह महीने तक बढ़ाया जाए और उसकी जिम्मेवारी सरकार ले कि एक भी प्रॉपर्टी न छूटे। यह राष्ट्रीय हित में है।

(1440/STS/AK)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा और देश के कई करोड़ संविदा-कर्मियों की समस्याओं को सदन के बीच रखना चाहता हूं। संविदा-कर्मी की नौकरी की असुरक्षा, वेतन की कमी व नियमित लाभ न मिलने से ये लोग समाज में परेशान, उपेक्षित और निरीह हैं। आशा बहुओं को केवल दो हजार रुपए मिल रहे हैं, रोजगार सेवकों को केवल 8850 रुपए, शिक्षा-मित्रों को केवल दस हजार, आंगनबाड़ी कर्मियों को केवल पांच हजार, सहायकों को केवल 2700, अनुदेशकों को केवल 8700, पंचायत सहायकों को केवल पांच हजार और रसोईयों को केवल दो हजार मिल रहे हैं। यह उनका मानदेय है। इस मानदेय के साथ उनके ठेकेदार और नियुक्तिकर्ताओं ने जो संविदा की है, उसमें बुरी तरह से शोषण हो रहा है।

सभापति जी, यह बहुत ही गंभीर मामला है। देश के अंदर ये लोग सेवाओं में सबसे आगे हैं। अभी एसआईआर में सबसे ज्यादा यही लोग लगे हुए हैं। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, कई लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है। मेरी सीधी मांग है कि केन्द्र सरकार, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, दुनिया की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था की बात करती है।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : आप अपनी मांग रखिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। स्थायी कर्मियों की जो सुविधाएं और सेवाएं हैं, स्वास्थ्य लाभ है, बीमा है, वह उन्हें दिया जाए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : धर्मेन्द जी, मैं आपको मौका दूंगा। आप 30 सेकेंड में अपना डिमांड रखें।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : एक महीने में आप उनसे एसआईआर करवायेंगे और उन्हें कोई सुविधा नहीं देंगे। यह बर्दाश्त नहीं हो पायेगा। उनको स्थायी कीजिए, उनकी जो सेवा-शर्तें हैं, वह उन्हें दी जानी चाहिए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार आज तत्काल हस्तक्षेप करें। जब लोक सभा का सत्र होता है, तब सभी पार्लियामेंट के मेंबर सोमवार से शुक्रवार तक सदन में रहते हैं। शनिवार और रविवार को सबके क्षेत्रों में कार्यक्रम लगे रहते हैं। कल हमारे यहां भी दिव्यांग शिविर लगा हुआ है। किसी को बेंगलुरु जाना है, किसी को चेन्नई, किसी को कोलकाता जाना है। इंडिगो की चार सौ फ्लाइट्स कैंसिल हो गयी हैं। मेरी शाम की फ्लाइट थी, वह भी कैंसिल हो गयी। कल सुबह की फ्लाइट कैंसिल हो गयी। अगर डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स लगाया है, तो यात्रियों की सुरक्षा, उनकी विश्वसनीयता किसकी रहेगी? हम पांच मिनट लेट हो जाते हैं, तो हमारी एयरलाइन्स चली जाती है। आज अगर डीजीसीए ने निगरानी करने के लिए कहा है, तो इंडिगो उसका पालन नहीं कर रही है। पूरे देश में आज चार सौ फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। हम सब लोग कैसे अपने राज्यों में और राज्यों से कॉन्स्टीटुएंसी में जा पायेंगे? फिर सोमवार को दिल्ली कैसे लौटेंगे? इस स्थिति को सामान्य किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसमें इस्तक्षेप करके तत्काल जो डीजीसीए ने या नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है, उसे रियल टाइम किया जाए और पैसेंजर फर्स्ट फ्रेमवर्क हो। जो टिकट कैंसिल हुए हैं, उसका अलटरनेट अरेन्जमेंट हो या उसका रिफंड हो। यह गंभीर समस्या सिर्फ जगदम्बिका पाल की नहीं, पूरे सदन की है।

श्री अब्दुल रशीद शेख (बारामूला) : जगदम्बिका पाल जी को इतना कहना चाहता हूं कि जैसे मैं तिहाड़ जेल से कॉन्स्टीटुएंसी बचाता हूं, वैसे ही आप भी बचाइए। मेरी यह गुजारिश है कि जम्मू-कश्मीर में हजारों ट्रक ड्राईवर, ट्रैक्टर वाले, मजदूर, माइनिंग में काम करते हैं। चाहे हमारे नदी-नाले हैं या क्वारीज़ हैं, स्टोन मिल्स हैं।

(1445/MM/SRG)

लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ टाइम से उसको आउटसोर्स किया गया है। राज्य सरकार से कहते हैं तो वह कहते हैं कि हमारी पास कुछ नहीं है, एलजी साहब के पास है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस विषय को देखें। वहां सरकारी नौकरियां नहीं हैं और हजारों लोगों का रोजगार नदी-नालों पर है, माइंस पर है। जम्मू-कश्मीर के लोकल लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए, उसको आउटसोर्स न किया जाए ताकि वहां के पढ़े-लिखे बेरोजगार लोग, जो नदी-नालों में काम करते हैं, जो क्वैरीज़ में काम करते हैं, उनको रोजगार मिले। इस वक्त वहां हाहाकार मची है। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। Please, for god sake convey this to the Government.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र महाराजगंज, बिहार से दो राष्ट्रीय राजमार्ग 331 और 531 गुजरते हैं। दोनों की चौड़ाई, लंबाई और अच्छाई इतनी है कि गाडियां रफ्तार से चलती हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि 331 और 531 पर इकमा में और दूसरा भगवानपुर हाट में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाए और सभी सुविधाओं से सुसज्जित एंबुलेंस तत्काल लगायी जाए ताकि इमरजेंसी सेवाएं लोगों को मिल

सकें। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूं कि इन दोनों जगहों पर ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाए।

श्री नारायणदास अहिरवार (जालौन) : आज पूरे देश, प्रदेश और मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन-गरौठा-भोगिनीपुर में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षक व शिक्षिकाएं माननीय उच्चतम न्यायाल के आदेश से अत्यंत भयभीत हैं। जबकि भारत सरकार द्वारा कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के शैक्षिक योग्यता भर्ती के लिए निर्धारित किया गया जिसमें अन्य योग्यताओं के साथ-साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया है। यह योग्यता वर्ष 2010 के बाद भर्ती पर लागू होना था, पहले से नियुक्त शिक्षक पर यह लागू नहीं होना था। परंतु, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी यह लागू हो गया है, जबकि जब नियुक्ति हुई थी तो उस समय जो योग्यता निर्धारित थी उसे पूर्ण करने के बाद ही उनकी नियुक्ति हुई थी। शिक्षक 20-25 वर्ष से ज्यादा समय से कार्य कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो वर्ष 2010 के पूर्व नियुक्त हुए हैं, उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त करने हेतु कानून बनाए जाने की सरकार से मैं मांग करता हूं।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I run educational institutions. My family runs schools as well. Fortunately, I have been raised in a teacher's house when I was a kid. So, I understand the pains and the efforts teachers put in not only building the person, but building the nation as well. But recently, there is a Supreme Court judgment which has mandated that all in-service teachers must clear the Teacher Eligibility Test (TET) within two years. It has created fear and uncertainty among lakhs of teachers across the country and also in my own State of Andhra Pradesh.

When the rules for Right to Education Act were framed, teachers appointed prior to 23rd August, 2010 were clearly exempted from the requirement of passing TET. Since then, our teachers, some with 15 years to 30 years of experience, have become the backbone of our schooling system, especially in rural and tribal regions. However, the new judicial direction has reopened a settled issue. In my own State alone, almost one lakh teachers may have to take this test. The consequence of this judgment will extend far beyond teachers. If even a fraction of them are unable to clear the examination within the stipulated time, we may see thousands of classrooms become teacherless, especially in rural and remote areas where teacher shortage already exists.

I request two things from the Government of India. One is, consider suitable amendments to Right to Education Act and NCTE Act, 1993 to ensure

that teachers who have already been in service on 23rd August 2010 are duly protected.

(1450/GM/MK)

My second request is to hold immediate meeting with teachers' association to take proper action in order to safeguard the interest of these long-serving teachers. Our teachers deserve respect, stability and security. I humbly request the Government to act urgently and uphold the justice for those who have dedicated their lives for nation-building.

*SHRI TAMILSELVAN THANGA (THENI): There is a long pending demand pertaining to construction of a new bitumen road between Devaram and Saakaloothu Mettu in my Theni parliamentary constituency. This is a demand which is spending for the last 50 years. To reach Saakaloothu Mettu from Devalam, there is a circular route of 100 kms. With due permission from the Department of Forests, if a road is constructed after survey, more than 50000 farm labourers and daily wage workers of this area would be benefitted as this 100 km stretch would be reduced to just 6 kms. I therefore urge this Union Government, through Hon. Chairman that a new bitumen road should be constructed between Devaram and Saakaloothu Mettu in Theni constituency with due clearance from Department of Forests. Thank you.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Hon. Chairperson, Sir, I come from Koraput which is one of the most beautiful places with landscapes, rolling hills, deep valleys, dense forests, spectacular waterfalls and serene reservoirs. The Koraput coffee is also world-famous and one of its kind. I would request the Government to develop Koraput as a dedicated tourism and ecotourism circuit linking Deomali, Balda, Duduma, Kolab, Gupteshwar and key tribal cultural hubs under a single circuit, provide targeted support for last-mile roads, basic amenities, safety infrastructure and digital connectivity at major sites, launch special schemes to train and finance local SHGs and youth for homestays, guiding, transport, food services, and craft marketing.

---

* Original inTamil

Lastly, I would urge the Government to undertake strong branding and promotion campaign for Koraput at national and international levels as an offbeat hill and tribal heritage destination.

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि (हाथरस) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में इस लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र हाथरस में दाऊ जी महाराज जी का पवित्र मंदिर लगभग 250 वर्ष पुराना स्थित है। वहां लगभग 150 वर्षों से लक्खी मेले का आयोजन किया जाता रहा है। बताया जाता है कि अंग्रेजों द्वारा इस मंदिर पर तोप द्वारा हमला किया था तो उस मंदिर को किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई थी।

सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस पवित्र मंदिर का जीर्णोद्धार करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): Hon. Chairperson, Sir, I would like to express my gratitude to hon. Prime Minister Shri Narendra Modi for launching MSME Samadhan Portal introduced in 2014. This Portal is online delayed payment monitoring system which was launched by Ministry of MSME. It enables micro and small enterprises to file online applications concerning delayed payments for buyers and goods and services. This initiative has been instrumental in ensuring quick and affordable resolution of delayed payment disputes, all within the mandated 90 days. This transparent and technology-driven mechanism has significantly boosted the confidence among lakhs of entrepreneurs. India’s current GDP growth rate stands at 8.2 per cent.

Maharashtra being the largest contributor to national GDP and home of highly concentrated MSMEs, सर, मेरी डिमांड है कि जो एमएसएमई समाधान पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से एक लाख पांच हजार केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से 47,000 केसेज का अनुग्रहण किया गया है। केसेज की पेंडेंसी काफी है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोर्टल के माध्यम से इसे स्थापित किया जाए। धन्यवाद।

(1455/ALK/GTJ)

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी (महासमुन्द) : मैं इस सदन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण परियोजना ‘भारतनेट - 2.0’ की छत्तीसगढ़ में दुर्दशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यह योजना हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है।

जीवन में जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यक है, उसी तरह से आज हम लोगों के लिए डिजिटल नेटवर्क बहुत आवश्यक हो गया है। यह योजना डिजिटल इंडिया की रीढ़ थी, जिससे ग्रामीण भारत को सशक्त किया जाना था। परंतु छत्तीसगढ़ में तात्कालिक सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण इसे बर्बाद कर दिया गया। पूरे राज्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल अधूरी बिछी पड़ी हुई हैं, खुदाई अधूरी छोड़ दी गई है। उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं और जहां पर कनेक्शन दिए भी गए हैं, वहां पर उपकरण धूल खा रहे हैं। पंचायतें, शासकीय महाविद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र सभी डिजिटल सेवाएं निजी सेवा प्रदाता पर आश्रित हैं या सेवा से वंचित हैं।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : माननीय सदस्या आप अपनी मांग रखिए।

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी (महासमुन्द) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करती हूं कि केंद्र सरकार इस पर पुनः समीक्षा कर निष्पक्ष क्रियान्वयन सुनिश्चित करे, ताकि ग्रामीण भारत डिजिटल विकास से वंचित न रहे और जिन्होंने भी लापरवाही बरती है या निष्क्रियता दिखायी है, उनके ऊपर उच्च स्तरीय जांच करायी जाए, जिससे पूरे मामले की पारदर्शिता सामने आ सके।

धन्यवाद सभापति जी।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan Rajenimbalkar	Shri Arvind Ganpat Sawant
Shrimati Sandhya Ray	Shri Dharmendra Yadav

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1456 बजे

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी**) :** जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Establishment of a medical college and expansion of medical facilities in Nathdwara in Rajsamand Parliamentary Constituency

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द) : मैं सरकार का ध्यान मेरे राजसमन्द लोकसभा में और अधिक स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के विकास और विस्तार की आवश्कता के प्रति आकर्षित कराना चाहती हूँ। पूर्व की राजस्थान सरकार द्वारा नाथद्वारा विधानसभा के गुन्जेल राजस्व ग्राम में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए भूमि आवंटन किया गया था परन्तु भवन निर्माण कतिपय प्रशासनिक कारणों से प्रारम्भ नहीं हो सका है | वर्तमान में मुझे अवगत कराया गया है कि कतिपय कारणों से राज्य सरकार द्वारा अब इस हेतु वित्तीय उपायों को भी नहीं उपलब्ध कराया जा सकेगा जायेगा जिस कारण मेडिकल कालेज का निर्माण पूर्ण नहीं हो पायेगा | आर्थिक रूप से पिछडे नाथद्वारा जो राजसमन्द लोकसभा के अंतर्गत आता है, वहाँ तो मेडिकल सेवाओं के विकास और विस्तार में सरकार का सक्रिय सहयोग और भी अपरिहार्य हो जाता है | इस मेडिकल कालेज के बन जाने से आमजन को अच्छी और सस्ती मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी जिससे बच्चों और महिलाओं को विशेष रूप से लाभ मिल सकेगा अत: आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार के साथ मिलकर राजसमन्द लोकसभा में मेडिकल सेवाओं का विस्तार किया जाये और नाथद्वारा के गुन्जेल ग्राम में मेडिकल कालेज को बंद न किया जाये।

(इति)

Re: Need to construct a flyover at Lilori level crossing on Ranchi-Rajganj road in Dhanbad, Jharkhand

श्री दुलू महतो (धनबाद) : मैं सरकार का ध्यान धनबाद संसदीय क्षेत्र (झारखण्ड) अन्तर्गत रांची–राजगंज रोड पर स्थित लिलोरी रेलवे क्रॉसिंग की ओर दिलाना चाहता हूँ, जहाँ प्रतिदिन कई बार गंभीर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। यह मार्ग रांची को राजगंज तथा आसपास के क्षेत्रों से जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। औद्योगिक गतिविधियों के कारण इस मार्ग से हेवी ट्रेलर्स, कोल हाइवा (Coal Hyvas) एवं अन्य भारी वाहनों का निरंतर आवागमन होता है। रेलवे फाटक के बार-बार बंद होने, संकरी सड़क तथा भारी वाहनों की कतार लगने से क्रॉसिंग पर कई-कई घंटों तक जाम रहता है। एम्बुलेंस, स्कूल बसें, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और दैनिक यात्रियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार जाम इतना लंबा हो जाता है कि आपातकालीन सेवाएँ भी प्रभावित होती हैं, जिससे नागरिकों में गहरा रोष है। अतः मैं सरकार से लिलोरी रेलवे क्रॉसिंग पर तत्काल फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति और शीघ्र कार्यारंभ सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध करता हूँ, ताकि जनता को राहत मिल सके और दुर्घटनाओं की संभावनाएँ कम हों।

(इति)

Re: Need to provide financial assistance to farmers who lost their crops due to heavy rain in Bihar particularly in Maharajganj Parliamentary Constituency

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : जलवायु परिवर्तन के कारण विगत महीनों में मानसून काल समाप्त होने के बाद भी,बिहार विशेषकर सारण प्रमंडल, जिसमे मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज भी आता है, मे लगातर कई दिनों तक हुई भारी जलवृष्टि से किसानों को बड़े पैमाने पर हुए नुकसान की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बिहार राज्य में लगभग 56.03 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इसमें लगभग 05 लाख हेक्टेयर में सारण प्रमंडल के किसान अपनी खेती-बाड़ी करते हैं। भारी जलवृष्टि से किसानों की खरीफ की फसल लगभग पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है और रबी फसल की बुआई भी बड़े स्तर पर प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गयी है। किसानों के लिए धन का स्रोत एक मात्र कृषि ही हैं। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि केन्द्र के स्तर से एक टीम भेजकर अति जलवृष्टि से मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज सहित बिहार के किसानों को हुए भारी क्षति/नुकसान का आकलन कराया जाये और प्रभावित किसानों को राष्ट्रीय आपदा के तहत आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए।

(इति)

Re: Need to construct a new multi-lane bridge parallel to existing bridge at Palasani on NH-16 between Cuttack and Bhubaneswar in Odisha

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The NH-16 corridor between Cuttack and Bhubaneswar is a lifeline for thousands of daily commuters, yet it faces chronic traffic congestion at the Palasuni Bridge due to its single-lane bottleneck. This narrow passage is grossly inadequate for the volume of vehicles traversing this vital stretch, resulting in prolonged jams, delays, and mounting frustration among the public. The situation has worsened over time, with peak hours witnessing gridlocks that disrupts not only personal travel but also emergency services, logistics, and economic activity. The lack of alternate routes or structural expansion has made Palasuni a choke point, undermining the efficiency of this national highway. In view of the persistent hardship faced by commuters and the strategic importance of this route, I would urge upon the Union Government to take immediate steps to construct a new multi-lane bridge parallel to the existing one. This will significantly ease traffic flow, enhance safety, and ensure smoother connectivity between the twin cities.

(ends)

Re: Need to undertake repair of the old and dilapidated bridge on Girna river in Jalgaon parliamentary Constituency

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : जलगाँव लोकसभा क्षेत्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसंरचना मुद्दे की ओर सदन का गम्भीर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। गिरणा नदी पर स्थित पुल, जिसका निर्माण वर्ष 1972 में हुआ था, पिछले पचास वर्षों से अधिक समय से हमारे क्षेत्र की जीवनरेखा के रूप में सेवा दे रहा है। आज यह पुल स्पष्ट रूप से जर्जरता और संरचनात्मक थकावट के चिन्ह दिखा रहा है, जिसके कारण इसका त्वरित निरीक्षण, सुदृढ़ीकरण और समग्र मरम्मत अत्यंत अनिवार्य हो गया है। प्रतिदिन लाखों नागरिक परिवहन कार्य हेतु इसी पुल पर निर्भर करते हैं। यदि इस पुल में कोई भी बाधा आती है, तो पूरे क्षेत्र की आवाजाही, व्यापार गतिविधियाँ गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। बीते वर्षों में बढ़ी हुई जनसंख्या, औद्योगिक वृद्धि और यातायात दबाव के कारण यह एकल पुल अब बिल्कुल अपर्याप्त हो चुका है, निरंतर जाम, विलंब और दुर्घटना का जोखिम बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश की अवसंरचना में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसी विकास-गति से प्रेरित होकर मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ कि जलगाँव की इस दीर्घकालिक माँग को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए—पुराने पुल की त्वरित मरम्मत और इसके समानांतर एक नए बड़े पुल का त्वरित अनुमोदन अविलंब दिया जाए।

(इति)

Re: Need to re-develop water bodies and community centres in North West Delhi

श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : मैं आज अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली में जल निकायों एवं समुदाय केंद्रों के विकास के बारे में इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में समुदाय केंद्र और जल निकाय दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), राजस्व विभाग और बाढ़ और सिंचाई विभाग सहित कई एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उत्तर पश्चिम दिल्ली में सभी समुदाय केंद्रों एवं जल निकायों की पहचान करें, जल निकायों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए एक व्यापक योजना विकसित करें और इन समुदाय केंद्रों एवं जल निकायों के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित कर सभी समुदाय केंद्रों एवं जल निकायों को पुन: विकसित किया जाए।

(इति)

Re: Rising levels of Uranium in ground water posing a serious health hazard to new born babies consuming Uranium contaminated breast milk

SHRI RAO RAJENDRA SINGH (JAIPUR RURAL): Breastfeeding is a gold standard of neonatal nutrition as human milk consists of essential compounds crucial for proper development of a child. A recent scientific study published in Scientific Reports has documented the presence of uranium in breastmilk samples across six districts of Bihar-Bhojpur, Samastipur, Begusarai, Khagaria, Katihar, and Nalanda. The study analysed samples from 40 lactating mothers aged 17-35 years and reported detectable uranium in 100% of the samples, with concentrations ranging up to 5.25 pg/L. District-wise analysis showed the highest mean levels in Khagaria (4.035 pg/L) and the lowest in Nalanda (2.354 ug/L. The study found that approximately 70% of exclusively breastfed infants may face non-carcinogenic health risks due to uranium intake relative to body weight and physiological capacity. The study attributes the likely source of contamination to groundwater, referencing earlier investigations that detected uranium concentrations exceeding WHO's 30 ug/L limit in multiple districts of Bihar. Independent investigations conducted in the state of Rajasthan have also recorded elevated arsenic levels in breastmilk and biological samples of women and infants exceeding prescribed limits. These studies identify groundwater and staple food consumption as probable exposure pathways. The matter requires coordinated monitoring and technical assessment.

(ends)

Re: Need to upgrade trauma centres in Chhattisgarh

श्री चिन्तामणि महाराज (सरगुजा) : छत्तीसगढ़ में 6 ट्रोमा सेन्टर्स हैं जिनमें बिलासपुर रायपुर जगदलपुर लेवल 2 के और अम्बिकापुर, रायगढ़, कांकेर लेवल 3 के ट्रोमा सेन्टर्स हैं। यदि छत्तीसगढ़ में ट्रोमा सेन्टर्स की ट्रेंच को देखा जाए तो पहली ट्रेंच में जगदलपुर से अम्बिकापुर की दूरी 678 किलोमीटर है और दूरी दूसरी ट्रेंच में जगदलपुर से रायगढ़ 480 किलोमीटर है इस पूरी लाईन में लेवल 1 ट्रोमा सेन्टर नहीं हैं। अम्बिकापुर से पहले रायपुर में ट्रोमा सेन्टर आता है और यहाँ एम्स भी है, जो 341 किलोमीटर की दूरी पर है और अम्बिकापुर के आगे रांची स्थित ट्रॉमा सेंटर की दूरी 290 किलोमीटर और देवघर एम्स की दूरी 560 किलोमीटर तथा पटना एम्स की दूरी 400 किलोमीटर हैं। वर्तमान में आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ में ट्रोमा सेन्टर्स के ट्रेंच में कम से कम एक ट्रोमा सेन्टर लेवल 1 और 2 ट्रोमा सेन्टर लेवल 2 या लेवल 3 के बनाए जाऐं। अतः मेरा सुझाव है कि अम्बिकापुर स्थित लेवल 3 ट्रोमा सेन्टर को प्रोन्नत करके लेवल 1 ट्रोमा सेन्टर बनाया जाए तथा इसके अतिरिक्त अम्बिकापुर के आगे दो ट्रेंच जिला बलरामपुर और औरंगाबाद, महाराष्ट्र की तरफ तथा जिला जशपुर, रांची झारखण्ड की तरफ बनाकर लेवल 2 या लेवल 3 के ट्रोमा सेन्टर्स बनाए जाऐं।

(इति)

Re: Need to expedite construction of Alirajpur-Khargone- Khandwah new broad-gauge railway line

श्री गजेन्द्र सिंह पटेल (खरगौन) : मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अलीराजपुर -खरगोन-खंडवा नई ब्रॉड गेज रेल लाइन के विषय पर आकर्षित करता हूँ। ₹6.25 करोड़ की लागत से शुरू किए गए इस रेल मार्ग का अंतिम स्थान सर्वेक्षण (FLS) वर्तमान में जारी है और इसमें फुट-टू-फुट सर्वे तथा ड्रोन मैपिंग शामिल है। यह परियोजना पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ के 5 जिलों (खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर) को जोड़कर विकास की नई दिशा देगी। चूंकि सर्वे में पहाड़ी क्षेत्र, नदी नाले (नर्मदा की सहायक नदियाँ) और कृषि भूमि शामिल है, मेरा रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए नदी-पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन को जल्द अंतिम रूप दे। परियोजना की मंजूरी से पहले ही भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक धारा 20A और अन्य अधिसूचनाएँ जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दे, ताकि बाद में परियोजना में विलंब न हो। सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को मिशन मोड में पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे।

(इति)

Re: Need to frame a policy for overall development of villages falling under forest area in the country particularly in Bahraich, Uttar Pradesh

डॉ. आनन्द कुमार गोंड (बहराइच) : मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के बहराइच सहित देश के अनेक राज्यों के उन ग्रामीण इलाकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वन क्षेत्र के भीतर अथवा वन सीमा के समीप स्थित हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क, पेयजल तथा विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। स्थानीय प्रशासन एवं पंचायतों द्वारा विकास कार्य आरंभ किए जाने पर कई बार स्थानीय वन विभाग की ओर से आपत्तियाँ, देरी अथवा कार्य रोकने जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे जनजीवन अत्यंत प्रभावित होता है। वन क्षेत्र की भौगोलिक कठिनाइयों, प्रशासनिक स्पष्टता के अभाव तथा विभागीय समन्वय की कमी के कारण इन गाँवों में विकास वर्षों से ठहर सा गया है। आदिवासी, वन निवासी, गरीब तथा पिछड़े वर्गों के हजारों परिवार अब भी आवश्यक सेवाओं से वंचित हैं, जिससे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन- स्तर पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः मेरा आग्रह है कि वन क्षेत्रों से जुड़े इन ग्रामीण इलाकों के समग्र विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष नीति/शासनादेश शीघ्र जारी किया जाए, जिससे इन गांवों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराई जा सके।

(इति)

Re: Need to provide Ex-Servicemen status to former Military Nursing Service (MNS) Officers

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the attention of the Hon'ble House to the denial of Ex-Servicemen (ESM) status to former Military Nursing Service (MNS) Officers, which has severely affected their post-service employment prospects and may deter youth from joining the MNS. MNS, the only all-women service in the Indian Army, had been granted ESM status since its inception. However, in 2019, the Kendriya Sainik Board withdrew this recognition, jeopardising officers' access to age-relaxation measures, job reservations and other benefits available to ex-military personnel, thereby creating social and financial vulnerabilities. This has recently impacted officers seeking re-employment in civil services after the Short Service Commission, with candidatures being rejected due to the non-recognition of their ESM status. In April 2025, the Supreme Court upheld the inclusion of MNS Officers in the ESM category, yet no substantive action has been taken to enforce this ruling. This inaction undermines the dignity and welfare of MNS Officers and risks discouraging future recruitment. I urge the Hon'ble Minister of Defence to take immediate steps to implement the Supreme Court's directive and restore the rightful benefits of these officers.

(ends)

Re: Need to establish SAI training centers in Nashik and Dhule Districts of Maharashtra

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) : मैं माननीय खेल मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र में SAI (भारतीय खेल प्राधिकरण) के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। महाराष्ट्र ने हमेशा देश के खेल व्यवस्था/ संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में शीर्ष सम्मान प्राप्त किए हैं। महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने खेलों के प्रोत्साहन में सदैव सक्रिय भूमिका निभाई है, परंतु यह कार्य केंद्र सरकार के सहयोग के बिना अधूरा है। वर्तमान में देशभर में 69 SAI प्रशिक्षण केंद्र (STCs) कार्यरत हैं। मुंबई सर्कल के अंतर्गत 2 केंद्र हैं, लेकिन ये दोनों गोवा में स्थित हैं। इस प्रकार, महाराष्ट्र राज्य में एक भी SAI प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। खेल समुदाय को समुचित रूप से विकसित करने के लिए योजनाबद्ध प्रोत्साहन, विशेषकर वित्तीय और आधारभूत ढांचे का सहयोग आवश्यक है। मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत स्थापित SAI प्रशिक्षण केंद्र वैज्ञानिक प्रशिक्षण व उपकरण सहायता, बोर्डिंग- लॉजिंग, वजीफा, प्रतियोगिता exposure, और बीमा व्यय जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, यह रोजगार और सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होंगे। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूँ कि महाराष्ट्र के नासिक और धुले जिलों में SAI स्पोर्ट्स प्रमोशनल योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएं।

(इति)

Re: Need for environmental clearance on construction work in Aligarh Muslim University Centre at Kishanganj, Bihar including filling up of sanctioned posts in the institute through SAMARTH portal

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): I wish to highlight the decade-long delay in fully operationalising the Aligarh Muslim University (AMU) Centre at Kishanganj, Bihar. Construction remains stalled since the begining due to an NGT stay, even though Bihar Government's Flood Control Division report (03.10.2019) confirms the site is outside the river bed and active flood plain. The State amended its Building Bylaws in 2022; construction of the adjoining Police Lines has since resumed under the same norms. Yet, as informed by the Ministry in September 2025, no environmental clearance application has reached State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) Bihar on the Parivesh Portal. Furthermore, though the Centre was notified functional in 2014 and classes continue in temporary buildings, the Ministry of Education has repeatedly directed AMU to fill more than 120 sanctioned teaching and non-teaching posts exclusively through the SAMARTH Portal. Till date, these posts remain vacant and the Kishanganj Centre is not integrated with the SAMARTH Portal, causing persistent hardship to students and existing staff. I urge the Hon'ble Ministers of Environment, Forest & Climate Change and Minister of Education to kindly inform the House about the definite timeline for environmental clearance and removal of NGT stay; and immediate action to ensure filling of all sanctioned posts through SAMARTH Portal.

(ends)

Re: Need to provide stoppage of various Express trains at Gudiyattam town railway station in Tamil Nadu

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): I wish to draw the attention of the House to the Gudiyattam Town Railway station which is one of the prominent Hubs and spoke node model Railway station for daily train travel passengers and is being under capacity utilized in last 70+years. For their daily train travel, passengers in and around Gudiyattam Town and villages (350 village peripherals) struggle to go to board the train from nearby stations. Large number of industrial, labour, workers from Gudiyattam Town and its surroundings are working in Chennai, Kanchipuram, Bengaluru and Coimbatore regions. I on behalf of the people of my Vellore Parliamentary constituency request the Honorable Minister to facilitate and make arrangements for trains viz. 1. Lalbagh Express - 12607/12608 2. Trivandrum Express - 12695/12696 3. Kovai Express 12675/12676 4. Brindavan Express - 12639/12640 to stop and halt at Gudiyattam Town Railway station. Both onward and downward journey platform tracks are located in main line only. I request the Hon'ble Minister to consider the proposal of new Express trains, daily between Salem Junction and Chennai Central via Vellore, Gudiyattam, Ambur, Vaniyambadi, Jolarpet. Express starts at 4.30 am from Salem to reach Chennai at 9.50 am and starts at 4.30 pm from Chennai and reach Salem at 9.50 pm. This daily Express train would serve the people of Tamil Nadu in the best possible manner.

(ends)

Re: Need to develop Kondapalli railway station in Vijayawada, Andhra Pradesh under Amrit Bharat Station Scheme

SHRI KESINENI SIVANATH (VIJAYAWADA): I would like to acknowledge the Government’s commendable initiative in modernizing railway infrastructure through the Amrit Bharat Station Scheme. In this context, I wish to draw the attention of the Hon’ble Minister of Railways to Kondapalli railway station, located in my Parliamentary Constituency of Vijayawada. Kondapalli is one of the oldest operational stations, established during the British era, and is strategically located near the developing capital city of Amaravati. Despite its historical and logistical importance, the station remains severely underdeveloped, with partially constructed platforms and dilapidated infrastructure, adversely impacting both passenger and freight movement. Its upgradation will significantly ease the burden on Vijayawada Junction—one of the busiest stations in the country—by serving as an auxiliary node for rail traffic. As the station holds considerable local significance, which is one of the key criteria under the Amrit Bharat Station Scheme, I earnestly request the Hon’ble Minister to consider Kondapalli station for development under this visionary initiative.

(ends)

Re: Need to rename the Old Delhi Railway station as Sis Ganj Sahib Railway station and New Delhi Railway station as Guru Tegh Bahadur Railway station

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): I wish to draw the attention of the House to the upcoming 350th Martyrdom Year of the Ninth Sikh Guru, Sri Guru Tegh Bahadur Ji. In 1675, Guru Sahib made the supreme sacrifice in Chandni Chowk to protect the religious freedom of the people of India and Sanatana Dharma, earning the title "Hind Di Chaadar" (The Shield of India). It is a matter of historical significance that Old Delhi Railway Station (Delhi Junction) is located just a few hundred meters from Gurudwara Sis Ganj Sahib, the exact hallowed ground where Guru Sahib was beheaded for refusing to renounce his faith. Similarly, the New Delhi Railway Station is situated near Gurudwara Rakab Ganj Sahib, where his body was cremated. Despite this deep historical connection, there is no major railway landmark in the Capital named in his honor. As the nation observes this historic 350th anniversary, I urge the Union Government to rename Old Delhi Railway Station as "Sis Ganj Sahib Railway Station" or rename New Delhi Railway Station as "Guru Tegh Bahadur Railway Station." This would be a befitting tribute to the Guardian of Human Rights who gave his life for the nation's conscience.

(ends)

Re: Need to empower Bodoland Territorial Region and other Autonomous District Councils under Sixth Schedule to the Constitution

SHRI JOYANTA BASUMATARY (KOKRAJHAR): The Constituent Assembly and the recommendations of the Bordoloi Committee, the Government recognises that the primary purpose of the Sixth Schedule was to address regional aspirations, protect the identity, culture, customs and traditional institutions of tribal communities, and reduce socio-economic disparities in the hill and tribal areas of the North Eastern region. But despite successive peace accords and constitutional and statutory arrangements, there continues a significant gap in socio-economic development indicators between many Sixth Schedule areas like Bodoland Territorial Region and the others of their parent States. It is high time for the Government to take steps to create a clear, transparent and non-ad-hoc framework for Finance Commission-linked transfers and other grants-in-aid to Sixth Schedule Councils, so that grants under Article 275(1) and take steps to amend Article 280 and make provisions to send fund direct to the Autonomous District Councils. The other devolution mechanisms are not subject to temporary freezes or discretionary, piecemeal packages. I demand from the Government to provide additional powers to the Bodoland Territorial Region and other Autonomous District Councils under paragraph 3B of the Sixth Schedule.

(ends)

Re: Need to frame a special policy for conservation of Aravalli region

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : मैं वन एवं पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली के अस्तित्व को बचाने की मांग से अवगत करवाते हुए बताना चाहता हूँ कि दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान के एक दर्जन से अधिक जिलों में फैली अरावली पर्वतमाला पर अतिक्रमण, शहरीकरण, अनाधिकृत विकासात्मक गतिविधियाँ और पर्यावरणीय उल्लंघन अरावली की पहाड़ियों में नाज़ुक पारिस्थितिकीय संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं और अवैध खनन इसके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन चुका है ,राजस्थान राज्य में अरावली में बीते पाँच वर्षों में 27,000 से अधिक अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से मात्र 13% मामलों में ही एफआईआर दर्ज की गई। इस अवधि में 244 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है, लेकिन क्या इस जुर्माने से अरावली के अस्तित्व को बचाया जा सकेगा यह बड़ा सवाल सरकार की नीतियों पर है | एनजीटी द्वारा अरावली में खुदाई को जघन्य अपराध घोषित करने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त दिशा-निर्देश देने के बावजूद सरकार खामोश है ,मेरी माँग है की केंद्र सरकार अरावली क्षेत्र के संरक्षण के लिए विशेष नीति लाए और राजस्थान तथा हरियाणा सरकार को भी इस सन्दर्भ मे निर्देशित करे।

(इति)

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक — जारी

माननीय सभापति : मेरी आपसे प्रार्थना है कि समय कम है, जिन-जिन माननीय सदस्यों को बात रखने के लिए बुलाया जाता है, वे अपनी बात 5 मिनट में रखें।

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल।

1457 बजे

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल (वलसाड) : माननीय सभापति जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025' पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना विजनरी बिल जो हमारी भारत की सुरक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करेगा, ऐसा बिल लेकर आए, तो मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति जी, हमारा भारत देश वर्ष 2014 तक विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 11 साल में ही भारत की अर्थव्यवस्था 11वीं से 4वीं नम्बर की बना दी है। हमारा वर्ष 2047 में विकसित भारत का संकल्प है। विकसित भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हैं, वह हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा। यह बिल इसको सुनिश्चित करेगा। यह जो नया कानून देश के लिए आ रहा है, यह सुरक्षा और हमारी सेहत के लिए पैसे इकट्ठा करने का इंतजाम करता है। अभी तक जब कोई मुसीबत आती थी, तब हमारी सरकार पैसे खोजने जाती थी, लेकिन इस बिल के जरिये एक परमानेंट फंड बनेगा, जिससे जब कोई भी विपत्ति आएगी या कोई भी इमरजेंसी आएगी, तो स्वास्थ्य के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा के लिए यह फंड रहेगा। यह बिल एक ऐसा फंड बनाएगा, जो हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रहेगा। पहले की यूपीए सरकार में जब कोई भी इमरजेंसी आती थी, तब वह पैसे खोजने जाती थी, लेकिन यह जो बिल आया है, इसमें ये जो संकट थे, वे सारे संकट यह बिल मिटाएगा।

सभापति जी, हमारे देश में कैंसर की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी बहुत चिंतित थे, इसीलिए परसो जो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल आया है, उसमें सिगरेट पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है और यह जो बिल आया है, वह विशेषकर जो पान, मसाला, गुटखा है उस पर सेस लगाने का पूरा बंदोबस्त किया गया है, जिसके जरिये हमारी देश की सुरक्षा और हेल्थ पर तो हम लोग पैसे खर्च करेंगे ही, लेकिन हम हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी एक मजबूत कदम उठा रहे हैं।

(1500/CP/HDK)

एक दुष्प्रचार भारत भर में चल रहा है कि यह बिल आम लोगों पर बोझ बनने वाला है। यह बिल आम लोगों पर बोझ बनने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो सिन गुड्स हैं, जैसे पान मसाला पर ज्यादा एक्साइज लगाने का इसमें प्रावधान किया गया है। अभी तक जो सेस लगता था, एक्साइज लगता था, टैक्स लगता था, वह बिक्री पर लगता था। बिक्री में अंडर रिपोर्टिंग होती थी, इसलिए टैक्स चोरी बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। हम जो नया कानून ला रहे हैं, उसमें मशीन की क्या कैपेसिटी है, मशीन कितना उत्पादन कर रही है, उस पर टैक्स लगेगा। हम लोग इंस्पेक्टर राज से हटकर एकदम अच्छे से टैक्स कलेक्ट पाएंगे। इसका प्रावधान इस बिल में है।

पहलगाम और दिल्ली जैसी जब घटनाएं हुईं, तब पता चलता है कि खतरे बदल रहे हैं। जो हमारे विरोधी देश हैं, वे भी अलग-अलग तरह से खतरे पैदा कर रहे हैं। आपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारत देश के सुरक्षा बलों ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से मुकाबला किया। यह बिल सुरक्षित करेगा, सुनिश्चित करेगा कि बिल के जरिए जितना भी पैसा आएगा, वह हमारे देश की सुरक्षा में लगेगा। जो पुरानी सरकार में कमियां थीं, इस बिल ने उसे ठीक करने का काम किया है।

मोदी जी जब प्रधान मंत्री बने, उसके बाद वे आयुष्मान भारत स्कीम लाए। इसके अंतर्गत पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज होने लगा है। अपोजीशन से सुप्रिया सुले जी ने बोला कि दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि दवाइयों के दाम बढ़े नहीं हैं, बल्कि कम हुए हैं। मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद खोले गए जनऔषधि केंद्रों में रियायती दामों पर दवाइयां मिल रही हैं, इसलिए यह पूरा दुष्प्रचार है। हमारे जो बुजुर्ग है, उनके लिए पीएमजेएवाई में चालीस लाख बुजुर्गों को जोड़कर स्कीम का लाभ दिया गया है। हमारे देश में इससे 8.25 लाख करोड़ रुपये की बचत लोगों को हुई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांवों और शहरों में खोले गए हैं। हमारे हेल्थ बजट में वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2014 तक सिर्फ 1.15 पर्सेंट था, वह बढ़कर 1.84 पर्सेंट हो गया है। पूरे भारत देश के अंदर अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाया गया है और ज्यादा एम्स हॉस्पिटल्स खोले गए हैं। सबसे महत्पूर्ण है कि साइंस कॉलेजेज़ और मेडिकल कॉलेजेज़ में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2014 के बाद प्रधान मंत्री मोदी जी ने हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, बार्डर सुरक्षा पर बहुत ज्यादा फोकस किया, बजट दिया, बल दिया। इसके कारण ही मोदी सरकार ने रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये कर दिया। यह काम हमारे मोदी जी ने किया है। यह जो बिल आएगा, उसका बड़ा हिस्सा हथियार और नई टेक्नोलॉजी खरीदने में जाएगा। हम लोग बार्डर पर जो सड़क और सुरंगें बना रहे हैं, उसमें भी तेजी आएगी। यूपीए सरकार के डिफेंस मिनिस्टर एंटोनी जी ने बताया था कि हमने देश के बार्डर पर सुरक्षा बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं किया, कोई बजट नहीं दिया। यह जो बिल है, इसमें हमारे बार्डर की सिक्योरिटी है। यह इसको सशक्त करने का काम करेगा। यह टैक्स चोरी रोकने का पक्का इलाज है। यह बिल उद्योगों को ठीक तो करेगा, साथ ही जो टैक्स चोरी कर रहे थे, उनको भी पकड़ेगा। अधिकारी की मर्जी से नहीं, कंपनी की मर्जी से नहीं, बल्कि कंपनी की कैपेसिटी, मशीन की कैपेसिटी और स्पीड के हिसाब से टैक्स लगेगा।

यह बिल लांग टर्म प्लानिंग के लिए है। यह स्थायी समाधान देगा। हमारा मिशन सुदर्शन चक्र है, आत्मनिर्भर भारत है, ऐसे बड़े मिशन की तरह यह खास काम करेगा। धारा 5 में यह टैक्स का आधार होगा कि मशीन कितनी तेजी से काम करती है। … (व्यवधान) (इति)

(1505/SK/PS)

1505 बजे

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : माननीय सभापति जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे "स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया।

आज अमेरिका, चीन, रूस जैसे सभी विकसित दृष्टि से मजबूत देशों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में हैल्थ सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है इसलिए सरकार का यह कदम सैद्धांतिक रूप से स्वागत योग्य है। हमें सरकार की मंशा पर कोई संदेह नहीं है, किंतु मंशा से ज्यादा जरूरी है कि सही नीति और उसका प्रभावी इम्पलीमेंटेशन हो।

भारत में हर साल तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों से लगभग 13 से 14 लाख लोगों की असमय अकाल मृत्यु हो रही हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बताती है कि मुंह के कैंसर के 90 प्रतिशत से अधिक मामले स्मोकलेस तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, खैनी आदि के सेवन से होते हैं। केवल वर्ष 2022 में ही स्मोकलेस तंबाकू से लगभग 80,000-85000 मुंह के कैंसर के नए मामले सामने आए थे। तंबाकू केवल कैंसर ही नहीं, हृदय रोग, सीओपीडी, क्षय रोग और अनेक संक्रामक रोगों को भी बढ़ावा देता है। यह केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का नहीं बल्कि भारतीय लोगों एवं आर्थिक सुरक्षा का भी प्रश्न है। क्या केवल कीमत बढ़ा देने से यह महामारी रुकेगी? हम सब जानते हैं कि नशा शौक नहीं है बल्कि एक लत है। अगर इसकी लत लग जाए तो आदमी पेट्रोल की गंध सूंघ लेता है, आयोडेक्स मल लेता है और कफ सिरप भी पी लेता है। दवा की दुकान पर कौरेक्स खरीदने के लिए आधार कार्ड माँगे जाने के बावजूद भी लोग जुगाड़ कर लेते हैं। गुटखा, पान मसाला पर सेस या जीएसटी बढ़ाने मात्र से क्या हम यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि लोग इस का सेवन करना छोड़ देंगे?

महोदय, हमने देखा है कि नशे की तलब इंसान को इंसानियत से दूर कर देती है। इस लत के कारण बच्चे की दूध की बोतल के पैसे, पत्नी के गहने, घर का राशन- सब बिक जाता है। क्या हम इतने भोले हैं कि यह मान लें कि महंगा होने से नशा करने वाले लोग नशे का सेवन करना छोड़ देंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जन-स्वास्थ्य को बचाने का एकमात्र रास्ता है कि हम जहर बेचने की इजाजत दे दें, उस पर टैक्स लगा कर राजस्व कमाएँ और फिर उसी राजस्व से उसी जहर से हुई बीमारी का इलाज करें? क्या यह स्वास्थ्य सुरक्षा है या स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर एक क्रूर मजाक है ?

महोदय, हमारी सरकार का सिद्धांत कभी भी राजस्व के लिए जीवन से समझौता करना नहीं है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस सेस बिल को वापस लिया जाए और इसके स्थान पर एक व्यापक, सख्त और वैज्ञानिक कॉम्प्रिहेन्सिव तम्बाकू और गुटखा कंट्रोल बिल लाया जाए जिसमें ये प्रावधान अनिवार्य होने चाहिए, जैसे - सभी तंबाकू उत्पादों (स्मोकिंग एवं स्मोकलेस दोनों) कंपनियों के विज्ञापन, प्रयोजन एवं प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए ताकि कोई इलायची तथा अन्य पदार्थों के नाम पर पान मसाला जैसे जहरीले पदार्थ न बेच सके। पैकेट के आगे और पी

90 प्रतिशत हिस्से पर ग्राफिक हैल्थ वॉर्निंग अनिवार्य हो। सभी शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध हो। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बेचने पर कड़ी सजा हो एवं दुकान का लाइसेंस रद्द हो। तंबाकू कंपनियों पर "सुपर प्रॉफिट टैक्स" या "विंडफॉल हैल्थ सेस" लगाया जाए और आम उपभोक्ता पर बोझ न डाला जाए। राजस्व की जरूरत है तो अवैध तंबाकू कारोबार पर कड़ी कार्यवाही कर छिपे हुए हजारों करोड़ रुपये वसूल किए जाएँ।

महोदय, केवल प्रतिबंध से ही काम नहीं चलेगा। हम सब जानते हैं कि आज भी गली-गली मेंड्रग्स, हेरोइन, चरस और गांजा मिलने की बात होती है। हमारे पड़ोस में गुजरात में शराबबंदी है फिर भी शराब आसानी से हर गली और हर मोहल्ले में मिल जाती है। मजे की बात है कि गुजरात में शराब के सेवन के लिए कानूनी परमिट मिल जाता है और अभी 77 होटलों को शराब परोसने के लाइसेंस भी दिए गए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी में शराब सेवन की छूट दी जाती है। यह कैसा प्रतिबन्ध है? वहां दारू बिकती है, परमिट मिलता है लेकिन वहां फिर भी दारूबंदी है। आज गुजरात में शराब के रेवेन्यू का 25,000-30,000 हजार करोड़ रुपये का काला कारोबार फलफूल रहा है। इससे अच्छा है कि गुजरात में नियंत्रित बिक्री को वैध कर राजस्व लिया जाए, कम से कम वह पैसा भ्रष्ट तंत्र की तिजोरी में जाने के बजाय सरकारी तिजोरी में आएगा। जब सरकार ने नशे से राजस्व कमाने की ठान ही ली है तो गुजरात सहित देश के बाकी राज्यों में, जहाँ शराब पर पाबंदी लगाई गई है, पूरी तरह से हटा दिया जाये ताकि शराब का काला कारोबार खत्म हो और सरकार को रेवेन्यू मिल सके।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी): अब आप अपनी बात समाप्त करें।

… (व्यवधान)

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) :सभापति जी, मानसून सत्र में एक भी बिल पर चर्चा नहीं हुई थी। कृपया आप मुझे कम से कम 30 सेकिंड का समय तो दीजिए। … (व्यवधान)

महोदय, वैसे भी जब ऐसे जहरीले नशीले पदार्थों पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं है तो शराब पर क्यों रहे? जब हम विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते है तो हमें विकसित राष्ट्र की तरह सोचना भी होगा। मेरा मानना है की केवल प्रतिबन्ध से ही कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रतिबन्ध कभी-कभी भ्रष्टाचार का बड़ा दरवाजा खोल देता है और काले कारोबार, काले धन का साम्राज्य खड़ा कर देता है।

सेस से नहीं, संकल्प से स्वस्थ बनेगा भारत।
टैक्स से नहीं, तत्परता से सशक्त बनेगा भारत।

सभापति जी, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को वापस लेकर एक मजबूत, बहुआयामी तंबाकू नियंत्रण कानून लाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को यह कहना न पड़े कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

(इति)

(1510/SJN/SNL)

1510 बजे

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, आपने मुझे गुटखा और पान-मसाला उद्योग की सख्त निगरानी के लिए इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, हमने बहुत से माननीय सदस्यों की बात सुनी है। इस बिल पर दो दिन से लगातार चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से सरकार कोई भी बिल लाती है, लेकिन कानून बनने के बाद सरकार उस कानून की कितनी पालना करवा सकती है, यह महत्वपूर्ण है। मुझसे पूर्व सांसद ने अपने भाषण के दौरान बताया है कि कई राज्यों में शराबबंदी है, फिर भी वहां शराब बिक रही है। कई राज्यों ने गुटखे पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन फिर भी वहां गुटखा बिक रहा है। सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, इसको पीने से कैंसर हो सकता है। दुर्भाग्य से कानून बनने के बाद भी धरातल पर उन कानूनों की पालना नहीं होती है।

महोदय, मेरा एक आग्रह है। मीडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस बिल का मकसद स्वास्थ्य नुकसान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। सरकार ऐसा कह रही है। सेस उत्पादन क्षमता का विकास किया जाएगा और कानून के उल्लंघन पर पांच साल की कैद की सजा का प्रावधान होगा। मैं चाहता हूं कि आप पांच साल की कैद की सजा को बढ़ाकर सात साल कर दें। जब मैं इस विधेयक को पढ़ रहा था, इसमें सरकार ने यह कहा है कि पान-मसाला उत्पादन में मशीनरी और प्रक्रियाओं के उपकरण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए सरकार यह बिल लेकर आई है।

सभापति महोदय, चूंकि यह बिल वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, मगर जब बात गुटखे और पान मसालों की हो रही है, तो लोक स्वास्थ्य के संदर्भ में भी इस सदन को गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। पान-मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं के उपयोग से लाखों लोग कैंसर सहित कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। 'कोटपा' जैसे कानून में लिखा है कि सार्वजनिक स्थलों पर इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। आप सरकारी दफ्तरों के हालात देखिए। बस स्टेशस, रेलवे स्टेशस, आप जहां कहीं भी जाइए, वहां की दीवारें पान-मसालों की थूक से रंगी हुई हैं। जितने भी विश्वविद्यालय, कॉलेजेज़ और स्कूल्स हैं, उनके 500 मीटर के दायरे के भीतर अवैध तरीके से दुकानें और ढाबे खुले हुए हैं।

माननीय वित्त मंत्री महोदया ने इस सदन के समक्ष एक सकारात्मक दृष्टिकोण से यह बिल प्रस्तुत किया होगा। मैं उनका ध्यान एक विषय की ओर दिलाना चाहूंगा। आज इस सदन में पान-मसालों से होने वाले नुकसान पर तो चर्चा हो रही है, हमारे देश में जो लोग पान-मसालों का प्रचार कर रहे हैं, आपने उन लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। फिल्म अभिनेता शाहरूख खान, अजय देवगन, सलमान खान जैसे कई लोग पान-मसालों का प्रचार करते हैं। ठीक है, प्रचार करना उनका काम है। मगर मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी अभिनेता या प्रसिद्ध व्यक्ति हो,

अगर सरकार ने उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है, तो सरकार उन अभिनेताओं से राष्ट्रीय पुरस्कार वापस ले। एक राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाला अभिनेता गुटखे और पान-मसाले का प्रचार कर रहा है। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, अगर वह गुटखे और पान-मसाले का प्रचार करेगा, तो उससे राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लिया जाए।

महोदय, भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े ऐसे मामलों के संबंध में राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर और जोधपुर कंज्यूमर कोर्ट में इन अभिनेताओं के खिलाफ ऐसे मामले लंबित है। मेरे संज्ञान में यह जानकारी मीडिया के माध्यम से आई है। मैं राजस्थान की बात करूं या देश के अन्य राज्यों की बात करूं, धड़ल्ले से अवैध गुटखों की फैक्ट्रियों का संचालन सरकारी तंत्र की मिलीभगत से हो रहा है। कहीं पर भी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस विधेयक में आपने सजा का जो प्रावधान रखा है, उसको बढ़ाया जाए। मसाला कंपनियों के मालिकों को कैसे दंडित किया जाए, इस विधेयक में उसका भी प्रावधान किया जाए। देश में कैंसर जैसी घातक बीमारी का बहुत बड़ा कारण गुटखा और पान-मसाला है। इसलिए सरकार को सख्त निगरानी के लिए कोई तंत्र बनाना चाहिए।

महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आज देश में इस बात की चिंता की जाती है कि कृषि के क्षेत्र में जो कंपनियां कार्यरत हैं, जैसे उर्वरक और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों की सीएसआर की राशि को कृषि के क्षेत्र में किसानों के भले के लिए व्यय नहीं की जाती है। यह कहा जाता है कि सीएसआर फंड से खर्च किय जाएगा। मंत्री जी, इस बिल से जो राजस्व प्राप्त होगा, क्या सरकार उस राजस्व का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए करेगी? आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें।

मंत्री महोदया, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के पारित होने के बाद गुटखा और पान-मसाला के उत्पाद की दरों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में पान-मसालों के उत्पाद में ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी और नकली उत्पादों की भी बढ़ोतरी होगी। आज भी हजारों फैक्ट्रियां नियम और कानून का पालन नहीं कर रही हैं। आप उन पर सख्ती करिए और इस बात को सुनिश्चित करिए कि इस बिल के लागू होने के बाद पान-मसालों की बिक्री में ब्लैंकमेलिंग नहीं होगी।

(इति)

1514 बजे

श्री किशोरी लाल (अमेठी) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार इससे स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला एक कदम बता रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह बिल न तो स्वास्थ्य में सुधार की गारंटी देता है और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई प्रत्यक्ष बल प्रदान करता है। इसका मूल उद्देश्य सिर्फ केन्द्र सरकार को एक विशाल राष्ट्रीय संग्रह का तंत्र देना है।

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि पहले से जो सेस लगे हुए हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे सीएंडएजी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हजारों-करोड़ रुपयों के सेस अपने निर्धारित फंड में कभी ट्रांसफर ही नहीं हुए हैं।

(1515/DPK/SMN)

सेंकेड्री एंड हायर एजुकेशन सेस के 94.36 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही पड़े रहे। उसे आपने सही खाते में कभी नहीं पहुंचाया। विभिन्न सेस और सरचार्ज के 3.69 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं, जिनका कोई भी उचित हिसाब नहीं है। जब पुराना पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है, तो जनता पर एक नया सेस लगाने की क्या जरूरत है? उसके बाद वास्तविक चिंता यह है कि भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय आज भी जीडीपी के 1.1 से 1.5 प्रतिशत के बीच ही हो रहा है, जबकि वास्तविक लक्ष्य 2.5 प्रतिशत था। सरकार इनके उपायों के बजाय इस सेस को ही समाधान मान रही है, जबकि अभी अस्पतालों की जरूरत है और एम्स की जरूरत है। वहां स्टाफ नहीं हैं और संसाधन भी कम हैं।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी): कृपया आप अपनी बात को कन्क्लूड कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री किशोरी लाल (अमेठी) : महोदय, मैं अंत में इस सदन में साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि यह बिल राज्यों की वित्तीय आज़ादी को खत्म करता है, उद्योगों और रोज़गार पर हमला करता है, पारदर्शिता को कम करता है, पहले के सेसेज़ की गड़बड़ियों को ढकने का प्रयास करता है, जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाता है और केन्द्र को असीमित शक्तियां देकर लोकतांत्रिक संतुलन को कमजोर करता है। अंत में मेरा यही कहना है कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए।

(इति)

1516 hours

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): Hon. Chairman Sir, the Health Security Se National Security Cess Bill is named in such a way that nobody can object to it as there can be no objection to health security or national security. But the devil lies in the details. We also had a lot of discussions and many of us were discussing about this Bill and it is going to serve its purpose. When we read this Bill, I was very curious to see what kind of national security and health security mentioned in the Bill and it is given in sub-clause (7) of Section 3 in which the purpose is completely delegated.

The Central Government may specify such activities, schemes and programmes for national security or as the case may be for public health as may be prescribed. So, there is no clarity about what national security scheme is and what health security sheme is. This has to come through delegated legislation.

Secondly, if we see what kind of items the cess is laid on there is a provision in Clause 34. In Schedule 1, there is pan masala. Along with that, there is also a provision for the Government to add any more goods and that 'any more goods' is through a notification. That is not going to come under Parliamentary control. In Clause 34(2), it says that every notification issued under this sub-section shall come to the Parliament as soon as possible. Now, what is this 'as soon as possible'?

Sir, the point I am trying to make in this Bill is the cess, which is a complete blank cheque being asked from the Parliament. There is no clarity in this Bill. There is so much of delegated legislation. Any product could be added through a notification and any changes could be through subsequent delegated legislations.

I also want to seek one clarification. In the last Bill, when I was talking about the Bill, I think, in the reply, hon. Finance Minister has taken my name multiple times regarding my statement on the floor of the House about the compensation cess being extended for three years due to Central Government owned loans.

My intention was very clear. There is a context to this. When there was a shortfall, the Centre asked the State to take a loan. Non-BJP States said 'we will not take the loan' and for that, the Centre had to take a loan. So, it is Centre's own loan. It is a fact stated by hon. Finance Minister. I again reiterate the fact if there is any change in that. So, I was not mentioning any unrelated loans. It will be very childish for me to say such things. So, I want to reiterate this fact also.

In this entire Bill, there are sections which are so harsh. If you see the penalties and criminalization, they are five years and after that, there is a presumption of culpability and culpable mental state. Previously I saw this clause in PMLA. Why such harsh penalties are there in this Bill? Is this the 'Ease of Doing Business'? This cess is also on the machines. It is not on the production. Anybody who owns the machine will automatically be a taxable person. It is the capacity to tax which is a bad thing.

(ends)

(1520/RP/SPS)

1520 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you very much, Sir.

There were 35 hon. Members who spoke on this Bill. I think, 30 of them spoke yesterday and five of them have spoken now. Sir, by normal course I would have gone back to say a few words about how we have introduced this Bill and so on. But, I understand from Members that there is Private Members' Bill time, and as much as possible, if I can reduce my response, I will try to do it. I will, therefore, avoid going back to talking about what exactly I said yesterday at the time of introduction, and give more importance to responding to the hon. Members. It may appear as if I am abruptly beginning my reply but in order to accommodate the request for Private Members' Bill time, I will start with the responses. I do not want to do injustice to any Member who has raised any issue, and, therefore, I will focus on that rather than going back to talking about the Bill and its objective and purpose. Some of the questions, which hon. Members have raised, I will try to address them as well in my reply.

So, I am not going back and talk about the purpose of the Bill; it is a cess and not a duty; I am not going into that. But, I will have to, of course, speak on the aims of the Bill. The cess, which gets collected, a part of it will be spent on public health, and the other part of it will go for defence related purposes. Of course, there are Members who have spoken about it as well. So, I am giving a clarification.

The issue of public health is a State subject whereas national defence is a Central subject. It is very clearly defined in the Seventh Schedule of the Constitution. So, in this day and age, where credible defence capabilities are absolutely critical for national defence, we need to raise resources to buffer the defence requirements. Also, the modern conflicts are dominated by precision weapons, autonomous systems, space assets and cyber operations. They are becoming capital intensive. They are becoming such in nature that unless you periodically update the technology, they are not even ready for a modern-day warfare.

From the ramparts of the Red Fort, hon. Prime Minister had said about Mission Sudarshan Chakra, which means, building a wall of security around

the country's key locations. So, now the warfare is not just in the borders, but key locations will also have to be protected. Industrial and public sector undertakings are all heavily invested in, and we need to protect them. The enemy should not be given any chance to penetrate. If the enemy does, our Sudarshan Chakra will destroy them. That is the capability we want to bring in.

Sir, you must be aware that during Operation Sindoor, how our three Forces worked together using signals, drones and all kinds of digital technological advances that we have. We had neutralised the targets without our troops even crossing the border.

(1525/VPN/RHL)

With our active role, there was no civilian casualty here and across the border. The humanitarian line was also very clear. This is actually the reality of modern warfare. Technology is so advanced that you need to constantly keep updating it. Tech-driven precision was displayed during Operation Sindoor. ‘Precision’ is the key word in which we need to invest, for which we need resources and we need to understand that it does not come cheap. Therefore, more resources towards specific objective of strengthening defence will have to be made and cesses are normally those taxes which come with specific objectives stated upfront. That is why, cess is being levied. Therefore, this offers us a feasible mechanism to strengthen both citizen's health and military preparedness.

Now, what is citizen's health? Public health is the State subject, and if money is being provided for public health, it obviously goes to the States in order that they are able to help people stop using these harmful demerit goods or building awareness or supplementing their medical requirement and so on. That is the purpose, intent and also the way in which this cess is being levied and will be used. We are only taxing the demerit goods. This cess is not for anything else. The incidence of this tax is going to remain the same, largely as it is prevailing now.

When I explained the point about excise duty earlier, I explained as to what is the World Health Organisation's affordability index in using items like cigarettes. They are far below the global benchmark, and therefore, we have to increase it so that it does not become affordable for people who are using these demerit goods.

Sir, I want to have a word on the scale of the tax reform. Now, I heard the hon. Members saying that this Government has become so desperate that it wants to raise taxes through such cesses and levy a tax on pan masala, and that too levy tax on pan masala for defence. Have you become so desperate? I just want to respond to them. It is the duty of any Finance Minister to raise revenue so that various competing demands are met. But, here is the Government which has already given away its fiscal space in very many ways within one year of coming in power. Sir, I do not want to do any comparison, particularly, having achieved this kind of a level with the hon. Prime Minister's guidance. Absurd levels of income tax prevailed in this country. There was 95 per cent tax on income. My comparison with that will be absurd. It is because within one year, we gave a huge reduction in income tax. The previous number was Rs. 7 lakh and probably with all the other deductions, it would have come to Rs. 7.76 lakh. The people earning up to Rs. 7.76 lakh had nothing to pay as income tax. There were a lot of speculations, saying we will probably go up to Rs. 8 lakh or Rs. 10 lakh. We went up to Rs. 12 lakh. Today, people probably do not have to pay tax on income of Rs. 12.26 lakh. That is on the one hand.

On the other hand, in the same year, with the approval of the GST Council, I am grateful and I will never miss an opportunity to thank all the members of the GST Council, which agreed for a sweeping change in the GST, we could make items meant for common man cheaper. No item was excused across the board. Every Member in the GST Council came together to agree for it.

(1530/KN/UB)

So, that income tax, with no tax till Rs. 12 lakh income, actually has left Rs. 1 lakh crore in the hands of our people. That is a fiscal space I had. I could have made sure that taxes were collected even to that extent. No! That Rs. 1 lakh crore is now in people's hands.

So, at no point in India's history, 1947 onwards, within one year, both direct and indirect taxes have been reduced at this substantial level. I am happy to stand here to say that I had the fullest guidance and support of the hon. Prime Minister that we were able to do it. Now, at this time, when we are bringing a cess on a demerit good, after having given income tax reduction and after having reduced the GST, we are bringing tax on a demerit good but some

Members are saying that the Government is so desperate for revenue. I need to give money for Defence. Am I taxing essential commodities of the common people? No. It is only on the demerit goods.

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : मैडम, एक मिनट रुकिये। माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो प्राइवेट मैम्बर्स बिल इस विधेयक पर सभा के निर्णय के पश्चात् लिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am sure that not even one Member of this House is suggesting that pan masala must be made affordable.… (*Interruptions*) वह अलग बात है, अच्छी बात है।… (व्यवधान) So, they should not enjoy normal tax and no serious argument exists to defend that kind of a thing. So, the money being collected from pan masala is going for defence. Money is fungible. I will collect it, I will use it for Defence, I will use it for road building, I will use it for infrastructure.

SHRI RAJEEV RAI (GHOSI): Please give us the details of where the funds are being used.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will give you the number wise-details, please wait patiently. I will give you every number on every cess collected and where it has gone. नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट मैम्बर्स बिल लगा हुआ है, लेकिन उसका जवाब तो मिलेगा।… (व्यवधान) Sir, therefore, collecting revenue and making sure your nation is well defended, is a right duty of every Government and that is what we are doing here.

I just want to just flag how for want of resources our soldiers were left in the Himalayan cold without boots, without woollens; and without even food sometimes, our soldiers had to stay at the border. We do not want that situation. We could not even procure artillery guns for a period of 30 years after that episode of Bofors. Nobody had the courage to go and buy anymore because they thought because of that scandal, anybody will mock them and accuse them. So, everybody stayed back, we did not even procure. For 30 years, no artillery gun was procured. And the fear of that image – Defence means kickbacks – made many Ministers not to do anything and not to take any decision. Why? I do not want to get into that vicious environment of

defence procurement. Everybody stayed back. But in the process, our Armed Forces were left without defence for themselves. They did not have the guns, they did not have the boots, they did not have the artillery and even for that matter, they did not even have enough ammunition.

So, that was the state. I can go to every detail of who said what at that time. "For reasons that we do not have money, we are not able to procure", the hon. Minister had given that statement in this House. He had said, "I am not able to procure because I do not have money". I am not going into the details. But everybody knows the moment I say this as to who I am referring to.

(1535/NKL/RAJ)

So, the capability gap that the Defence suffered from took a long time for restoring that kind of a preparedness of our Armed Forces. The Kargil conflict suffered because of that. Retired Army Generals have said how the Army followed a bottomline approach due to budgetary constraints from the early 1990s. As a result, the Army was holding only 70 to 80 per cent of authorized weapons, ammunition, and equipment. We do not want that stage ever in India back again.

Sir, there are many instances. For the sake of the hon. Members who wanted to quickly finish this and concentrate on the Private Members' Business, I will only quote one C&AG Report. The Report came out in 2015, but it pertains to the year 2013. The Army's ammunition reserves were at a crisis level. Against the official requirement of stocking 40 days of war reserves, 125 of 170 ammunition types fell below the 20-day supply. Shockingly, half of all the ammunition types had stocks for less than 10 days of intensive warfare, as of March 2013.

So, that is the level to which our Armed Forces were depleted of their resources. We cannot afford that. Therefore, we want to ensure a consistent, regular, and steady flow of income so that we are able to allocate that for Defence purposes.

There is one other example that always makes me feel very depressed. The 2011 Report by the C&AG painted a very dismal picture of our coastal defence, citing *ad hoc* planning and a huge shortfall in manpower and equipment. The Indian Coast Guard, entrusted with much of the coastal security, was operating at barely half its required strength. Only 65 per cent of

the needed patrol vessels were available, and 48 per cent of the required aircraft were in service. So, that is the kind of lacuna we faced. We do not want that situation. We should be able to provide for our Defence far more efficiently and steadily.

Sir, now, I will go over to talking about particular Members' concerns. Shri D. Prasada Rao, Shrimati Supriya Sule, and also Dr. Prabha Mallikarjun raised an issue stating that there are no details about the schemes for which the cess will be levied. I think, many others have also spoken in a similar vein, mentioning that there is no clarity on the distribution of the cess among the two objectives stated. I want to clarify that Section 7 (1) of the Bill makes it very clear that the proceeds of the cess are to be used only for two purposes, that are, strengthening India's national security and supporting public health. This actually creates a complete ring-fence framework; and that will actually be implemented for these two purposes.

The Central Government will specifically prescribe the activities, schemes, and programmes – whether in the area of national security or public health – for which the cess is being utilized. I want to underline the fact that how funds are going to be allocated across objectives will be laid out through the rules, about which Supriya ji specifically had a question. I will explain that.

(1540/VR/NK)

Several hon. Members like Dr. T. Sumathy, who's here, Dr. Alok Kumar Suman and even hon. Member Supriya Sule had raised this issue. Does the Centre have the right to even impose cess? Where does it come from?

The constitutional power of levying a cess rests entirely in Article 270, Entry 97 of List-1, which authorizes the Parliament, not the Government of the day, to levy a cess for a specific purpose. This is at. The residual entry empowers Parliament to legislate on matters and taxes mentioned elsewhere.

Now, taking it further, the Supreme Court in one of the judgments on Mohit Minerals case passed in 2019 has reinforced that the Centre can levy a cess through the Parliament. But then, the final point was also further raised, saying, "You are going to do it all through notification." Will there be a CAG because this money will go into the public fund, the consolidated fund? So, what happens?

Sir, I must humbly submit that a notification in order to levy a certain cess, the rate particularly, is tabled in the Parliament. When the Parliament is in session, we come and say it. When it is not in session, it is laid there for 30 days. It waits for the Members of Parliament to look at it, and they can raise any objection or question or not speak about it. Nothing goes beyond the Parliament on this.

I was even surprised to hear, "Will the CAG audit or not?" Nothing can happen without the CAG looking at the financial matters. For a cess that is levied through a notification, where the rate is mentioned, approval of Parliament is taken through this Act. The notification comes out separately. But it comes to the Parliament. It gets laid here. There are Parliamentary Standing Committees, Finance, the PAC, the Estimates, internal audit mechanisms, everything exists. So, where is this fear that CAG will not be looking into it? CAG also produces its report. Yes, I have heard Members say it. So, please, utilisation from the Consolidated Fund of India is subject to the highest level of oversight under the Constitution through the Parliament, through the CAG, through the PAC, through the Estimates, and through the internal audits. Nothing escapes from this Parliament when question of the cess happens. So, I want Members to be assured on that. There should not be any doubts in the minds of any Member about, "Oh, this is a cess, it is a private domain of the Government." No way. It is a complete domain of the Parliament, and I am answerable here to pass it, get one rate and within that notify it. All expenditures from the CFI, not only collection, are also subject to the CAG.

Then, I move to Dr. Alok Kumar Suman, Dr. Prabha Mallikarjun and D. Prasada Rao, who said the structure and certain provisions like fixed cess, a cess on production capacity rather than actual production, may open up a Pandora's box and be detrimental to the sector. The sector is highly evasion prone. It is already taxed at the highest rate by the GST at the consumption level. But that highest rate is not good enough. It is 40 per cent, and GST has a cap. No item can be taxed beyond 40 per cent. That is one thing.

The other is, what is being produced is far higher than what comes out or capacities exist, whether they come out or not, that is where the question of evasion comes. That is why this is an evasion prone sector. Therefore, we did not come out with production capacity as a new parameter based on which the

cess can be levied. Even the Central Excise tax gets levied on the production capacity.

(1545/IND/PBT)

It has been existing for a very long time. Excise law in this country is old, since 1944. So, the capacity based taxation is not new. Courts have also recognised that this is an evasion prone area — machine driven sectors such as chewing tobacco, pan masala. Actual production was difficult to measure and therefore, capacity linked levy as an administratively sound and legally valid method for collecting duty, has been established even in the courts. So, this machine based duty is not new but rather an established mechanism previously applied for tobacco and pan masala sector also.

Sir, then Dr. Sumathy had raised this issue that the situation under which tax can be doubled needs to be clarified upfront and the provision mandating no requirement to come to the Parliament seems arbitrary. No requirement to come to the Parliament does not exist, Madam. We have to come to the Parliament. We have to lay the notification. … (*Interruptions*) पहले सेस की एप्लीकेशन के लिए परमिशन लेते हैं, फिर रेट तय करने के समय नोटीफिकेशन होता है। I am sorry. My Hindi is very lay. … (*Interruptions*) भाई साहब, ऐसे होता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन सॉरी।...(व्यवधान) मैं डांट नहीं रही हूं। मेरी हिंदी कमजोर है। 'ऐसा नहीं होता है' - यह मैंने कह दिया। फिर मैं सोचने लगी, शायद लैंग्वेज की मर्यादा। Alright. That is okay. So, the power to double the tax rate is only for emergency doubling. Accordingly, the provision has been incorporated in the Act for prior sanction of the Parliament. Similar powers exist in other taxation laws also. And what we are doing now is nothing new or nothing unique. Moreover, this Section mandates that we can do it in public interest only. So, we cannot be doing it just for some frivolous reason.

Sir, again Dr. Prabha Mallikarjun, Supriya Sule Ji, and Shri Prasada Rao from TDP said the power to add new goods to the Schedule without requiring to come to the Parliament seems arbitrary and appears to be undermining the parliamentary processes. We are seeking the approval of

the Parliament for notifying more goods to the Schedule. That is a power which we are seeking and this will be done through notification.

Again, the notification comes, places itself, we place it in the Parliament and the Members are given at least 30 days to have a look at it, and so on. Now, what are these goods? Now, what are these goods which will be added in the future, if at all? For example, Sir, pan masala that is currently covered is the one with tariff classification 21069020. That is the HSN code number for pan masala. There may be many different variants which may come up in the future due to ingenuity of the industry. This should also be brought within the ambit of the levy. This would be notified by the Central Government without the requirement of coming to Parliament every time, each time. We notify that this seems to be very close to this 21069020.

Therefore, this should also be covered under the cess, the intent of which is already mentioned. It is a demerit good. I cannot bring, let us say shampoo into this. I cannot bring *besan* or *atta* into this. Demerit good which has probably some semblance with pan masala or is a pan masala becomes evolved, it becomes something else. There is a metamorphosis. … (*Interruptions*)

(1550/SNT/KDS)

The objective itself says it is only a demerit on pan masala. You want the word 'demerit' put onto it. This would be notified by the Central Government without the requirement of coming to Parliament. That is one thing I want to explain even as I am responding to Dr. D. Prasada Rao. Metamorphosis is a product of ingenuity. What appears today as pan masala can appear differently tomorrow, with a different name – but am I then not going to be able to collect tax on it? I need to.

On this issue of demerit, the Statement of Objects and Reasons makes it clear that the proposed cess is carefully confined to the production capacity of a specific demerit good, namely pan masala. The intent is unambiguous. The cess is limited to demerit goods such as pan

masala and is being applied only where there is a clear fiscal space to do so. … (*Interruptions*)

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): Madam, where is this word 'demerit' added? The word 'demerit' is not there. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I have heard you. Would you want to listen to me for a minute? I have heard you. In fact, just as you responded when you were speaking as I came in, for every issue you have raised – even the previous one, because you mentioned the previous – I have responded. And even now on this Bill, I am sorry to say you have misled the House, and I am answering. There is absolutely no intention to step into the domain of GST taxation, which remains exclusively with the GST Council. The design of the levy fully respects the constitutional scheme while enabling the Government to mobilize resources for priority national objectives.

Dr. Alok Kumar – I am not sure if he is here – asked whether the cess could be imposed on advertising of specified goods. Advertising is a service and is subject to GST. It is already subjected to GST. There is no proposal to include advertising in this cess. How will there be a reduction in the consumption of the commodity?

Again, Dr. Sumathy, Dr. Alok Kumar, and Dr. Prabha Mallikarjun raised this. Once the GST compensation cess comes to an end, the effective tax incidence on pan masala – which is currently about 88 per cent, comprising 28 per cent GST and 60 per cent compensation cess – will change. The 60 per cent compensation cess will end. The 28 per cent GST does not exist. It will have to move to 40 per cent, which is the tax for demerit goods. So, it goes to 40 per cent. From 88 per cent, it will come down to 40 per cent. It falls sharply.

The GST Council approved the proposal to increase the GST rate to 40 per cent, which will be effective on a date in the near future, once the compensation cess ends. If the tax incidence comes down, it will have the unintended consequence of making pan masala considerably more affordable. We cannot afford to leave it there. There was a genuine

concern that this unintended outcome – greater affordability of pan masala, which is a highly addictive, low-cost demerit good – would not only compromise public health objectives, but also result in loss of Government revenue. So, we have a fiscal space, and therefore we cannot allow it to become cheaper and yet lose revenue. We want it not to become cheaper, but also to ensure the revenue space is filled. The name of the cess was a matter which was also raised.

(1555/RTU/CS)

A question was raised about whether the pan masala consumers are going to finance the national defence. It is neither in the design nor in the intent. As I said, tax can be collected, it will be used, money is fungible.

Sir, there was also this observation which I think is very important and for which I will respond: "The officers have been provided sweeping discretionary powers like inspection and abatement. This will increase Inspector Raj." It was a very legitimate question that many hon. members had. I want to respond, Sir.

Pan masala has long been one of the most evasion prone sectors. Even genuine manufacturers repeatedly express concern about spurious and illegitimate supplies that distort the market.

1556 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

In such a situation, it becomes essential to equip the administration with adequate tools so that fair and uniform standard of compliance is maintained across the sectors. So, this protects revenue and also ensures a level playing field. Let me expand on how this is going to work. Machine capacity based system will be implemented through a modern technology enabled and non-intrusive oversight mechanism. It will focus on transparency, objective parameters, minimal disruption to manufacturing activity, and so on. So, there are three clear layers.

First, it will be on a self-declaration. The manufacturer himself or herself says what is the capacity and speed at which their machine is running. They will also be allowed that if they need to change anything in

the first declaration that they give, they will be in a position to change any addition or correction that they have to do. It is at that stage, it will be very quickly verified if their statements are all tallying and everything else.

The second stage would be technology supported and a continuous oversight. The third stage would be risk based enforcement checks. So, after the initial verification, the system moves away from physical supervision towards technology driven monitoring using tools such as CCTV coverage, tamper proof sealing and other automated safeguards.
Further to strengthen automation and reduce discretion even further, the design also anticipates phased adoption of motion sensors and integration with BIS standards in the future.

Beyond this, there are also elaborate appellate provisions with judicial oversight enshrined in the proposed legislation where the original orders can be first reviewed or revised and then appeals would lie with the appellate authority and then the appellate tribunal and then finally the High Court and if necessary the Supreme Court. So, every layer of appeal is respected and no denial of natural justice is even thought through.

Sir, all these proposed levies are after a detailed study of the entire manufacturing process because there were concerns voiced by many hon. Members saying a fixed levy on machine irrespective of the produced quantity will be detrimental for the small manufacturers. I want to address that concern of hon. Members about the small manufacturers. We did a detailed study on the ground,

Sir. The levy is designed based on the machine capacity taking into account the speed of production and the weight of the individual packing that is produced by the said machine.

(1600/AK/MNS)

Therefore, each owner of the machine will be charged based on the size and quality of the machine. However, first of all, in the GST itself, small units come under composition. So, they do not have taxes levied on them if they are below a certain number. We have a progressive structure here.

If I were to take an example, for a machine producing up to 500 pouches per minute with each pouch having a certain grammage, they will have to pay a certain amount. So, like that in graded fashion we have assessed each of the machine, their speed and the total grammage that will go into each of the pouches and then decided on the tax. However, I need to underline the fact that there is a separate category for manual processing. So, the small units come under it.

What special steps have been taken for those taxpayers who are into manual production? I will just take a minute to explain this point. Based on a detailed study of the sector, the amount of cess for a unit which is engaged in wholly manually processed pan masala, hand-made has to be kept at Rs. 11 lakh per factory. This is only 10 per cent of the lowest cess amount applicable on the machine-based process. So, the wholly man-made items are being given a very concessional treatment so that they are not affected. We are not encouraging people to shift into manual process and still be producing pan masala. So, there is an element of deterrent. This will ensure that a unit engaged in handmade processes is not discouraged, but at the same time, they shall not be incentivised.

The final bit is very important on the cess collection till now. It was said that: “You are bringing one more cess. What happens to the cesses that were collected earlier? Did you distribute it? You are sitting with a lot of collected cess which is not given”. I will give the details.

First of all, cesses are not new. Article 270, I said, gives the Union the power to levy cesses. But cess is always collected for a specific purpose. Normally, cesses are not devolved to the States, but in this one I clearly have said that there will be a portion of it being spent on public health, and since public health is a State subject, the money will go to the States.

Let us look at the pre-2014 cesses just to set the context. There were at least four cesses collected during pre-2014. So, it is not as if in 2014 we came

into power, and Prime Minister Modi thought that do not give money to the States and collect cess. No, cesses existed even before. Cess on crude oil had been imposed under the Oil Industry Development Act, 1974. This cess has been prevalent since 1970s. The Oil Industry Development Fund (OIDF) was not created until 2023-2024. So, the Government of India created the OIDF and an amount of Rs. 17,730 crore and Rs. 19,376.03 crore was provided for transfer to the OIDF in RE of 2024-2025 and BE of 2025-2026.

The National Calamity Contingent Duty has been levied from 2001 and this is for financing disaster-related expenditure. I do not have the total that was collected at that time. I am sure that we will be able to gather it and leave it at the Table here. The Road and Infrastructure Cess has been levied since the year 2000.

(1605/SRG/MY)

This cess has been collected on imported manufactured motor spirit, commonly known as petrol and high-speed diesel under Central Road Fund and later that was called Central Road and Infrastructure Fund Act. An amount of Rs. 11,34,764 crore during 2014-15 to 2025-26 has been transferred under this cess, while the collection was only Rs. 11,11,692 crore during the same period. The amount of collection is Rs. 11,11,000 crore, whereas Rs. 11,34,000 crore has been distributed.

There has been an evolution in health and education cess. Primary education cess has been there since 2004-05, which later on became Secondary and higher education cess. That was added on the top of the existing cess in 2007-08. Merging the above two cesses, new health and education cesses, four per cent on income tax was introduced in 2018-19. I will read the numbers which are of interest for hon. Members. The Government has transferred an amount of Rs. 6,49,459 crore during 2014-15 to 2025-26 against a collection of Rs. 6,07,573 crore, much more than what was collected. These are the cesses which existed before 2014. I would like to give you a picture of the cess post 2014-15. I will come to the GST compensation cess a bit later.

Agriculture Infrastructure and Development Fund was introduced in 2021-22. The Government has so far transferred Rs. 3,77,214 crore against the collection of Rs. 3,87,226 crore. So, if the feeling is, more cess are being

brought now, more cess are being collected now, less is being given to the States, I want to underline the fact.

I want to now come to cess as a percentage of Gross Tax Revenue (GTR), without the compensation cess. Why will I not include compensation cess? It is because the compensation cess completely went to the State, Centre could not even take one penny out of it. So, I am not even including that. Without including that, 6.1 per cent was the cess as a percentage of Gross Tax Revenue, and that is stated in BE of 2025-26, the current year's Budget. This is far lower than the cess as a percentage of GTR. If I take 2010-14, during those years, how much was cess to GTR? At that time, from 2010-2014, it was seven per cent, whereas what we are doing now is 6.1 per cent. हमारे ऊपर गाली-गलौज होता है कि उन्होंने सात परसेंट कलेक्ट किया, लेकिन आप 6.1 परसेंट कलेक्ट कर रही हैं। आप सेस कलेक्ट कर रही हैं और इसे आप ही रख रही हैं। यहां बात करने से पहले इनको डेटा देखना चाहिए। आपने सेस के ऊपर प्रश्न उठाया है, इसलिए मैं इस विषय पर बोल रही हूं।

I mentioned about OIDF. I just want to highlight the fact. हमारा जवाब आपको कड़वा और खट्टा लग रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं कि इसे शॉर्ट कर लीजिए। मैं इसे शॉर्ट कर लेती हूं, क्योंकि मेरी बात आपको कड़वी लग रही है। प्राइवेट मेम्बर्स बिल सहित सभी बातें सामने ही हुई हैं। आपको सडेन्ली ही प्राइवेट मेम्बर्स बिल के ऊपर इतना ध्यान कैसे आ रहा है, क्योंकि डेटा कड़वा है।

Sir, I just want to add the last one thing which I said, I have not given the number.

Now, I come to the National Calamity Contingent Fund (NCCD), which is also a cess. It is a kind of a duty which is collected. How much was collected under it? It was Rs. 68,656 crore. How much was transferred under the NCCD? It was Rs. 72,993 crore.

(1610/MLC/GM)

हमने भी सेस कलेक्ट किया, ज्यादा दिया है, हम रख नहीं रहे हैं। Final compensation cess collected is Rs.9,45,237 crore. पूरा का पूरा स्टेट को जाता है, केन्द्र में कुछ भी नहीं रहता है, बचा हुआ पैसा भी। How much has been paid to the States? Rs. 9,33,920 crore, lesser than Rs. 9,45,237 crore because there are two States which have not given us the AG certificate yet. Which are those States? Arunachal Pradesh and Manipur. If they come, the leftover compensation cess also will go to them. I will not have one penny kept under the compensation cess. मंत्री

जी आपके स्टेट का बताइए। I just want to highlight that every cess collected has gone back. We have given much more than what we have collected. We have not kept and so would be the case with this cess also. We have already very clearly said that it will go for public health considerations. Public health is a State subject. The money will go to the State Governments. If hon. Members have a doubt that we are bypassing the Parliament, that is not at all the case. The notification will come here for rates and it is a law which will be clearly scrutinized. The revenue collected and the revenue spent will all be scrutinized by the C&AG. Thank you.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : अभी क्या और सुनना चाहते हैं। आप बताइए। मनीश जी, क्या आप और सुनना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को पूर्ण करने के लिए संसाधनों के संवर्धन और मशीनों के संस्थापन या अन्य प्रक्रियाओं पर, जिनसे विनिर्दिष्ट माल विनिर्मित या उत्पादित किए जाते हैं, उक्त प्रयोजनों के लिए उपकर के उद्ग्रहण और उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय अध्यक्ष : श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I beg to move:

Page 3, *for* lines 2 to 4,-

substitute '(*p*) "specified goods" means the goods as specified in Schedule I to this Act, and such other goods as Parliament by a law, specify;'.(1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।
खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 5

माननीय अध्यक्ष : डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

DR. T. SUMATHY *ALIAS*THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move:

Page 4, *for* lines 21 to 25,-

substitute "(*4*) Where the specified goods are manufactured or produced by a taxable person wholly by manual process without the aid of a machine, the cess levied and collected for each factory shall be at the monthly amount specified in column (4) of Table 2 of Schedule II:

Provided that where the taxable person employs fewer than twenty persons in such manual process, the cess levied and collected from such factory shall be reduced by seventy-five *per cent*.; and where the number of persons employed are between twenty and fifty, the cess levied and collected shall be reduced by fifty *per cent."*. (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

माननीय अध्यक्ष : डॉ.टी.सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

DR. T. SUMATHY *ALIAS*THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move:

Page 4, line 38,-

after "Central Government"

insert ", after due consultation with the States or the Union Territories, as the case may be,". (3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री डी. एम. कथीर आनंद - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1615/GG/GTJ)

खंड 7

माननीय अध्यक्ष : डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 6 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

DR. T. SUMATHY *ALIAS*THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move:

Page 4, line 50,-

after "law in this behalf,"

insert "shall be shared with the States and Union Territories and". (5)

Page 5, line 1,-

after "Central Government"

insert ", after due consultations with the States/Union Territories,". (6)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री ससिकांत सेंथिल जी, क्या आप संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): Sir, I beg to move:

Page 4, *after* line 51,-

insert "*(2A)* Notwithstanding anything contained in this Act, fifty per cent. Of the net proceeds of the cess shall be distributed between the Union and the States in accordance with the provisions of Article 270 of the Constitution of India.". (23)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री ससिकांत सेंथिल जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

माननीय अध्यक्ष : श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : सर, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि खुद मैडम ने कहा है कि राज्यों के साथ रेवन्यु शेयर करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह एक्ट का हिस्सा बने। So I am moving it, Sir.

Sir, I beg to move:

Page 6, line 6,-

after “Joint Commissioner”

insert “, who shall record in writing the reasons for such verification,”. (7)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10

माननीय अध्यक्ष : श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I beg to move:

Page 6, line 22,-

after “prescribed”

insert “and the self-assessment made shall be final unless the proper officer issues a notice under section 16 within two years from the end of the relevant month,”. (8)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 14

माननीय अध्यक्ष : श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16

माननीय अध्यक्ष : श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 20

माननीय अध्यक्ष : डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move:

Page 11, line 49,-

for *"karta"*

subsitute "manager of a Hindu Undivided Family". (11)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन जी द्वारा खंड 20 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25

माननीय अध्यक्ष : श्री ससिकांत सेंथिल जी, क्या आप संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): Sir, I beg to move:

Page 14, *after* line 43,-

insert "Provided that no final confiscation of goods or machines shall take effect unless the person concerned is convicted by a competent court.". (24)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री ससिकांत सेंथिल जी द्वारा खंड 25 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1620/HDK/YSH)

खंड 26

माननीय अध्यक्ष: श्री ससिकांत सेंथिल, क्या आप संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): Sir, I beg to move:

Page 15, lines 9 and 10,-

for	"may,by order, authorise"
substitute	"may, with the prior sanction of a Judicial Magistrate Of the First Class, by order, authorise". (25)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री ससिकांत सेंथिल द्वारा खंड 26 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

'कि खंड 26 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 27 और 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 29

माननीय अध्यक्ष: श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, क्या आप संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : सर, विनती यह है कि अपील का पीरियड थोड़ा बढ़ाया जाए। I am moving it.

Sir, I beg to move:

Page 16, *after* line 34,-

insert	"Provided that the period of appeal may be extended by the appellate authority by a further period of three months for sufficient reasons recorded in writing". (17)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा खंड 29 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, क्या आप संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I am not moving it.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

'कि खंड 29 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 से 33 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 34

माननीय अध्यक्ष: श्री ससिकांत सेंथिल, क्या आप संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): Sir, I am moving the amendment. I beg to move:

Page 19, lines 29 and 30,-

for ", as soon as possible after it is issued, be laid before each House of Parliament"

substitute " not take effect unless approved by a resolution passed by both the Houses of Parliament."(26)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री ससिकांत सेंथिल द्वारा खंड 34 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

'कि खंड 34 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 35 से 39 विधेयक में जोड़ दिए गए।

—

पहली अनुसूची

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

'कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1624 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाएगा।

आइटम नम्बर – 186. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी।

RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 2, etc.).

SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI (BAPATLA): Hon. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. I also to introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI (BAPATLA): I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new article 21B).

SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI (BAPATLA): Hon. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI (BAPATLA): I introduce the Bill.

(1625/STS/PS)

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 243छ का संशोधन, आदि)

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

स्वास्थ्य परिचर्या वृत्तिक और नैदानिक स्थापन विधेयक (हिंसा निवारण)

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि स्वास्थ्य परिचर्या वृत्तिकों और नैदानिक स्थापन को उनके कर्तव्य के दौरान हिंसा, उत्पीड़न और संपत्ति की क्षति या हानि से सुरक्षा प्रदान करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि स्वास्थ्य परिचर्या वृत्तिकों और नैदानिक स्थापन को उनके कर्तव्य के दौरान हिंसा, उत्पीड़न और संपत्ति की क्षति या हानि से सुरक्षा प्रदान करने और तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

गौ संरक्षण विधेयक

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गौ (बॉस इंडिकस) की संख्या का स्थिरीकरण सुनिश्चित करने और गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 37 और 48 का अनुपालन करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक प्राधिकरण गठित करने और गौ-हत्या करने पर रोक लगाने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि गौ (बॉस इंडिकस) की संख्या का स्थिरीकरण सुनिश्चित करने और गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 37 और 48 का अनुपालन करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक प्राधिकरण गठित करने और गौ-हत्या करने पर रोक लगाने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

पवित्र शहर देवघर विधेयक

(सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देवघर शहर को सर्वाधिक राष्ट्रीय महत्व का प्राचीनतम जीवित शहर घोषित करने तथा देवघर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत, धरोहर के संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि देवघर शहर को सर्वाधिक राष्ट्रीय महत्व का प्राचीनतम जीवित शहर घोषित करने तथा देवघर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत, धरोहर के संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

बांधों, जलाशयों और नदियों का अनिवार्य आवधिक गाद निष्कासन विधेयक

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बांधों, जलाशयों, नदियों और ऐसे अन्य जल निकायों के अनिवार्य आवधिक गाद निष्कासन और जल निकायों की जल धारण क्षमता को बढ़ाने तथा जल के सुप्रवाह को सुनिश्चित करने, जिससे बाढ़ की घटनाओं में कमी आएगी, के लिए देश में ऐसे जल निकायों का समयोचित और आवधिक गाद निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना द्वारा एक संस्थागत व्यवस्था और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि बांधों, जलाशयों, नदियों और ऐसे अन्य जल निकायों के अनिवार्य आवधिक गाद निष्कासन और जल निकायों की जल धारण क्षमता को बढ़ाने तथा जल के सुप्रवाह को सुनिश्चित करने, जिससे बाढ़ की घटनाओं में कमी आएगी, के लिए देश में ऐसे जल निकायों का समयोचित और आवधिक गाद निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना द्वारा एक संस्थागत व्यवस्था और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरी फ्लाइट जानी है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चूंकि अभी रिजर्वेशन नहीं हुआ है, इसलिए महिलाओं को प्राथमिकता दे देते हैं। आइटम नम्बर- 231, श्रीमती स्मिता उदय वाघ।

अनाथ बालक विधेयक

(सामाजिक सुरक्षा और कल्याण)

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनाथ बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि अनाथ बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

(1630/MM/SNL)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण (संशोधन) विधेयक

(धारा 5 और 9 का संशोधन)

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है

"कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

महिला कार्यबल (समर्थन और कल्याण) विधेयक

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि कामकाजी महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कामकाजी महिलाओं को क्रेच सेवा, मनोरंजन सुविधाएं, मातृत्व लाभ, छात्रावास और परिवहन सहायता जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों, तथा सरकारी प्रतिष्ठानों, बैंकों और पत्तनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों, साथ ही कारखानों, खानों, बागानों, कृषि भूमि, फलोद्यानों और ऐसे अन्य कार्य स्थलों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने हेतु नियोक्ताओं द्वारा कल्याणकारी उपायों को अधिदेशित करना; तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि कामकाजी महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कामकाजी महिलाओं को क्रेच सेवा, मनोरंजन सुविधाएं, मातृत्व लाभ, छात्रावास और परिवहन सहायता जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों, तथा सरकारी प्रतिष्ठानों, बैंकों और पत्तनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों, साथ ही कारखानों, खानों, बागानों, कृषि भूमि, फलोद्यानों और ऐसे अन्य कार्य स्थलों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने हेतु नियोक्ताओं द्वारा कल्याणकारी उपायों को अधिदेशित करना; तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

PATERNITY AND PATERNAL BENEFIT BILL

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce the Bill to regulate the employment of persons in certain establishments for certain periods before and after becoming a parent and to provide for paternity and parental benefit and certain other benefits.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि कतिपय प्रतिष्ठानों में कतिपय अवधि के लिए माता-पिता बनने से पहले और बाद में व्यक्तियों के रोजगार को विनियमित करने तथा पितृत्व और माता-पिता हित लाभ और कतिपय अन्य लाभों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, I introduce the Bill.

RIGHT TO DISCONNECT BILL

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to establish an Employees' Welfare Authority to confer the right on every employee to disconnect from work related telephone calls and emails beyond work hours and on holidays and right to refuse to answer calls and emails outside work hours and for all matters connected therewith and incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि प्रत्येक कर्मचारी को कार्य-समय से परे और छुट्टियों में कार्य से संबंधित टेलीफोन कॉल तथा ई-मेल से संपर्क-विच्छेद तथा कार्य-समय से परे कॉल उठाने और ई-मेल का जवाब देने से इंकार करने हेतु अधिकार प्रदान करने के लिए कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, I introduce the Bill.

CODE ON SOCIAL SECURITY (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of section 2, etc.*).

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Code on Social Security (Amendment) Bill, 2020.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, I introduce the Bill.

FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL,

(Amendment of section 36, etc.).

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Foreign Exchange Management Act, 999.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I introduce the Bill.

PREVENTION OF MONEY LAUNDERING (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 49, etc.)

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Money Laundering Act, 2002.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I introduce the Bill.

(1635/SMN/MK)

RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 2, etc.)

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I introduce the Bill.

MENTAL HEALTHCARE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 2, etc.)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Mental Healthcare Act, 2017.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I introduce the Bill.

REPTILE BITE(PREVENTION AND TREATMENT) AND REPTILE CONSERVATION BILL

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, i beg to move for leave to introduce a BIll to provide for the prevention of reptile bite incidents, improvement of treatment facilities for victims of reptile bites, effective treatment, social security benefits and awarenss towards reptiles and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि सरीसृप द्वारा काटे जाने की घटनाओं की रोकथाम, सरीसृप दंश के पीड़ितों के लिए उपचार सुविधाओं में सुधार, प्रभावी उपचार, सामाजिक सुरक्षा लाभ और सरीसृप प्रजातियों के संरक्षण और सरीसृपों के प्रति जागरूकता तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I introduce the Bill.

सर, सांप काटने से बचाया जाए और सांप को भी बचाया जाए। ये दोनों के लिए हम कानून लाए हैं। यह बहुत राष्ट्रहित का विषय है।

माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर-13, डॉ. डी. रवि कुमार - उपस्थित नहीं।

आइटम नम्बर-14, डॉ. डी. रवि कुमार - उपस्थित नहीं।

आइटम नम्बर-15, डॉ. डी. रवि कुमार - उपस्थित नहीं।

आइटम नम्बर-16, एडवोकेट डीन कुरियाकोस - उपस्थित नहीं।

आइटम नम्बर-17, एडवोकेट चन्द्र शेखर जी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक
(नई धारा 3क का अंत:स्थापन)

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सर, आज की कार्यसूची में मेरे तीन विधेयक हैं, अगर आप एक बार में अलाऊ कर देंगे तो अच्छा रहेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

किसान का कृषि उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति अधिकार विधेयक

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक किसान को अपनी कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि प्रत्येक किसान को अपनी कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार और जातिगत भेदभाव के मामलों का पता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के प्रति अत्याचार और जातिगत भेदभाव के मामलों का पता लगाने व रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के प्रति अत्याचार और जातिगत भेदभाव के मामलों का पता लगाने व रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(1640/ALK/RP)

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सुधाकरन – उपस्थित नहीं।

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे – उपस्थित नहीं।

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत – उपस्थित नहीं।

- आइटम नम्बर 27 श्री बी. मणिक्कम टैगोर।

ESTABLISHMENT OF SPORTS INFRASTRUCTURE IN VIRUDHUNAGAR BILL

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of a modern sports infrastructure with state of the art facilities for various sports disciplines, training Centres and recreational amenities in the Virudhunagar in the State of Tamil Nadu and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि तमिलनाडु राज्य के विरुधुनगर में विभिन्न खेल विधाओं, प्रशिक्षण केंद्रों और मनोरंजक सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक आधुनिक खेल अवसंरचना संस्थापन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I introduce the Bill.

SPECIAL ECONOMIC ZONES (AMENDMENT) BILL
(Amendment of Section 2, etc.)

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Special Economic Zones Act, 2005.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I introduce the Bill.

NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST (NEET) EXEMPTION FOR THE STATE OF TAMIL NADU BILL

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to exempt the State of Tamil Nadu from the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) for admission to undergraduate medical courses and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि तमिलनाडु राज्य को स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) से छूट देने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of the Eighth Schedule)

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Sir, I introduce the Bill.

SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO KBK REGION OF STATE OF ODISHA BILL

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to KBK region comprising the districts of Koraput, Rayagada, Malkangiri, Nabarangpur, Balangir, Subarnapur, Kalahandi, Nuapada of the State of Odisha for the purpose of promoting the welfare of Scheduled Tribes, Scheduled Castes and Other Backward Sections of the people and for the development, exploitation and proper utilization of its resources.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और संसाधनों के विकास, दोहन और उचित उपयोग के उद्देश्य से ओडिशा राज्य के कोरापुट, रायगढ़ा, मलकानगिरी, नबरंगपुर, बलांगीर, सुबर्णपुर, कालाहांडी, और नुआपाड़ा जिलों के केबीके क्षेत्र को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL

(Amendment of the Schedule)

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of the Eighth Schedule)

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I introduce the Bill.

PUNJAB MUNICIPAL CORPORATION LAW
(EXTENSION TO CHANDIGARH) AMENDMENT BILL
(Amendment of the schedule)

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Act, 1994.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि पंजाब नगर निगम कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम, 1994 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Sir, I introduce the Bill.

(1645/VPN/CP)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Amendment of the Tenth Schedule)

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Sir, with your permission, I seek to move for leave to introduce a Bill to further amend the Constitution of India, the Tenth Schedule or the Anti-Defection Law.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : टेंथ शेड्यूल पर लागू कर दो।

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : यह तीसरी बार है। पहली बार 2010 में किया था, उसके बाद 2020 में किया था और अब 2025 में किया है। टेंथ शेड्यूल को अगर अमेंड नहीं किया गया, तो कांशियंस, कांस्टीच्युएंसी, कॉमन सेंस और जो लोकतांत्रिक संस्थायें हैं, वे पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी।

—-

HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL
(Amendment of Section 13)

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Hon. Speaker, Sir, with your permission, I move for leave to introduce a Bill to further amend the Hindu Marriage Act, 1955.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Sir, I introduce the Bill.

—

STATES AND UNION TERRITORIES REORGANIZATION COMMISSION BILL

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Speaker, Sir, I would like to move for leave to introduce the Bill to provide for the establishment of State and Union Territories Reorganization Commission to recommend the reorganization of States and Union Territories to the Central Government through periodic review of demands of new States or Union Territories on the basis of administrative efficacy and related grounds and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि प्रशासनिक प्रभावकारिता और इससे संबंधित आधारों पर नए राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों की मांगों की आवधिक समीक्षा के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पुनर्गठन आयोग की स्थापना तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I introduce the Bill.

—

BHARATIYA NYAYA SANHITA (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 63)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I would like to move for leave to introduce a Bill to amend the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I introduce the Bill.

—

OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND WORKING CONDITIONS CODE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 2, etc.)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I move for leave to introduce a Bill to amend the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I introduce the Bill.

It goes a little further than my colleague, Shrimati Supriya Sule ji's Bill which has other provisions including the right to disconnect.

—-

HON. SPEAKER: Shri Kodikunnil Suresh – Not present.

Dr. Alok Kumar Suman.

RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new Section 24A)

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Railways (Amendment) Act, 1989.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I introduce the Bill.

RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new Section 24A)

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Railways Act, 1989.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I introduce the Bill.

(1650/UB/SK)

CRIMINAL LAWS (AMENDMENT) BILL

(*Insertion of new Section 106A, etc.*)

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I introduce the Bill.

MAHARASHTRA CENTRAL SPORTS UNIVERSITY BILL

DR. HEMANT VISHNU SAVARA (PALGHAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish and incorporate a Sports University in the State of Maharashtra, a specialized University first of its kind, to promote sports education in the areas of sports sciences, sports technology, sports management and sports coaching besides functioning as the national training centre for select sports disciplines by adopting best international practices and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाकर चुनिंदा खेल विषयों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्रों में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र राज्य में खेल विश्वविद्यालय, जो कि अपनी तरह का एक प्रथम विशिष्ट विश्वविद्यालय होगा, की स्थापना एवं समावेशन तथा इससे संसक्त अथवा इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. HEMANT VISHNU SAVARA (PALGHAR): Sir, I introduce the Bill.

—

COASTAL TOURISM DEVELOPMENT BOARD BILL

DR. HEMANT VISHNU SAVARA (PALGHAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of Coastal Tourism Development Board for the Development of coastal tourism in the country and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि देश में तटीय पर्यटन के विकास के लिए तटीय पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. HEMANT VISHNU SAVARA (PALGHAR): Sir, I introduce the Bill.

—

SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE FOR DEVELOPMENT AND CONSERVATION OF WATER BODIES IN THE STATE OF MAHARASHTRA BILL

DR. HEMANT VISHNU SAVARA (PALGHAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide special financial assistance to the State Government of Maharashtra to develop and conserve the water bodies in the State of Maharashtra.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि महाराष्ट्र राज्य में जल निकायों के विकास और संरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. HEMANT VISHNU SAVARA (PALGHAR): Sir, I introduce the Bill.

—

DEATH PENALTY (ABOLITION) BILL

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to abolish death penalty in the country.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि देश में मृत्युदंड को समाप्त करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I introduce the Bill.

—

CLIMATE CHANGE (MITIGATION AND ADAPTATION) BILL

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a National Climate Change Authority for an efficient mechanism to plan, monitor and achieve the net zero emission targets by the year 2070 and for the effective mitigation and adaptation of Climate Change and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि वर्ष 2070 तक शत-प्रतिशत शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों की योजना बनाने, निगरानी करने और उन्हें प्राप्त करने हेतु एक कुशल तंत्र के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण की स्थापना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावी शमन और अनुकूलन तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I introduce the Bill.

——-

SALT WORKERS (WELFARE) BILL

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to ensure protection, fair livelihood and access to essential services for salt workers across the country, including healthcare, old age support, maternity benefits and education for their children and for all matters connected therewith and incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि देश भर में नमक कामगारों के लिए सुरक्षा, समुचित आजीविका व स्वास्थ्य सेवा, वृद्धावस्था सहायता, मातृत्व लाभ एवं उनके बच्चों की शिक्षा सहित आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा इससे संसक्त व इसके आनुषंगिक सभी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।""

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I introduce the Bill.

—-

(1655/SJN/NKL)

BREAST CANCER (AWARENESS) BILL

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Speaker Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to create mass awareness among the people of all walks of life to prevent breast cancer among females, provide access to free screening and mammography for the women across the country and provide the advanced state of art treatment for those diagnosed with breast cancer and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि महिलाओं में स्तन कैंसर के निवारण, देश भर में महिलाओं के लिए निःशुल्क स्क्रीनिंग और मैमोग्रॉफी की सुविधा तक पहुंच प्रदान करने और नैदानिक जांच में स्तन कैंसर से पीड़ित पाई गई महिलाओं के लिए अत्याधुनिक उपचार प्रदान करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों में जागरूकता के सृजन और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I introduce the Bill.

DIGITAL PERSONAL DATA PROTECTION (AMENDMENT) BILL
(Amendment of Section 2, etc.).

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to amend the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I introduce the Bill.

DOMESTIC WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS AT WORK) BILL

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare, protection and security of domestic workers and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि घरेलू कर्मकारों के कल्याण, संरक्षण और सुरक्षा के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I introduce the Bill.

स्वदेशी गौ और गौ-संतति संरक्षण बोर्ड विधेयक

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वदेशी गौ और गौ-संतति के संरक्षण के लिए एक बोर्ड के गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि स्वदेशी गौ और गौ-संतति के संरक्षण के लिए एक बोर्ड के गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

चारा भांडागार बोर्ड विधेयक

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, सूखा या बाढ़ से प्रभावित स्थानों पर पशुओं को चारा और पानी उपब्ध कराने के लिए चारा भांडागार बोर्ड की स्थापना करने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, सूखा या बाढ़ से प्रभावित स्थानों पर पशुओं को चारा और पानी उपब्ध कराने के लिए चारा भांडागार बोर्ड की स्थापना करने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (लाभकारी समर्थन मूल्य) विधेयक

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का न्यूनतम लाभकारी समर्थन मूल्य निर्धारित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का न्यूनतम लाभकारी समर्थन मूल्य निर्धारित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(1700/DPK/VR)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of articles 15 and 16)

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of article 15, etc.)

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Billfurther to amend Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Sir, I introduce the Bill.

NATIONAL MEDICAL COMMISSION (AMENDMENT) BILL
(Amendment of section 14, etc.)

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the National Medical Commission Act, 2019.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Sir, I introduce the Bill.

CENTRAL INSTITUTE FOR CANCER DETECTION
AND PREVENTION BILL

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of Central Institute of Cancer Detection and Prevention (CICDP) with headquarters at Nandyal in the State of Andhra Pradesh and with centres at all districts across India and to create and spread awareness for early detection of cancer and to make cancer screening, detection and prevention at affordable costs and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"आंध्र प्रदेश राज्य के नांदयाल में मुख्यालय और भारत भर के सभी जिलों में केंद्रों के साथ केंद्रीय कैंसर जांच एवं रोकथाम संस्थान (सीआईसीडीपी) की स्थापना करने और कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए जागरूकता पैदा करने और फैलाने और सस्ती लागत पर कैंसर की जांच, पता लगाने और रोकथाम करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL
(Amendment of the Schedule)

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Sir, I introduce the Bill.

SIKH MARRIAGE BILL

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend and codify the law relating to marriage among Sikhs.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि सिख विवाह संबंधी विधि के संशोधन और संहिताबद्धकरण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Sir, I introduce the Bill.

NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES (AMENDMENT) BILL
(Amendment of section 1, etc.)

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : श्री शेर सिंह घुबाया - उपस्थित नहीं।

श्री अजय भट्ट - उपस्थित नहीं।

राजस्थान राज्य में वृक्षों के
भू-मानचित्रण के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य में वृक्षारोपण के दौरान वृक्ष और पौधे लगाने के भू-मानचित्रण के व्यय को पूरा करने के लिए राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"राजस्थान राज्य में वृक्षारोपण के दौरान वृक्ष और पौधे लगाने के भू-मानचित्रण के व्यय को पूरा करने के लिए राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(1700-1705/SPS/PBT)

हिंदू धार्मिक उपासना स्थल (पशुवध, मांस और अन्य मांसाहारी खाद्य के विपणन, व्यापार, पकाने, परोसने और उपभोग का प्रतिषेध) विधेयक

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिंदू धार्मिक उपासना स्थलों से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के भीतर पशुवध करने, मांस और अन्य मांसाहारी खाद्य के विपणन, व्यापार, पकाने, परोसने और उपभोग का प्रतिषेध करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि हिंदू धार्मिक उपासना स्थलों से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के भीतर पशुवध करने, मांस और अन्य मांसाहारी खाद्य के विपणन, व्यापार, पकाने, परोसने और उपभोग का प्रतिषेध करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान में प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य में स्थित नए पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के उत्खनन सहित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों की मरम्मत, नवीकरण और परिरक्षण की लागत को पूरा करने के लिए राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि राजस्थान राज्य में स्थित नए पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के उत्खनन सहित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों की मरम्मत, नवीकरण और परिरक्षण की लागत को पूरा करने के लिए राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

LEGITIMATE ASYLUM TO REFUGEES BILL

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for, in the interest of upholding the values of international human rights, an appropriate legal framework to process matters relating to forced migration in respect of determination of refugee status, protection from refoulement and treatment during stay and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के मूल्यों को बनाए रखने के हित में, शरणार्थी की स्थिति के निर्धारण, प्रवास के दौरान उपचार और प्रत्यावर्तन से सुरक्षा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में जबरन प्रवास से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए एक उपयुक्त कानूनी ढांचे का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I introduce the Bill.

PREVENTION OF SLAUGHTER AND PRESERVATION OF CATTLE BILL

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to prohibit the slaughter of cattle and for the preservation of improvement of the breeds of cattle and to endeavour to organize agriculture and animal husbandry in terms of article 48 of the Constitution of India by enacting a comprehensive legislation.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि मवेशियों के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों की नस्लों के सुधार व संरक्षण एवं विस्तृत विधेयन के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुरूप कृषि व पशुपालन क्षेत्र को संगठित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I introduce the Bill.

SPECIALLY ABLED CHILDREN (WELFARE) BILL

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for certain measures to be undertaken by the Central and the State Governments for the welfare of specially abled children and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दिव्यांग बालकों के कल्याण हेतु किए जाने वाले कतिपय उपायों तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I introduce the Bill.

REGULATION OF DEEPFAKE BILL

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to regulate the creation and use of deepfake technology, ensuring legal boundaries for its application and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि डीपफेक प्रौद्योगिकी के सृजन और उपयोग को विनियमित करने, इसके अनुप्रयोग के लिए विधिक सीमाएं सुनिश्चित करने तथा उससे संसक्त एवं उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I introduce the Bill.

(1710/SNT/RHL)

NATIONAL BOARD FOR COMBATING NATURAL CALAMITY AND WELFARE OF NATURAL CALAMITY VICTIMS BILL

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for constitution of a National Board the rehabilitation and financial assistance to the victims of natural calamities and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों के पुनर्वास और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करने तथा तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I introduce the Bill.

WELFARE AND PROTECTION OF COW BILL

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to protect cows and their progeny, promote indigenous cow breeds and establish a framework for their care and welfare and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि गाय एवं उसकी संतति के संरक्षण, देशी गौ की नस्लों को बढ़ावा देने तथा उनकी देखभाल और कल्याण तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक ढांचा स्थापित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने क़ी अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर-54, श्री सुधीर गुप्ता - उपस्थित नहीं।

MENSTRUAL BENEFITS BILL

DR. KADIYAM KAVYA (WARANGAL): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide certain facilities at work place to female employees during menstruation and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि ऋतुस्त्राव के दौरान महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर कतिपय सुविधाएं प्रदान करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. KADIYAM KAVYA (WARANGAL): Sir, I introduce the Bill.

ABANDONED WIDOWS AND SINGLE WOMEN (PROTECTION, REHABILITATION AND WELFARE) BILL

DR. KADIYAM KAVYA (WARANGAL): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for the need based rehabilitation, protective and welfare measures by the Government for the abandoned, distressed, neglected, infirm and disowned widows and single women by providing financial assistance, pension, medical care, housing and other facilities through a Welfare Board to such widows and single women and for matters connected therewith and incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि परित्यक्त, व्यथित, उपेक्षित, अशक्त और अन्-अंगीकृत विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए कल्याण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता, पेंशन, चिकित्सा देखरेख, आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करके ऐसी विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यकता आधारित पुनर्वासन और कल्याण सहित संरक्षणकारी उपायों तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. KADIYAM KAVYA (WARANGAL): Sir, I introduce the Bill.

NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES (AMENDMENT) BILL
(Amendment of section 31A)

SHRI VISHNU DAYAL RAM (PALAMU): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI VISHNU DAYAL RAM (PALAMU): Sir, I introduce the Bill.

SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) AMENDMENT BILL

(Amendment of sections 2 and 3)

SHRI VISHNU DAYAL RAM (PALAMU): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI VISHNU DAYAL RAM (PALAMU): Sir, I introduce the Bill.

SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 3)

SHRI VISHNU DAYAL RAM (PALAMU): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI VISHNU DAYAL RAM (PALAMU): Sir, I introduce the Bill.

माननीय सभापति : श्री सी.एन. अन्नादुरई - उपस्थित नहीं।

(1715/KN/RTU)

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 12)

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I introduce the Bill.

PREVENTION OF TORTURE BILL

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to prevent the custodial torture, ensure award of compensation to the victims and making the erring public officials liable for the punishment and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि अभिरक्षा में यातना को रोकने, पीड़ितों को प्रतिकर प्रदान करने और चूककर्ता लोक सेवकों को दंड का भागी बनाने और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I introduce the Bill.

NATIONAL GREEN TRIBUNAL (AMENDMENT) BILL
(Amendment of Section 15, etc.)

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Green Tribunal Act, 2010.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I introduce the Bill.

आवारा पशु नियंत्रण विधेयक

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में आवारा पशुओं के नियंत्रण के प्रयोजनार्थ बोर्ड के गठन तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि देश में आवारा पशुओं के नियंत्रण के प्रयोजनार्थ बोर्ड के गठन तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

बेरोजगारी भत्ता विधेयक

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि सभी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री शफी परम्बिल जी – उपस्थित नहीं।

डॉ. के. सुधाकर जी।

NATIONAL FLORICULTURE BOARD BILL

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Hon. Speaker, Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the development of floriculture in India and for the promotion of floriculture farming across the country and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि भारत में पुष्पकृषि को विकसित करने और देश भर में पुष्पकृषि को बढ़ावा देने हेतु एक बोर्ड के गठन और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Hon. Speaker, Sir, I introduce the Bill.

DAIRY FARMERS (WELFARE) BILL

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Hon. Speaker, Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare of dairy farmers in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि देश में डेयरी किसानों के कल्याण तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Hon. Speaker, Sir, I introduce the Bill.

(1720/RAJ/AK)

PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 2, etc.)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I introduce the Bill.

RIGHTS OF TENANT FARMERS BILL

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to confer certain rights on every tenant farmer without affecting the rights of title holders and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि प्रत्येक काश्तकार को हकधारकों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना कुछ अधिकार प्रदान करने तथा तत्संबंधी और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I introduce the Bill.

सब्जी उत्पाद (लाभकारी समर्थन मूल्य और बीमा) विधेयक

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सब्जी उत्पादों के न्यूनतम लाभकारी समर्थन मूल्य का नियतन और बीमा करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि सब्जी उत्पादों के न्यूनतम लाभकारी समर्थन मूल्य का नियतन और बीमा करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थान उलिहातु राष्ट्रीय स्मारक विधेयक

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जिन्हें 'धरतीआबा' के नाम से भी जाना जाता है और जिनका जन्म झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलिहातु में 15 नवंबर, 1875 को हुआ था, की स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण और प्रबंधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जिन्हें 'धरतीआबा' के नाम से भी जाना जाता है और जिनका जन्मझारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलिहातु में 15 नवंबर, 1875 को हुआ था, की स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण और प्रबंधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : सुश्री प्रणिती शिंदे - उपस्थित नहीं।

श्री दिलीप शइकीया - उपस्थित नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पाल साहब संसद में न हों यह कैसे हो सकता है?

INFRASTRUCTURE PROJECT (MONITORING AND MANAGEMENT) BOARD BILL

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to establish an Infrastructure Project (Monitoring and Management) Board for the monitoring, management and oversight of large infrastructure projects in India to ensure timely execution, cost control and quality assurance and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत में विशाल अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी, प्रबंधन और निरीक्षण के लिए अवसंरचना परियोजना (निगरानी एवं प्रबंधन) बोर्ड की स्थापना करने तथा समय पर क्रियान्वयन, लागत नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I introduce the Bill.

DIGITAL PERSONAL DATA PROTECTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 9, etc.)

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to amend the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I introduce the Bill.

(1725/NK/SRG)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Eighth Schedule)

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I introduce the Bill.

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

(धारा 2 का संशोधन, आदि)

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

CHIEF ELECTION COMMISSIONER AND OTHER ELECTION COMMISSIONERS (APPOINTMENT, CONDITIONS OF SERVICE AND TERM OF OFFICE) AMENDMENT BILL

(Amendment of section 5, etc.)

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, conditions of service and term of office) Act, 2023.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I introduce the Bill.

JOURNALIST (PREVENTION OF VIOLENCE AND PROTECTION) BILL

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for prevention of violence against journalists and protection of journalists, their properties and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> “कि पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा पत्रकारों, उनकी संपत्तियों की सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI**):** Sir, I introduce the Bill.

WILDLIFE (PROTECTION) AMENDMENT BILL
(Amendment of section 2, etc.)

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> “कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I introduce the Bill.

HIGHER EDUCATION SCHOOL, GRADUATE SCHOOL AND UNIVERSITY (FREEDOM OF SPEECH) BILL

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to make provision in relation to freedom of speech and academic freedom in higher Education School, Graduate School, Universities, other educational institutions and in students’ unions and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि उच्चशिक्षा विद्यालयों, स्नातक स्कूल, विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षा संस्थाओं और छात्र संघों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षिक स्वतंत्रता के संबंध में तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR)**:** Sir, I introduce the Bill.

SCHEDULED TRIBE COMPONENT (PLANNING, ALLOCATION AND UTILIZATION OF FINANCIAL RESOURCES) BILL

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the proper and adequate allocation of central funds in the tribal Component in proportion to the location, population and problems of the Scheduled Tribes spread across the country and to overcome the fluctuations, the variations, to keep track of receipts and expenditures and to seek maximum utilization of funds that has been laid down in the Scheduled Tribe Component outlay over the year.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि देश भर में फैले अनुसूचित जनजातियों के स्थान, जनसंख्या और समस्याओं के अनुपात में जनजातीय घटक में केंद्रीय निधियों के उचित और पर्याप्त आवंटन की व्यवस्था करने, पिछले वर्षों में अनुसूचित जनजाति घटक परिव्यय में उतार-चढ़ाव और विविधताओं पर काबू पाने, प्राप्तियों और व्ययों पर नजर रखने और निर्धारित निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Sir, I introduce the Bill.

(1730/GM/IND)

ENROLMENT OF THE CHILDREN OF GOVERNMENT EMPLOYEES IN GOVERNMENT SCHOOLS (PROMOTION) BILL

SUSHRI IQRA CHOUDHARY (KAIRANA): I rise to move for leave to introduce a Bill to improve the quality of government schools by incentivizing government employees to enroll their students in such schools and for matters connected therewith and incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि सरकारी कर्मचारियों को अपने विद्यार्थियों को ऐसे विद्यालयों में नामांकन करवाने के लिए प्रोत्साहित करके सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार करने तथा तत्संबंधी और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SUSHRI IQRA CHOUDHARY (KAIRANA): I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल – उपस्थित नहीं।
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे – उपस्थित नहीं।
श्री अरुण नेहरू – उपस्थित नहीं।
श्री प्रद्युत बोरदोलोई – उपस्थित नहीं।
श्री राव राजेन्द्र सिंह जी।

NATIONAL COMMISSION FOR ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS OF CITIZENS BILL

SHRI RAO RAJENDRA SINGH (JAIPUR RURAL): I rise to move for leave to introduce a Bill to constitute a National Commission for Economically Weaker Sections of Citizens other than the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAO RAJENDRA SINGH (JAIPUR RURAL): I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of preamble, etc.)

SHRI RAO RAJENDRA SINGH (JAIPUR RURAL): I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAO RAJENDRA SINGH (JAIPUR RURAL): I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of article 51A)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of article 124)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> “कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of the Seventh Schedule)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> “कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I introduce the Bill.

MISSING INDIVIDUALS BUREAU BILL

SHRI PUTTA MAHESH KUMAR (ELURU): I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a Missing Individuals Bureau to track down missing individuals and carry out investigations into persons deemed missing.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> “कि गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाने तथा गुमशुदा माने गए व्यक्तियों के संबंध में जांच करने के लिए गुमशुदा व्यक्ति ब्यूरो के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI PUTTA MAHESH KUMAR (ELURU): I introduce the Bill.

सांस्कृतिक मानचित्रण विधेयक

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश की सांस्कृतिक विरासत के मानचित्रण जिसमें लुप्तप्राय कला, परंपराओं और शिल्पों का संरक्षण भी शामिल है, के लिए एक बोर्ड का गठन करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि देश की सांस्कृतिक विरासत के मानचित्रण जिसमें लुप्तप्राय कला, परंपराओं और शिल्पों का संरक्षण भी शामिल है, के लिए एक बोर्ड का गठन करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली): महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक
(धारा 14 का संशोधन)

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

विद्यालयों में अनिवार्य योग अभ्यास विधेयक

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यार्थियों का अच्छा और उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु देश भर के सभी विद्यालयों में प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य योग अभ्यास का उपबंध करने व उक्त प्रयोजनार्थ केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक अवसंरचना प्रदान करना अनिवार्य बनाने तथा उससे संसक्त व उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विद्यार्थियों का अच्छा और उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु देश भर के सभी विद्यालयों में प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य योग अभ्यास का उपबंध करने व उक्त प्रयोजनार्थ केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक अवसंरचना प्रदान करना अनिवार्य बनाने तथा उससे संसक्त व उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

(1735/GTJ/KDS)

SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE FOR DEVELOPMENT AND REJUVENATION OF WATER BODIES IN THE STATE OF MAHARASHTRA BILL

SHRI RAVINDRA DATTARAM WAIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide special financial assistance to the State Government of Maharashtra to meet the expense of development and rejuvenation of water bodies and for matters connected therewith in the State of Maharashtra.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि महाराष्ट्र राज्य में जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के कार्यों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को विशेष वित्तीय सहायता देने और महाराष्ट्र राज्य में तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAVINDRA DATTARAM WAIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Sir, I introduce the Bill.

NATIONAL WATER UNIVERSITY BILL

SHRI RAVINDRA DATTARAM WAIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Sir, I beg to for leave to introduce a Bill to establish and incorporate a National Water University in the State of Maharashtra, a specialized University first of its kind, to promote water education in the areas of water resource management, water conservation technology, equitable and sustainable development and ground water resources management besides functioning as the national centre for select water disciplines by adopting best international practices and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाते हुए चुनिंदा जल विषयों के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करने के साथ-साथ जल संसाधन प्रबबंधन, जल संरक्षण प्रौद्योगिकी, साम्यपूर्ण और सतत विकास और भूजल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में जल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र राज्य में एक राष्ट्रीय जल विश्वविद्यालय, जो अपने प्रकार का प्रथम विशिष्ट विश्वविद्यालय है, की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI RAVINDRA DATTARAM WAIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Sir, I introduce the Bill.

PROTECTION AND WELFARE OF SANITATION WORKERS BILL

SHRI RAVINDRA DATTARAM WAIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide regulations for the protection, welfare and rehabilitation of sanitation workers engaged in the maintenance of public and private spaces including waste management disinfection and sanitization and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि अपशिष्ट प्रबंधन, कीटाणु शोधन और स्वच्छता सहित सार्वजनिक और निजी स्थानों के रखरखाव में लगे सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, कल्याण और पुनर्वास के लिए विनियमन प्रदान करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI RAVINDRA DATTARAM WAIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Sir, I introduce the Bill.

(1740/CS/HDK)

पारंपरिक बुनकर (संरक्षण और कल्याण) विधेयक

श्री राजीव राय (घोसी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में विशेष रूप से मऊ और उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग के आसपास के क्षेत्रों में पारंपरिक बुनकरों की सुरक्षा और जीवन बीमा कवरेज, ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी और उपभोग ऋण, स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों को शिक्षा, सस्ती कच्चे माल की उपलब्धता, करघों का आधुनिकीकरण, आवास, प्रशिक्षण, बिजली सब्सिडी और सरकार द्वारा तैयार उत्पाद की अनिवार्य खरीद सहित कल्याणकारी उपायों के लिए और एक प्राधिकरण और कल्याण निधि की स्थापना और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि देश में विशेष रूप से मऊ और उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग के आसपास के क्षेत्रों में पारंपरिक बुनकरों की सुरक्षा और जीवन बीमा कवरेज, ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी और उपभोग ऋण, स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों को शिक्षा, सस्ती कच्चे माल की उपलब्धता, करघों का आधुनिकीकरण, आवास, प्रशिक्षण, बिजली सब्सिडी और सरकार द्वारा तैयार उत्पाद की अनिवार्य खरीद सहित कल्याणकारी उपायों के लिए और एक प्राधिकरण और कल्याण निधि की स्थापना और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजीव राय (घोसी) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

.....

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक,

(नई धारा 3क का अंत:स्थापन)

श्री राजीव राय (घोसी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजीव राय (घोसी) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

.....

संविधान (संशोधन) विधेयक
(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री राजीव राय (घोसी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजीव राय (घोसी) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

.....

माननीय अध्यक्ष : श्री योगेन्द्र चांदोलिया - उपस्थित नहीं।
श्री राजेश वर्मा - उपस्थित नहीं।
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ - उपस्थित नहीं।

MENSTRUAL LEAVE AND HYGIENE BILL

SHRIMATI SHAMBHAVI (SAMASTIPUR): I rise to move for leave to introduce a bill to make provisions for securing the right to paid menstrual leave for working women and female students and also to provide the access to menstrual hygiene facilities and other health benefits during the period of menstruation and for matters connected therewith.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि कार्यशील महिलाओं व छात्राओं हेतु सवैतनिक माहवारी अवकाश का अधिकार सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ उपबंध करने तथा माहवारी के दौरान माहवारी स्वच्छता सुविधाओं और अन्य स्वास्थ्य लाभों तक उन्हें पहुंच प्रदान करने एवं उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI SHAMBHAVI (SAMASTIPUR): Sir, I introduce the Bill.

PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (AMENDMENT) BILL
(Amendment of section 11, etc.)

SHRIMATI SHAMBHAVI (SAMASTIPUR): I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI SHAMBHAVI (SAMASTIPUR): Sir, I introduce the Bill.

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN (AMENDMENT) BILL
(Amendment of section 10)

SHRIMATI SHAMBHAVI (SAMASTIPUR): I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Commission for Women Act, 1990.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI SHAMBHAVI (SAMASTIPUR): Sir, I introduce the Bill.

निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त जनजातियों और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए आरक्षण विधेयक

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त जनजातियों और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए आरक्षण और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त जनजातियों और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए आरक्षण और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

सर्वोच्च न्यायालय (कार्यवाही में हिंदी का प्रयोग और अन्य उपबंध) विधेयक

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग तथा कतिपय अन्य उपबंधों तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग तथा कतिपय अन्य उपबंधों तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

(1745/MNS/PS)

माननीय अध्यक्ष : श्री नरेण गणपत म्हस्के - उपस्थित नहीं।

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (RESERVATION IN POSTS AND SERVICES AND FILLING UP OF VACANCIES IN A TIME BOUND MANNER) BILL

SHRI ARUN BHARTI (JAMUI): Hon. Speaker, Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for reservation in posts and services under the Central Government and private sector for persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and timely filling up of vacancies meant for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to ensure their equal representation for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार और निजी क्षेत्र के अधीन पदों और सेवाओं में आरक्षण का उपबंध करने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों को समय पर भरने, ताकि उनका समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

SHRI ARUN BHARTI (JAMUI): Sir, I introduce the Bill.

ENVIRONMENT (PROTECTION) AMENDMENT BILL

(Amendment of section 2, etc.).

SHRI ARUN BHARTI (JAMUI): Hon. Speaker, Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Environment (Protection) Act, 1986.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

SHRI ARUN BHARTI (JAMUI): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new article 338C).

SHRI ARUN BHARTI (JAMUI): Hon. Speaker, Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

SHRI ARUN BHARTI (JAMUI): Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष: श्री मन्ना लाल रावत - उपस्थित नहीं।

श्री डी. एम. कथीर आनंद - उपस्थित नहीं।

श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल - उपस्थित नहीं।

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते - उपस्थित नहीं।

श्री शंकर लालवानी - उपस्थित नहीं।

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक

(धारा 2 का संशोधन,आदि)

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

बीमा (संशोधन) विधेयक

(धारा 2 का संशोधन,आदि)

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि बीमा अधिनियम, 1938 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि बीमा अधिनियम, 1938 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (नैतिकता एवं उत्तरदायित्व) विधेयक

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि निर्णय लेने, निगरानी और एल्गोरिदम प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकियों के उपयोग के प्रयोजनार्थ नैतिकता एवं उत्तरदायित्व ढांचे की स्थापना करने, दुरुपयोग को रोकने एवं निष्पक्षता, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि निर्णय लेने, निगरानी और एल्गोरिदम प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकियों के उपयोग के प्रयोजनार्थ नैतिकता एवं उत्तरदायित्व ढांचे की स्थापना करने, दुरुपयोग को रोकने एवं निष्पक्षता, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

(अनुसूची का संशोधन)

श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप प्रशंसनीय हैं, अनुकरणीय हैं। आपने जीरो ओवर में समय देकर सांसदों का बहुत सम्मान बढ़ाया है। यह प्राइवेट मेंबर बिल भी उनकी ही आवाज है। महोदय, इसी कार्यकाल में कम से कम एक-एक सांसद का एक-एक प्राइवेट मेंबर बिल जरूर बहस में ला देते तो बड़ी कृपा होगी।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर (सलेमपुर): महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

(1750/SNL/MY)

माननीय अध्यक्ष: श्री चंदन चौहान - उपस्थित नहीं।

CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 2, etc.).

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Citizenship Act, 1955.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 2).

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Consumer Protection Act, 2019.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Sir, I introduce the Bill.

MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZENS (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 2, etc.).

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Sir, I introduce the Bill.

विद्युत (संशोधन) विधेयक

(नई धारा 126क का अंत:स्थापन)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विद्युत अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री अनुराग शर्मा - उपस्थित नहीं।

निजी क्षेत्र की सेवाओं और नियुक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निजी क्षेत्र की सेवाओं, नियुक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि निजी क्षेत्र की सेवाओं, नियुक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

निजी क्षेत्र की सेवाओं और नियुक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निजी क्षेत्र की सेवाओं, नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "निजी क्षेत्र की सेवाओं, नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(1755/SMN/MLC)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती मंजू शर्मा - उपस्थित नहीं।

कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस, आइटम नंबर 230

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new article 371IA)

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): Sir, I beg to to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

''कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): Sir, I introduce the Bill.

ECO-TOURISM PROMOTION BILL

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the promotion, regulation and development of eco-tourism in India through sustainable and inclusive practices, the constitution of institutional mechanism for planning and implementation, protection of fragile ecosystems, empowerment of local communities, and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत में सतत एवं समावेशी प्रथाओं के माध्यम से पारिस्थितिकी पर्यटन के संवर्धन, विनियमन और विकास, योजना और कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्रों के गठन, नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण, स्थानीय समुदायों के सशक्तीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Sir, I introduce the Bill.

SUPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST SAFETY OF AVIATION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 2, etc.)

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Supression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Act, 1982.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

''कि सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Sir, I introduce the Bill.

NATIONAL BLOOD TRANSFUSION BILL

SHRI PARSHOTTAMBHAI RUPALA (RAJKOT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate, collection testing, processing, storage, distribution, issuance, transfusion of human blood, blood components, ensuring health protection and prevention of transfusion, transmissible diseases and establishing national standards for safe blood collection, transfusion and management, and imposing penalties for non-compliancce and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

''कि मानव रक्त, रक्त घटकों के संग्रहण, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण, निर्गमन, आधान विनियमितिकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा व आधान से होने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं सुरक्षित रक्त संग्रहण सुनिश्चित करने,आधान एवं प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय संस्थापन व गैर-अनुपालन हेतु दंड अध्यारोपण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI PARSHOTTAMBHAI RUPALA (RAJKOT): Sir, I introduce the Bill.

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 134A, etc.).

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> ''कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का और संशोधनकरने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : सभा का समय बिल इंट्रोड्यूस होने तक बढ़ाया जाता है।

आइटम नंबर 244 - श्री दर्शन सिंह चौधरी।

(1800/GG/RP)

प्राकृतिक कृषि संवर्धन विधेयक

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक मुक्त प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक मुक्त प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

ENVIRONMENT (PROTECTION) AMENDMENT BILL

(Amendment of section 2, etc.)

SHRI DARSHAN SINGH CHOUDHARY (HOSHANGABAD): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Environment (Protection) Act, 1986.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI DARSHAN SINGH CHOUDHARY (HOSHANGABAD): Sir, I introduce the Bill.

चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को हमले, आपराधिक बल और धमकी से सुरक्षा विधेयक

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को हमले, आपराधिक बल के प्रयोग और धमकी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को हमले, आपराधिक बल के प्रयोग और धमकी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (संशोधन) विधेयक
(नई धारा 31क का अंत:स्थापन, आदि)

श्री बलवंत बसवंत वानखडे (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री बलवंत बसवंत वानखडे (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष जायसवाल – उपस्थित नहीं।

श्री अमरसिंग टिस्सो।

ASSAM REORGANISATION (KARBI DIMANCHAL) BILL

SHRI AMARSING TISSO (DIPHU): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the formation within the State of Assam of an autonomous State to be known as Karbi Dimanchal and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि असम राज्य में कार्बी दिमांचल नामक एक स्वायत राज्य बनाने और तत्संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI AMARSING TISSO (DIPHU): Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल कस्वां जी – उपस्थित नहीं।

श्री अनूप संजय धोत्रे जी।

PROMOTION OF THE USE OF NATURAL FIBRES BILL

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to promote the processing and usage of natural fibres in India; to support farmers, artisans and industries associated with natural fibre production; to encourage environmentally sustainable alternatives to synthetic materials; and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत में प्राकृतिक रेशों के प्रसंस्करण व उपयोग को बढ़ावा देने; प्राकृतिक रेशा उत्पादन से जुड़े किसानों, कारीगरों और उद्योगों की सहायता; सिंथेटिक सामग्रियों के पर्यावरणीय रूप से संधारणीय विकल्पों को प्रोत्साहित करने; तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): Sir, I introduce the Bill.

(1805/YSH/VPN)

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी – उपस्थित नहीं।

डॉ. शिव पाल सिंह पटेल – उपस्थित नहीं।

श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 8 दिसंबर, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1806 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 08 दिसंबर, 2025 / 17 अग्रहायण, 1947 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।